लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Parliament Library

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 24, गुरुवार, 24 जून, 1971/3 आषाढ़, 1893 (शक)

No. 24, Thursday, June 24, 1971/Asadha 3, 1893 (Saka)

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	...	1-5

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारा० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

691.	औद्योगिक अशांति के कारण कारखानों का बन्द होना	Closure of Units due to Industrial Unrest ...	5-7
692.	खाद्यान्नों का आयात बन्द करने सम्बन्धी निर्णय में परिवर्तन	Revision of decision regarding Stoppage of Import of Foodgrains ...	8
699.	खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains ...	8-10
694.	मिश्रित इस्पात की कमी	Shortage of Alloy Steel ...	10-11
695.	पंजाब तथा हरियाणा में भंडार करने तथा परिवहन सम्बन्धी समस्याओं के कारण खरीफ की फसल के अनाज को क्षति	Damage to Kharif Grain due to Storage and Transport Problems in Punjab and Haryana ...	11-13
697.	आयातित रासायनिक उर्वरकों के चढ़ाने-उतारने, परिवहन और भंडार बनाने का कार्य भारतीय खाद्य निगम को सौंपना	Entrusting of handling, Transport and Storage of Imported Chemical Fertiliser to Food Corporation of India ...	13-14

*किसी नाम पर अंकित यह †इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos

700.	पंजाब को एक ताप संयंत्र के लिये इस्पात का आवंटन	Allotment of Steel to Punjab for a Thermal Plant	... 14-16
701.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में रद्दी लोहे और पिटवां लोहे का भारी मात्रा में जमा हो जाना	Piling up of Scrap Iron and wrought Iron at Public Sector Steel Plants	... 16-18
702.	गैर-सरकारी क्षेत्र में नये इस्पात कारखानों की स्थापना	Setting up of New Steel Plants in Private Sector	... 18-19

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

693.	गौरक्षा समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Cow Protection	... 19-20
696.	कृषि विश्वविद्यालयों के लिए विश्व बैंक की ओर से ऋण	World Bank Loan for Agriculture Universities	20
698.	तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार जुटाने के द्रुत कार्यक्रम का कार्यान्वयन	Implementation of Crash Programme for Rural Employment in Tamil Nadu	20
703.	गैर-सरकारी कोयला खान क्षेत्रों में नई खानें खोलने पर प्रतिबन्ध में ढील देना	Relaxation of Restrictions on opening of New Mines in Private Collieries	... 20-21
704.	फालतू और सब स्टैन्डर्ड दूध का उपयोग करने के लिये दुग्ध अध्ययन परियोजनाओं की लागत	Cost of Milk Study Projects for Utilisation of surplus and Substandard Milk	21
705.	वनस्पति तेलों की कमी को दूर करने के लिये तोरिया बीज का आयात	Import of Rape seed to end shortage of Vegetable Oils	... 21-22
706.	कोयला खानों को लोह तथा इस्पात की सप्लाई की पद्धति में परिवर्तन	Changes in System of Supply of Iron and Steel to Collieries	... 22-23

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
707. गेहूं की 'कल्याण सोना' किस्म में से पीली फफूंदी नामक रोग का उन्मूलन	Eradication of Yellow Rust Disease from 'Kalyan Sona' variety of wheat ...	23
708. राष्ट्रीय रोजगार निधि	National Employment Fund ...	23
709. रानीगंज आसनसोल कोयला पट्टी की कोयला खानों को माल गाड़ी डिब्बों की कम सप्लाई और माल गाड़ी डिब्बों में लदान करने वाले मजदूरों की छंटनी	Short Supply of Wagons to Collieries in Raniganj Asansol Coal Belt and Retrenchment of Wagon Load Workers	24
710. बिहार में झरिया कोयला पट्टी की कोयला खानों का बन्द होना	Collieries Closed in Jharia Coal Belt in Bihar ...	24
711. श्रमिकों द्वारा उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेने हेतु प्रशिक्षण-योजना	Training scheme for workers participation in management of Industries ...	25
712. उत्तर प्रदेश के चीनी के कारखानों में चीनी के भंडार जमा हो जाना	Accumulations in sugar factories, Uttar Pradesh ...	25
713. परिवहन और भंडार की कठिनाइयों के कारण भारतीय खाद्यनिगम को हुई हानि	Loss suffered by Food Corporation in India on account of transport and storage difficulties ...	25-26
714. हिमालय क्षेत्र में कृषि के लिए भारत-जर्मन कृषि परियोजना का कार्यकरण	Working of Indo-German agricultural project for farming in Himalayan region ...	26-27
715. वनस्पत्ति घी के निर्माण में चरबी का प्रयोग	Use of Tallow in manufcature of Vanaspati Ghee ...	27-28
716. भाण्डागार की उचित सुविधाओं की कमी के कारण खाद्यान्न का नष्ट हो जाना	Destruction of Foodgrains on account of lack of proper storage facilities	28

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos			
717.	दण्डकारण्य में और अधिक विस्थापितों का पुनर्वास	Rehabilitation of more Displaced persons in Dandakaranya	28
718.	मध्य प्रदेश में खाद्यान्न की वसूली	Procurement of foodgrains in Madhya Pradesh	29
719.	तरल गैस के सलेंडरों के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता	Steel required for manufacture of Liquid Gas Cylinders	... 29-30
720.	त्रिपुरा को खाद्यान्न भेजने के लिए माल डिब्बों का उपलब्ध न कराया जाना	Non-availability of Wagons for transportation of foodgrains to Tripura	... 30
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
2981.	बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या का अध्ययन करने के लिए "वार ग्रान वांट" ब्रिटिश दल का दौरा	Visit by "War on Want" British Team to study Bangla Desh regugees problem	... 30-31
2982.	मध्य प्रदेश में स्वर्ण निक्षेपों के बारे में भूगर्भीय सर्वेक्षण	Geological Survey re. Gold Deposits in M. P.	31
2983.	वर्ष 1969 में बेरोजगार हुए कर्मचारी	Workers rendered unemployed in 1969	... 31-32
2984.	राज्यों में क्रियान्वित की गई छोटी सिंचाई योजनाएं	Small Irrigation Schemes executed in States	... 32-33
2985.	ग्राम अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना	Establishment of Mango Research Centres	... 33
2986.	केरल राज्य द्वारा विदेशी नस्ल के बैलों और भैसों के लिये ग्रावेदन	Request from Kerala for foreign breed of bulls and buffaloes	... 33-34

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos			
2987.	सिंचाई सुविधाओं की कमी के परिणामस्वरूप भूमि की कम उपज के लिए केरल को केन्द्रीय सहायता	Central assistance to Kerala for low-yield of land due to lack of irrigation facilities	... 35-36
2988.	केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल को दिया गया अनुदान और दुग्ध चूर्ण	Central grant and milk powder given to Kerala	... 36-38
2990.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश में चावल मिल की स्थापना	Setting up of Rice Mill by F. C. I. in Madhya Pradesh	38
2991.	मध्य प्रदेश में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के लिये जिलों का चयन	Selection of Districts for rural construction programme in M. P.	38
2992.	मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा मिलों द्वारा अंशदायी भविष्य निधि का दुरुपयोग	Misuse of E. P. F. by Textile Mills in Madhya Pradesh	... 38-39
2993.	भारत सेवक समाज के कार्य की जांच करने के लिए आयोग की स्थापना	Appointment of Commission to examine the working of Bharat Sevak Samaj	39
2994.	कारखानों के श्रमिकों पर चिकित्सा सम्बन्धी व्यय	Medical expenditure on workers in factories	40
2995.	देश के कारखानों में औसत दैनिक रोजगार	Average daily employment in factories in the country	... 40-41
2996.	बढ़िया किस्म के सब्जी के बीज तैयार करने के लिए गुजरात में कारखाना	Vegetable Seed Processing Plant in Gujarat for production of Quality Seed	41
2997.	सरकारी तथा गैर-सरकारी खानों का कार्य	Working of Government Owned and Private Mines	... 41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
2998. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को हानि	Loss incurred by Hindustan Steel Limited	... 41-42
2999. राजस्थान में ग्राम्य पेय जल योजना के अन्तर्गत नई योजनाओं के लिए धन	Funds for New Projects under Rural Drinking Water Scheme in Rajasthan	... 42-43
3000. त्रिपुरा के दौरे के समय प्रधान मंत्री को शिशु हाथी भेंट किया जाना	Baby Elephant presented to Prime Minister on her tour to Tripura	43
3001. बिहार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में इस्पात और खान मंत्री की टिप्पणी	Observations of Minister of Steel and Mines in Bihar regarding Public Sector Undertakings	... 43-44
3002. भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्न वसूली के बारे में पंजाब और हरियाणा में असफल रहना	Failures of Food Corporation of India in Punjab and Haryana in procurement of Foodgrains	44
3003. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को ऋण देने संबंधी मंजूरी	Sanctioning of Loans to Primary Agricultural Credit Socities	... 44-45
3004. बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता के लिए सरकार द्वारा विदेशों को भेजे गये पत्र	Communications Addressed by Government to Foreign Countries for help for Bangla Desh Refugees	... 45-46
3005. देहातों में रोजगार की व्यवस्था करने हेतु द्रुत कार्यक्रम की प्रगति	Progress of Crash Programme for Rural Employment	... 46
3006. बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता के लिए विदेशों से परिवहन विमान देने का प्रस्ताव	Offer of Transport Planes from Foreign Countries to help Refugees from Bangla Desh	... 4 -47

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
3007. मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के बारें में सर्वेक्षण के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid for Survey of Underground water in Madhya Pradesh ...	47
3008. हिमाचल प्रदेश में व्यास और सतलुज लिंक परियोजना में कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू करना	Introduction of Employees Provident Fund Scheme in Beas and Sutlej Link Project, Himachal Pradesh ...	47-48
3009. गुजरात में बंजर भूमि का उपयोग	Utilisation of Wasteland in Gujarat ...	48
3010. उड़ीसा में निकल के एक कारखाने की स्थापना	Setting up of a Nickel Plant in Orissa ...	48
3011. दुहरी फसल लेने के लिए मनीपुर में सिंचाई	Irrigation in Manipur for Double Cropping ...	49
3012. बिहार में चीनी मिल की स्थापना	Setting up of Sugar Mills in Bihar ...	49
3013. सिंचाई के लिए उत्तराखंड की नदियों के जल का उपयोग	Utilisation of Water of Uttarakhand Rivers for Irrigation Purposes ...	49-50
3014. उद्योगों को अलौह धातुओं का नियतन	Allocaiton of Non-Ferrous Metals for Industries ...	50-51
3016. लोहे के टुकड़ों का निर्यात	Export of ferrous Scrap ...	51-52
3017. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आशुलिपि प्रशिक्षक	Stenogarphy Instructors in Industrial Training Institutes ...	52
3018. बिहार में गहन कृषि के लिए ट्रैक्टरों और पम्प सैटों की सप्लाई	Supply of Tractors and pumping sets for intensive cultivation in Bihar ...	52-53
3019. कृषि विभाग में कनिष्ठ लेखापालों की भर्ती	Recruitment of junior accountants in department of Agriculture ...	53

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nso.**		
3020. कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार	Extension of E. S. I. scheme	... 54-55
3021. कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees Provident Fund Employees	55
3022. इस्पात उद्योग के लिए संयुक्त मजूरी समझौता समिति का जारी रहना	Continuance of wage Negotiating Committee for Steel Industry	... 55.56
3023. शरणार्थियों के लिए खाद्य वस्तुओं की खरीद	Purchase of food iteme for Refugees	... 56-57
3024. मेहसी चम्पारन, बिहार में सहकारिता के आधार पर शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) स्थापित करना	Setting up cold storage on Co-operative basis at Mehsi Champaran, Bihar	57
3025. बन्द पड़ी चीनी मिलें	Sugar Milis lying idle	... 57-59
3026. ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता का परिसमापन	Liquidation of Rural Indebtedndess	... 59-60
3027. पूर्वी जर्मनी द्वारा सप्लाई किए गए ट्रैक्टरों को लौटाने के लिए राजस्थान का अनुरोध	Request from Rajasthan for Return of Tractors Supplied by East Germany	... 60
3028. ग्रामीणरोजगार के लिए तुरन्त कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजनों और अन्य पिछड़े वर्गों केलिए सुविधायें	Benefits of Harijans and other Backward Classes Under Crash Programme for Rural Employment	... 60-61
3029. मध्य प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या और उत्पादित चीनी की मात्रा	Number of Sugar Mills and Quantity of Sugar Produced in Madhya Pradesh	... 61

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3030. रोजगार कार्यालयों, मनीपुर में पंजीकृत व्यक्ति	Persons Registered with Employment Exchanges in Manipur	... 61-62
3031. दुग्ध तथा दुग्ध चूर्ण का उत्पादन तथा आयात	Production and import of Milk and Milk powder	62
3032. अन्दमान स्थित रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्ति	Persons Registered with Employment Exchanges in Andaman	... 62-63
3033. राजस्थान में भूमि संरक्षण योजना के लिए धन	Funds for Soil Conservation Scheme in Rajasthan	63
3034. त्रिपुरा में किसानों का प्रशिक्षण कार्य बन्द करना	Suspension of Training of Farmers in Tripura	... 63-64
3035. आसनसोल स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में कर्मचारी भविष्य निधि वापिस करने के लिए अनिर्णीत आवेदन-पत्र	Pending Applications for Refund of Employees Provident Fund in Regional Provident Fund Commissioner's Office Asansol	64
3036. 1970-71 में चीनी का निर्यात	Export of Sugar during 1970-71	... 64-65
3037. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को भूमि वितरण तथा अन्य कृषि सुविधाओं के लिए नियम	Rules for distribution of land and other agricultural benefits to Scheduled Castes/Scheduled Tribes	65
3038. सिंचाई के अधीन तथा वर्षा आश्रित भूमि का क्षेत्र	Area of land under irrigation and dependent upon rain	65
3039. बोकारो इस्पात कारखाने के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by workers of Bokaro Steel Plant	... 65-66
3040. बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों के लिए विदेशों से तम्बू और तिरपाल मंगाने का अनुरोध	Request for tent and Tarpaulin Supplies from foreign countries for rufugees from Bangla Desh	66

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3041. भारत के लिए आस्ट्रेलियाई गेहूं	Australian Wheat for India	... 66-67
3042. खाद्यतथा कृषि पोषाहार बोर्ड की बैठक	Meeting of Food and Agriculture Nutrition Board	67
3043. चौथी योजना में कृतन्क नियंत्रण की योजना	Seheme for Rodent Control during Fourth Plan	... 68
3044. सामुदयिक विकास खंडों पर व्यय	Expenditure on Community Development Blocks	... 68-70
3045. बेरोजगारी के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन	National Conference on unemployment	... 70
3046. वर्ष 1970-71 के दौरान खाद्यान्नों का आयात	Import of cereals during 1970-71	... 70-71
3047. उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कृषि उत्पादन कार्यक्रम	Agricultural production programme in eastern districts of U. P.	... 71
3048. चौथी योजना के दौरान नारियल के विकास हेतु अनुसंधान परियोजना	Research Project for improvement of Coconut during Fourth Plan	... 71-72
3049. मध्य प्रदेश में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का स्वामी बनाना	Landless persons granted Ownership of land in Madhya Pradesh	... 72
3050. इंडियन काफी वर्कर्स कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, दिल्ली की सदस्यता	Membership of Indian Coffee Workers Society Ltd., Delhi	... 72-73
3051. विभिन्न मंत्रालयों के अधीन नैमित्तिक श्रमिकों के कार्य तथा भर्ती की शर्तें	Conditions of Work and Employment of Casual labourers under various Ministries	... 73-74

विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3052. जर्मन संघीय गणतन्त्र तथा जर्मन लोकतंत्रात्मक गणतंत्र द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोजित कृषि परियोजनाएं	Agricultural Projects jointly sponsored by F. P. G. and G. D. R.	... 74-75
3053. मनीपुर सरकार द्वारा अन्य राज्यों में बिक्री के लिए मक्का की वसूली	Procurement of Maize by Government of Manipur for sale in other States	75
3054. मनीपुर में काजू, सेव आदि के उत्पादन संबंधी परीक्षण तथा उन पर व्यय	Experiments in Production of Cashew-nuts and Apples in Manipur	... 75-76
3055. कालाकाजी नई दिल्ली स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में नागरिक सुविधाएं	Civic facilities in East Pakistan Displaced Persons Colony, Kalkaji, New Delhi	... 76
3056. नई दिल्ली में कालकाजी स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को कालोनी के अलाटियों की ओर से मध्यस्थ व निर्णय के लिए दिए गए प्रार्थना-पत्र	Repuests for Arbitration from Allottees of East Pakistan Displaced Persons Colony, Kalkaji, New Delhi	... 76-77
3057. कालकाजी, नई दिल्ली की पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों की बस्ती में कार्य कर रही एसोशिएशन समितियां	Societies/Associations functioning in E. P. D. P. Colony, Kalkaji, New Delhi	77
3058. खाद्यान्नों के बारे में आत्मनिर्भरता	Self-Sufficiency in Foodgrains	77
3059. वर्ष 1968-69 से 1970-71 तक वसूल किए गए खाद्यान्नों का राज्यवार ब्योरा	Stateswise break-up of foodgrains procured for 1968-69 to 1970-71	... 78-79

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3060. कृषि अनुसंधान केन्द्र	Agriculture Research Stations	... 79-80
3061. दिल्ली और पश्चिम बंगाल में बसे पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी	Refugees from East and West Pakistan settled in Delhi and West Bengal	... 80-81
3062. दालों के उत्पादन में प्रगति और खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी	Break-through in production of Pulses and shortfall in Foodgrains production	81
3063. भारतीय खाद्यनिगम द्वारा धान की वसूली के लिए प्रयुक्त मापक यंत्र	Measurement instrument adopted by F. C. I. for procurement of Paddy	81
3064. रानीगंज कोयला-पट्टी में अदालतों में दायर किए गए प्रमाण-पत्रों संबंधी मामले	Certificate cases filed in Courts in Raniganj Coal-Belt	82
3065. गिरिडीह कोयला खानों संबंधी तकनीकी समिति का प्रतिवेदन	Report of Technical Committee on Giridih Collieries	... 82 83
3066. स्त्री खनिकों की समस्या को हल करने के सुझाव	Suggestions to solve problem of Famale Miners	83
3067. तबेला कैम्प, भावनगर, गुजरात	Tabela Camp, Bhavnagar, Gujarat	... 83-84
3068. एलकाक एशडाऊन कम्पनी लिमिटेड, गुजरात का बन्द-किया जाना और कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बकाया राशि	Closure of Alcock Ashdown Company Ltd. Gujarat and E. P. F. and E. S. I. Dues	... 84-85
3069. नारियल के वृक्षों के रोग को रोकने के उपाय	Measures to check Disease of Coconut trees	... 85-87

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos

3070. मत्स्य पालन उद्योग पर जल-दूषण का प्रभाव	Effect of Water Pollution on Fishing Industry	... 87-88
3071. बिजली मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का क्रियान्वयन	Implementation of Recommendations of Electricity Wage Board	88
3072. विभिन्न राज्यों में चीनी का मूल्य	Price of Sugar in Different States	... 88-89
3073. कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की बकाया धनराशि	Arrears of Employees Provident Fund Contributions under Coal Mines Provident Fund Act	... 89-91
3074. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा दायर किए गए मामले	Cases Filled by Regional Provident Fund Commissioners	91
3075. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वसूल किया गया दंडरूप क्षति मूल्य	Penal Damages Realized by Employees Provident Fund Organisation	... 91-92
3076. कर्मचारी भविष्य निधि की सदस्यता का अधिकारी बनने हेतु अवधि में छूट देना	Relaxation of Period of Entitlement for Employees Provident Fund Member-... ship	... 92
3077. पूर्व बंगाल के शरणार्थियों के लिए कनाडा से सहायता	Canadian help for Refugees from East Pakistan	... 92-93
3078. राष्ट्रमंडल के 13 चीनी उत्पादक देशों का सम्मेलन	Conference of 13 Commonwealth Sugar Producing countries	... 93
3079. संगरोध के बिना अमरीका और ताईवान से आयात किये गए बीजों के परिणामस्वरूप वाइरस और फंगस रोगों का फैलना	Spread of Virus and Fungas as a Result of Import of Seeds from U. S. A. and Taiwan without Quarantine	... 93-94

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3080. उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं और अनुदानों की मंजूरी	Sanction of Projects and Grants for Drought Affected Areas of U. P.	... 94
3081. बहुफसलीय कृषि की मार्ग-दर्शी परियोजना के लिए क्षेत्रों का चयन	Selection of Area fot Pilot Project for Multiple Cropping	... 95-97
3082. त्रिपुरा विधान सभा का 2½ एकड़ भूमि तक लगान माफ करने के बारे में संकल्प	Resolution of Tripura Legislative Assembly Exempting Rent up to 2½ Acres of Land	... 98
3083. अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनर्विलोकन समिति के माध्यम से किसानों को ऋण	Loans to Farmers through all India Rural Credit Review Committee	... 98
3084. किसानों के लिए डेरी (दुग्ध) योजना	Dairy (Milk) Scheme for Farmers	... 98-99
3085. ट्रैक्टरों की मांग	Demand for Tractors	99
3086. मध्य प्रदेश में सीसे का निक्षेप	Lead Deposits in Madhya Pradesh	99
3087. चौथी योजना में राज्यों में बारानी कृषि योजना	Dry-Farming Scheme in States during Fourth Plan	100
3088. त्रिपुरा में ग्रामीण कार्यक्रम के बारे में समिति	Committee on Rural Works Programme in Tripura	... 100
3089. उत्तर प्रदेश में पंचायत सचिवों की कृषि मंत्री से भेंट	Meeting of Panchayat Secretaries of U. P. with Minister of Agriculture	... 100-101
3090. राजस्थान में अनाज को गोदामों में रखने की अपर्याप्त सुविधायें	Inadequate Storing Facilities of Foodgrains in Rajasthan	... 101-102
3091. शिकार के पक्षियों के संरक्षण के लिए विधान	Legislation to Protect Game Birds	102

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

3092. नया भूतत्वीय मान चित्र	New Geological Map	... 103
3093. त्रिपुरा की जनजातियों पर बन संरक्षण नीति का प्रभाव	Effect of Reserve Forest Policy on Tribals of Tripura	103
3094. त्रिपुरा में बंगला देश के शरणार्थियों के लिए शिविर	Camps for Bangla Desh Refugees in Tripura	... 103-104
3095. केन्द्रीय बिजली मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाना	Implementation of Recommendations of Central Electricity Wage Board by Kerala State Electricity Board	104
3096. धान का रक्षित भंडार	Buffer Stock of paddy	... 104-105
3097. समस्तीपुर शूगर मिल्स लिमिटेड बिहार का प्रबन्ध	Management of Samastipur Sugar Mills Ltd. Bihar	105
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में	Re. Calling Attention	... 106-107
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	... 107-109
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	... 109
अनुदानों की मांगें, 1971-72	Demands for Grants, 1971-72	
गृह मन्त्रालय	Ministry of Home Affairs	... 109-127
श्री डी० बसुमातारी	Shri D. Basumatari	... 109-111
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	... 111-113
श्री पी० आर० दास मुन्शी	Shri P. R. Das Munsi	... 113-115
श्री एस० पी० वर्मा	Shri S. P. Verma	... 115
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	... 115-116
श्री दण्डपाणी	Shri Dhandapani	... 116-118

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री के० टी० शाह	Shri K. T. Shah	... 118-119
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat	... 119
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	... 119-120
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	... 121-122
श्री एन० एन० पांडे	Shri N. N. Pandey	122
श्री चपल भट्टाचार्य	Shri Chapal Bhattacharyya	122
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	... 122-123
श्रीमती इन्दिरा गान्धी	Shrimati Indira Gandhi	... 123-126
सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय	Ministry of Irrigation and Power	128, 133-136
श्री बी० के० मोदक	Shri B. K. Modak	... 133-136
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayan	... 136-137
श्री डी० डी० भाटिया	Shri D. D. Bhatia	... 143-144
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	... 144
श्री नाथूराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	... 144-146
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	146
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
पाकिस्तान के दो समुद्री जहाजों द्वारा पाकिस्तानी को अमरकी शस्त्रास्त्र ले जाये जाने का कथित समाचार	Reported carrying of American arms to Pakistan by two Pakistani Ships	... 128-133
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	... 128, 129
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	... 129-130,131,132,133

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 24 जून, 1971/3 आषाढ़, 1893 (शक)

Thursday, June 24, 1971/Asadha 3, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

श्री श्रीप्रकाश का स्वर्गवास

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सदन को श्री श्रीप्रकाश के दुःखद निधन की सूचना देनी है, जिनका 81 वर्ष की आयु में 23 जून, 1971 को वाराणसी में स्वर्गवास हो गया।

यशस्वी पिता के यशस्वी पुत्र और प्रतिष्ठित संसद्विज्ञ, श्री श्रीप्रकाश वर्ष 1934 से, 1947 तक केन्द्रीय विधान सभा के, वर्ष 1946-50 में संविधान सभा के और वर्ष 1950-52 में अस्थाई संसद के सदस्य रहे। वह पहली लोक-सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए परन्तु राज्यपाल बनने पर उन्होंने सदस्य पद त्याग दिया। साहित्यकार और प्रसिद्ध लेखक होने के साथ-साथ वह महान् शिक्षा शास्त्री और प्रशासक थे। वह देश भक्तों तथा स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों की पुरानी पीढ़ी के महान नेताओं में से थे और अपनी विद्वत्ता और गहन अध्ययन के लिए अत्यंत विख्यात थे। उनके विचार सदैव प्रगतिवादी और निर्भीक रहे। सामाजिक सुधारों। आर्थिक समस्याओं तथा राजनैतिक कार्यों के बारे में उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक था। अपने बहुमुखी सार्वजनिक जीवन में उन्होंने वाणिज्य और प्राकृतिक संसाधनों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के केन्द्रीय मंत्री, आसाम तथा महाराष्ट्र राज्यों के राज्यपाल एवं काशी विद्यापीठ के कुलपति के

पदों को सुशोभित किया। उनके निधन से देश ने एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ खो दिया है।

हम भारत के इस प्रतिष्ठित सुपुत्र के निधन पर शोक प्रकट करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवार को संवेदना सन्देश भेजने में यह सदन मेरे साथ शरीक होगा।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : श्रीमन्, हम आज एक अनुभवी कांग्रेसी, वीर स्वतन्त्रता सेनानी तथा वयोवृद्ध और प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ के निधन पर शोक प्रकट करते हैं। उन्होंने 60 वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्र की सम्मानपूर्वक सेवा की तथा राजनैतिक, प्रशासनिक एवं राजनयिक क्षेत्रों में अनेक तथा विभिन्न उत्तरदायित्व सम्भाले। वह केवल राजनीतिज्ञ के रूप में ही नहीं, अपितु व्यापक संस्कृति और ज्ञान की प्रतिमूर्ती के रूप में भी याद किए जायेंगे। उन्हें न केवल उन अनेक उच्च तथा महत्वपूर्ण पदों के लिए ही जिनको उन्होंने सुशोभित किया था वरन् बहुत सी संस्थाओं एवं संगठनों के साथ अपने साहचर्य के लिए याद किया जाएगा।

जैसा कि अभी आपने कहा, वह विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने चर्चाओं तथा लेखन में न केवल गंभीर बिषयों पर ही प्रकाश डाला अपितु जहां कहीं संभव होता था वह सरलता का परिचय देने का प्रयास भी करते थे। मेरे परिवार के वह घनिष्ठ मित्र थे और मैं अपने बचपन से ही उन्हें जानती थी। अन्तिम बार उनसे मेरा मिलना कुछ मास पूर्व हुआ जब मैं उनसे कलकत्ता के अस्पताल में मिली। जीवन की दुःखदायी घटनाओं के कारण उनके जीवन के अन्तिम वर्ष दुखद हो गए थे। तथापि वह काम करते रहे एवं अन्तिम समय तक राष्ट्रीय हितों में उनकी रुचि बनी रही।

उनके संतप्त परिवार के साथ हम भी शोकाकुल हैं और मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि उनके संतप्त परिवार से हमारी संवेदना व्यक्त कर दें।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : श्रीमन्, अपने दल की ओर से हम उस सुप्रसिद्ध व्यक्ति की दिवंगत आत्मा को अर्पित की गई श्रद्धांजलि और संवेदना में शरीक होते हैं। हमें उनके व्यक्तिगत सम्पर्क में आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ परन्तु समाचार-पत्रों तथा अनेक अन्य प्रकाशनों से हम उनके सार्वजनिक कार्यों से परिचित रहे हैं। अतः हमारा विचार है कि उनके निधन से देश को हानि हुई है तथा संतप्त परिवार के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। कृपया संतप्त परिवार के सदस्यों से हमारी संवेदना व्यक्त करें।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Speaker, Sir about four or five years before the demise of Shri Sri Prakash, I had come in close contact with him because he mostly lived at Kanpur as the Chairman of British India Corporation. I had noticed during our student life at Banaras that he used to follow the footsteps of his philosopher father. He did not live the life of a politician only; rather his life was a synthesis of both politics and philosophy. I know he spent whole of his life in reading and writing. We would be committing blunder if we paid homage to this departed soul only as a statesman. Politics was only a part of his life and far more than that he was a symbol of tolerance and forbearance. As a result of my participation

in workers' movement, I often had differences with him. Whenever I went to him. I used to be in an enraged mood and I had a feeling that I would quarrel with him but when I returned I returned with a friendly feeling for him. Even to-day I remember the words which were once uttered by him before relinquishing British India Corporation. He said that I had attained a position in life where from I could serve the people and I should continue serving them, but only as a servant ; I should not start exploiting them. I think he will always be remembered not only as a politician but also as a man of such attributes. As we pay homage even to-day to his father, so also after paying homage to Shri Sri Prakash we shall think about his life as to what kind of a man of tolerance he was in the political sphere, he did the most difficult work and he passed such a life from early childhood to the end of his life which can serve as an open book for us.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker Sir, the freedom fighters are passing away one by one from among us. Shriyut Sri Prakashjee had inherited patriotism, valour and a faith in Indian values of life from his father, Dr. Bhagwan Dass. He fought for freedom and after attaining independence he made a significant contribution to the cause of nation building. He proved his administrative efficiency as a Central Minister. As a Governor, he maintained the dignily of that high office. The pitiable condition of the country made him sad even after his retirement. Boldness was his natural virtue. His voice and his pen always opposed injustice, inequality and the misuse of rights. His demise has created a vacuum in our public life. I, on my own behalf and on behalf of my party, pay humble homage to the departed soul and pray God to inspire us to tread the path shown by him. There can be only one way to immortalise the memory of Shriyut Sri Prakasji and that is to build the India of his dreams, a modern India, built on the foundations of anicient.

श्री जी० विश्वनाथन् (वान्डीवाश) : श्रीमन्, श्री श्रीप्रकाश के स्वर्गवास से हमने एक और वीर स्वाधीनता सेनानी को खो दिया है। हम उनका वह प्रेम एवं स्नेह नहीं भूल सकते हैं जो उन्होंने राज्यपाल के रूप में अपने राज्य के लोगों के प्रति प्रकट किया था। विद्यार्थी-काल में मैंने कई बार उनके भाषण सुने। इस निधन से समूचे राष्ट्र को बहुत बड़ी क्षति हुई है। श्रीमन्, आप तथा सदन् के नेता द्वारा अभिव्यक्त भावों के साथ मैं भी शरीक होना चाहता हूं। संतप्त परिवार से हमारी हार्दिक संवेदना व्यक्त की जाये।

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : Sir, the demise of Shri Sri Prakash is not only a great loss to the country but a vacuum has been created in the lives of many persons like us who knew him closely. I was fortunate enough to receive his love and blessings and we worked together for many days in a Committee. To-day when past memories have been revived. I feel deeply distressed. He was very frank but at the same time he was generous too. He never uttered a word which annoyed anybody. He never compromised himself in respect of his firm convictions and we always found a glimpse of the past and the present in him.

He was a great representative of our culture and our national life will be jeopardised if we will not maintain those values to day in our national life.

On behalf of my party and on my own behalf I pay homage to his departed soul. While paying homage, I am not observing merely a formality. He was so great a freedom fighter that we consider ourselves the off-springs of the environment created in the country by him. That is why the homage cannot be traditional or formal.

I want to pay heartfelt homage to him on my own behalf and on behalf of my party and request you to convey our condolences to the bereaved family,

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा और प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किए गए भावों के साथ मैं अपने भाव व्यक्त करता हूं। जब मैं 'सिविल सर्वेन्ट' था और श्री श्री प्रकाश मंत्री थे और बाद में जब वह बम्बई और मद्रास के राज्यपाल हो गए तब से मैं उन्हें जानता था। इसके पश्चात् उनके अवकाश प्राप्त करके सरदार पटेल विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर आने पर मैं उनसे मिला। उनके साथ सारे समय साहचर्य से मैंने अनुभव किया कि वह अच्छे, अद्भुत और भले व्यक्ति थे। यही उनका ऐसा गुण था कि जो कोई भी उनसे मिलता था उनसे प्रभावित हुए बिना न रहता था। उन्होंने अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् स्वाधीनता संग्राम के समय के तथा स्वाधीनता से बाद के सार्वजनिक जीवन के अनुभव पर आधारित अपने विचारों को देश के सम्मुख रखा। उनके अन्तिम वर्षों में लिखे गए लेखों को पढ़कर कोई भी वास्तविक रूप से उनकी प्रशंसा कर सकता है कि वह कितने महान् व्यक्ति थे। वह जीवन के उन मूल्यों को हमारे समक्ष रखते रहे जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं, तथा जिन मार्गों पर हमें चलना चाहिए उन पर वह बल देते रहे। उनके निधन से हमने वास्तव में एक भले, महान्, भद्रपुरुष को खो दिया है।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : श्रीमन्, अत्यंत दुख का विषय है कि हमने एक महान् देशभक्त खो दिया है। श्रीमन्, मैंने उन्हे देखा तो नहीं परन्तु मैं उनके बारे में सुन चुका हूं। इतना ही नहीं, मैंने उनके बहुत से लेख भी पढ़े हैं जिन्हें वह लिखा करते थे—क्या ही महान देन है यह उनकी। यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि महान देशभक्त, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था, तथा अन्य राजनीतिज्ञ भी हमारे बीच से एक एक करके उठते जा रहे हैं। नई पीढ़ी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अत: मेरा विचार है कि उन्होंने जो विचार एवं सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं उन पर हमें चलना चाहिए। प्रधानमंत्री तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा भावाभिव्यक्ति में मैं भी शरीक होता हूं तथा अपने दल—तेलंगाना प्रजा-समिति — और अपनी ओर से संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमन्, मैं अपने दिवंगत नेता की पुण्य स्मृति में उन्हें श्रद्धांजली अर्पित करता हूं जो स्वाधीनता संग्राम के एक स्तम्भ थे। श्री श्री प्रकाश एक महान् विभूति के सुपुत्र थे। उन्होंने न केवल अनेक प्रकार से स्वाधीनता संग्राम में ही भाग लिया अपितु हमारे देश के बौद्धिक जीवन में भी उनका योगदान रहा। मुझे उनसे सर्वप्रथम मिलने का सुअवसर तब प्राप्त हुआ जब वह पाकिस्तान में उच्चायुक्त थे। उस समय मैं ढाका में था। वह जनसाधारण में काफी रुचि लिया करते थे।

श्रीमन्, इस समय जब हमारे राष्ट्र को न केवल विद्वान अपितु महान् सत्यनिष्ठ एवं सर्वोच्च व्यक्तियों के परामर्श की भी आवश्यकता है, मुझे दुख है कि हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन के एक ऐसे स्तम्भ को खो चुके हैं। मैं पुन: दिवंगत नेता के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री मुहम्मद शरीफ़ (पेरियाकुलम्) : भारत के सम्माननीय पुत्र के रूप में श्री श्रीप्रकाश सदैव अल्पसंख्यकों तथा अल्पसंख्यकों की समस्याओं के प्रति उदार रहे। लगभग 12 वर्ष पहले

"इंडियन एक्सप्रेस" में अपने एक लेख में उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि सरकार के सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मैं अपने दल की ओर से शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

(तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे)
(The members then stood in silence for a short while)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

औद्योगिक अशांति के कारण कारखानों का बन्द होना

*691. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मई, 1971 को देश की श्रम सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए नियोजकों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी एक बैठक दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या नियोजकों से कहा गया था कि वे औद्योगिक अशांति के नाम पर अपने कारखाने बन्द न करें ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर नियोजकों की क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) नियोजकों से आग्रह किया गया था कि वे काम बंदियों से बचने की पूरी कोशिश करें।

(ग) नियोजकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि कई मामलों में काम बंदियां ऐसे तत्वों के कारण हुई जो प्रबन्धकों के नियंत्रण से बाहर थे।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमन्, श्रमिकों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन के पश्चात् यह सम्मेलन बुलाया गया था और उसका यह आशय था कि मालिकों द्वारा कारखाने बंद न किये जायें। क्या मंत्री महोदय को पता है कि इस सदन में दिए गए सरकारी आँकड़ों के अनुसार कलकत्ता, हावड़ा तथा पश्चिम बंगाल के अन्य स्थानों में लगभग 268 कारखाने और हमारी जानकारी के अनुसार लगभग 700 कारखाने बंद होने वाले हैं अथवा बंद हो गए हैं ? क्या सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है और सड़कों पर घूम रहे लगभग एक लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने हेतु इंजीनियरी कारखानों तथा अन्य कारखानों को पुन: खोलने के लिए मालिकों से कुछ कहा गया है।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : श्रीमान, इस सम्मेलन में मालिकों को स्पष्ट कर दिया गया था कि हमारे औद्योगिक संस्थानों का अच्छा पहलू भी है और बुरा भी जो कि कारखानों के भारी संख्या में बंद होने के रूप में दिखाई पड़ रहा है। हमने उनसे

कारखाने बंद न करने के लिए आग्रह किया है। कारखाने केवल श्रमिक आन्दोलन के परिणामस्वरूप ही बंद नहीं होते हैं अपितु बहुत से ऐसे अन्य कारण हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं ; उदाहरणार्थ, कच्चे माल की कमी । परन्तु साथ ही बहुत से कारखानें कुप्रबन्ध अथवा किसी प्रकार की धोखाधड़ी के कारण बंद किए गए थे। इस सम्बन्ध में मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस पर निगरानी रख रही है और कारखानें बंद न किए जायें इसके लिए शीघ्र ही कार्यवाही करेगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि अन्य कारणों के अतिरिक्त नियोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले कुप्रबन्ध, धोखाधड़ी, दुर्विनियोग एवं अन्य बातें भी इसका कारण हैं। क्या मंत्री महोदय ने, औद्योगिक विकास मंत्रालय से परामर्श करके, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि उद्योग विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे संस्थानों की जांच की जाये और जांच विशेष के पूरा होने पर उन संस्थानों को नियंत्रण में लिया जाएगा ?

श्री आर० के० खाडिलकर : इस प्रश्न पर राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में चर्चा की गई थी और यद्यपि यह विषय कार्य-सूची में नहीं था तथापि स्थायी समिति में इसपर चर्चा की गई और यह सामान्य राय रही कि सदन के समक्ष विधान लाया जाये जो चाहे तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत हो अथवा उद्योग विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत । वह प्रश्न अभी भी हमारे समक्ष है । हम कारखानों को बन्द होने से रोकने के लिये कोई कार्यवाही करेंगे क्योंकि इनके बन्द हो जाने के कारण गत वर्ष और उससे पहले वर्ष केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर वर्ष 1969-70 में 1652 कारखाने बन्द हुये जिनमें 1,86,866 श्रमिक थे तथा वर्ष 1970-71 में 1,646 कारखानें बन्द हुये जिनमें 1,32,960 श्रमिक थे । परन्तु ये आंकड़े पूर्ण नहीं हैं । कई राज्यों से अभी हमें आंकड़े प्राप्त होने हैं । अतः यह एक ऐसा कार्य है जो अभी आरम्भ हुआ हैं । कारखानें बन्द होने के पूर्व के इतिहास के बारे में अभी तक हम पूरी जानकारी एकत्रित नहीं कर पाये हैं । जब यह जानकारी मिल जायेगी, तो वह सभा के समक्ष रखी जायेगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने कहा था कि कुप्रबन्ध के कारण कुछ कारखाने बन्द किये जाते हैं । अतः मेरा प्रश्न यह था कि क्या मंत्री महोदय, औद्योगिक विकास मंत्रालय से परामर्श करके, उद्योग विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत उचित जांच करवायेंगे और यह देखेंगे कि उन संस्थानों को नियंत्रण में लिया जाये । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सभी हड़तालों को अवैध घोषित किया गया है परन्तु अभी तक कारखानों के बन्द होने को अवैध घोषित नहीं किया गया है । जांच के बाद क्या किया जायेगा ? क्या सरकार उनको अपने नियंत्रण में लेने को तैयार है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : ऐसा अधिकार प्राप्त करने के लिये हम कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं । यदि हम पहले किसी प्रकार का कोई नोटिस दें तभी कार्यवाही करना संभव होगा । यह मामला विचाराधीन है ।

Shri Shashi Bhushan : There are many mill owners who want to getrid of their units because their machinery has become out dated and they get licenses and loans from Government to shift their industries outside Calcutta. Our nationalised banks purchase the big buildings belonging especially to Birlas for rupees three or four crores. Instead of giving incentives

to such mill owners who are going out of Calcutta why should Government not try to persuade them to continue their existing industries there and in case they close their units they must not be given new licenses ?

The Government should assure us that they would compel the employers to continue their existing units after making a settlement with the labourers instead of giving them incentives for shifting their industries elsewhere in the name of disturbances. Is the Government considering any steps in this regard ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह प्रश्न औद्योगिक विकास मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए। मेरा इसके साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है।

श्री ए० पी० शर्मा : माननीय मंत्री ने बताया कि इसके दो पहलू हैं। एक आशावादी और दूसरा निराशावादी। निराशावादी पहलू को तो हम भी जानते हैं और मंत्री महोदय ने उसका वर्णन भी कर दिया है परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका आशावादी पहलू क्या है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : उनका श्रेणीकरण किया जा सकता है। कुछ उद्योगपति काफी सूझबूझ वाले होते हैं और वे ऐसे अवसरों पर अनायास ही कार्यवाही नहीं करते। उद्योगों को बन्द होने से बचाने के लिए हम कार्यवाही कर सकते हैं। परन्तु जैसा कि मैंने कहा, कुछ ऐसे उद्योगपति भी हैं जो बहुत भारी मुनाफा कमाते हैं और ऐसे सब काम करते हैं। ऐसे ही लोगों की ओर मैंने संकेत किया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इतने बड़े पैमाने पर कारखानों के बन्द होने को दृष्टि में रखते हुये, क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए एक विधेयक भेजा है जो वह विधान-सभा में प्रस्तुत करना चाहती है और जो अध्यादेश के रूप में जारी भी किया जा चुका है। इस विधेयक के अनुसार किसी भी उद्योग को बन्द करने के लिए 60 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार से इस प्रकार की मंजूरी मांगी गई है और यदि हां, तो सरकार ने इसके प्रति क्या रुख अपनाया है और वह इसे मंजूरी देने में आनाकानी क्यों कर रही है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने इस बारे में हमसे कहा है। हमने अपने विचार गृह मंत्रालय को भेज दिये हैं। अन्ततः औपचारिक अनुमति तो गृह मंत्रालय को ही देनी है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न संख्या 692 और 699 को एक-साथ लेंगे क्योंकि इन दोनों का विषय एक ही है। परन्तु ऐसा लगता है कि जिन माननीय सदस्य के नाम से प्रश्न संख्या 699 पूछा जा रहा है, वह उपस्थित नहीं है।

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : श्रीमान जी, तो क्या मैं प्रश्न संख्या 699 को भी प्रश्न संख्या 692 के साथ ही ले लूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

खाद्यान्नों का आयात बन्द करने सम्बन्धी निर्णय में परिवर्तन

*692. **श्री एस० एम० कृष्ण** :

श्री निहार लास्कर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस वर्ष खाद्यान्न के आयात बन्द करने संबन्धी अपने पहले के निर्णय को बदलना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्यान्नों का आयात करने के संबन्ध में विदेशों के साथ बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है और उनसे कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) यह निर्णय 1971 के बाद खाद्यान्नों का रियायती आयात बन्द करने के संबन्ध में था। यह निर्णय कायम है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ). 1971 में खाद्यान्नों के आयात सम्बंधी आवश्यकताएं पी० एल० 480 करार के सम्बंध में संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार को बता दी गई हैं। खाद्यान्नों का आयात करने के लिए अन्य देशों से कोई अनुरोध नहीं किया गया है। 1971 में पी० एल० 480 के अधीन अब तक 15.7 लाख मी० टन गेहूं के आयात के प्रबन्ध से किए गए हैं।

खाद्यान्नों का आयात

*699. **श्री पी० के० देव** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से और अन्य देशों से खाद्यान्नों का आयात जारी रखेगी;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में खाद्यान्नों की कुल कितनी कमी होने का अनुमान है; और

(ग) यह कमी किस प्रकार पूरी की जायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) यह परिकल्पना की जाती है कि 1971 के बाद खाद्यान्नों के रियायती आयात बन्द कर दिए जाएंगे। इनमें यू० एस० पी० एल० 480 के टाइटल 1 के अन्तर्गत आने वाले खाद्यान्न भी शामिल हैं।

(ख) 1970-71 में खाद्यान्नों के 1050 लाख मी० टन के उत्पादन के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि खपत के लिए 17 लाख मी० टन खाद्यान्न की कमी होगी। अधिक उत्पादन की सम्भावना और बेहतर अधिप्राप्ति से अब यह कमी कम हो सकती है और उत्पादन के अंतिम आंकड़े उपलब्ध होने पर ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

(ग) चालू वर्ष में खपत की अनुमानित कमी और बफर स्टाक की अतिरिक्त आवश्यकता को पी० एल० 480 करार के अधीन आयात कर तथा अन्य प्रबन्धों से पूरा किया जाएगा।

श्री एस० एम० कृष्ण : इसी वर्ष, 21 मार्च को, कृषि मंत्री महोदय ने यह वक्तव्य दिया था। कि खाद्यान्नों का आयात बन्द कर दिया जाएगा। 2 अप्रैल को उन्होंने अमरीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार पी० एल० 480 के अंतर्गत 15.7 लाख टन गेहूं का आयात किया जाना है। मैं सरकार से केवल एक बात पूछना चाहता हूं। सरकार ने गेहूं के 50 लाख मीटरी टन के सुरक्षित भण्डार की योजना बनाई थी। क्या यह लक्ष्य 1971 में प्राप्त हो जायगा ? क्या आप 1971 में 50 लाख मीटरी टन गेहूं का सुरक्षित भण्डार बनाने में सफल हो गये हैं ? क्या इसी भण्डार की पूर्ति के लिए यह आयात किया जा रहा है ?

श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे : मैंने और मेरे वरिष्ठ साथी ने जो कुछ कहा है उसमें कोई अन्तर नहीं है और हम निरन्तर यही बात कहते आये हैं। हमने इस सदन को यह आश्वासन दिया हुआ है कि हम 1971 के बाद खाद्यान्नों का रियायती आयात बन्द कर देंगे। इसीलिए मैंने अपने उत्तर में भी यह बात दोहराई है कि हम इस बात के लिए इस देश के प्रति और सदन के प्रति वचन-बद्ध हैं।

जहां तक सुरक्षित भण्डार का प्रश्न है, कुछ माननीय सदस्यों ने बार-बार यह पूछा है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि के बावजूद भी आयात क्यों किया जा रहा है ? इसका उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूं कि हमारे देश के गरीब लोगों की अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लोग किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि का सामना नहीं कर सकते। हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। इसीलिए हम चौथी पंच-वर्षीय योजना के अंत तक 50 लाख मीटरी टन का सुरक्षित भण्डार बनाना चाहते हैं। परन्तु यह सौभाग्य की बात है कि अब हमारे भण्डार की स्थिति बहुत संतोषजनक है और जो लक्ष्य हम चौथी पंच-वर्षीय योजना के अंत तक प्राप्त करना चाहते थे, सम्भवतः वह इसी वर्ष के अन्त तक प्राप्त हो जायेगा। वास्तव में जून के अन्त तक हमारे पास 75 से 80 लाख मीटरी टन का स्टाक है।

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या मंत्री महोदय ने बंगला देश और वहां से आने वाले शरणार्थियों से उत्पन्न स्थिति पर भी विचार कर लिया है ? क्या मंत्री महोदय को यह विश्वास है कि हमारे

पास जो स्टाक है, उससे यह मांग भी पूरी हो जाएगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक बंगला देश के शरणार्थियों का सम्बन्ध है, उसके बारे में तो हम सदा यही कहते रहे हैं कि उनके भरण-पोषण का दायित्व अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का है। परन्तु जहां तक हमारी खाद्यान्न की स्थिति का सम्बन्ध है; वह इतनी संतोषजनक है कि यदि हमें अस्थाई तौर पर शरणार्थियों का भरण-पोषण करना भी पड़े तो उससे हमारी राष्ट्रीय खाद्यान्न की स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या मंत्री महोदय ने इस वर्ष असामयिक वर्षा के कारण कृषकों को होने वाली रबी फसल की हानि पर भी विचार कर लिया है और कृषकों को रबी फसल की हानि से बचाने के लिए मशीनों की व्यवस्था की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आप तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री डी० एन० तिवारी : मैंने तो केवल इतनी ही बात पूछी है कि क्या रबी फसल की हानि की भी उन्होंने अपने वितरण में गणना कर ली है और क्या उसे दृष्टिगत रखते हुए, वह इस प्रकार की हानियों को समाप्त करने के लिए भविष्य में कोई योजना बना रहे हैं, या अपनी आयात नीति में कोई परिवर्तन कर रहे हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह ठीक है कि असामयिक वर्षा के कारण गेहूं की फसल को और विशेष रूप से काटी हुई फसल को काफी हानि हुई है। परन्तु इसके साथ ही उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि सभी जगह बाज़ारों में गत वर्ष की अपेक्षा अधिक अनाज आया है। अनाज की खरीद भी बहुत अधिक हुई है। इसीलिए हमारी आयात नीति में परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं है। यहां तक कि बिहार के बाज़ारों में भी अधिक अनाज आया है। उत्तर-प्रदेश के बाज़ारों में तो गत वर्ष की अपेक्षा चार से पांच गुना अधिक अनाज आया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को केवल "हां" या "नहीं" में संक्षिप्त उत्तर देना चाहिए।

मिश्रित इस्पात की कमी

*694. **श्री मुहम्मद शरीफ़** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद ने मई, 1971 में भविष्य वाणी की थी कि वर्ष 1976 के अन्त तक देश में लगभग सभी किस्मों के मिश्रित इस्पात की भारी कमी हो जाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और देश में मिश्रित इस्पात की कमी दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय व्याव-

हारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् को 1975-80 तक साधारण इस्पात तथा मिश्र तथा विशेष इस्पात की मांग का अनुमान लगाने का काम सौंपा है। उनकी अन्तिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुहम्मद शरीफ़ : क्या सरकार ने राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की कोई कालावधि निर्धारित की है ?

श्री मोहन कुमारमंगलम : यह प्रतिवेदन बहुत जल्द, केवल एक ही महीने में, प्राप्त होने की आशा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय ने कानपुर में एक विशेष मिश्रित इस्पात संयन्त्र लगाने का निर्णय किया है और इस परियोजना का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी यह तो एक अलग प्रश्न है।

श्री समर मुखर्जी : क्या सरकार दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयन्त्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री मोहन कुमारमंगलम : दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयत्र की उत्पादन क्षमता को एक लाख मीटरी टन से बढ़ाकर तीन लाख मीटरी टन करने के बारे में सैद्धान्तिक रूप से निर्णय किया जा चुका है और हिन्दुस्तान स्टील के केन्द्रीय इंजीनियरिंग डिज़ाईन ब्यूरो द्वारा इस का परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

पंजाब तथा हरियाणा में भंडार करने तथा परिवहन संबंधी समस्याओं के कारण खरीफ की फसल के अनाज को क्षति

*695. **श्री शशि भूषण :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ की फसल के खरीदे गये अनाज की कमी वाले राज्यों को भेजने में खाद्य निगम की असमर्थता के कारण पंजाब तथा हरियाणा में भंडार करने संबंधी गंभीर समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं,

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस स्थिति की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान दिलाया था और यदि हां, तो इस बारे में कब तथा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) खाद्य निगम के कार्य-करण के विरुद्ध और कितने राज्यों ने शिकायतें की हैं ; कैसी शिकायतें की हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). मैं एक विवरण सभा के पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 517/71]

Shri Shashi Bhushan : In Punjab and Haryana huge quantities of food grains were procured recently and a large quantity there of was affected by rains. The foodgrains stocked in several markets of Madhya Pradesh was also badly damaged ; as was disclosed in this House itself. I would like to know the reasons for the damage caused by rains to the procured foodgrains ? May I know whether Government have instituted any inquiry to look into this matter ?

The Minister said that we did not have sufficient storage facilities. Due to this, lakhs of tonnes of foodgrains have been damaged. There are a number of big godowns in possession of traders, who are middle men. I would like to know whether Government would take steps to acquire those big godowns of private foodgrain dealers ?

Mr. Speaker : Please put your sepcific question.

Shri Shashi Bhushan : My question is, whether Government will take over the empty godowns of private dealers and the palaces of former rulers lying unutilised?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, वह अच्छा है। हम इस सम्बन्ध में विचार करेंगे। यदि माननीय सदस्य हमें ठीक जानकारी दें तो राजमहलों के बारे में भी हमें आपत्ति नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Our agricultural production has sufficiently increased on account of green revolution, but the storage capabilty of Goverment has not increased proportionately. Now there is need of green revolution being brought about in respect of granary and storage facilities. May I know whether Government are taking any steps to reduce the time now taken in the process of thrashing the wheat and sending the wheat to stores ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य ने एक आधारभूत प्रश्न पूछा है चूंकि हमारा कृषि उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा है इसलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि फसल के बाद इस समय उपयोग में लायी जा रही तकनीक पर पुनर्विचार किया जाये। इस सम्बन्ध में हमने कृषि आयोग से अनुरोध किया है कि वह अपना अन्तरिम प्रतिवेदन शीघ्र ही सरकार को दे दें ताकि कोई कार्यवाही की जा सके ।

Shri Satpal Kapur : The problem of storage is a big one. Every year lakhs of tonnes of foodgrains are destroyed in the rains. Does the Ministry of Agriculture fix responsibility for it on anybody ? May I know the steps the Government are taking to face this problem properly ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह कहना तो ठीक नहीं है कि भण्डार व्यवस्था के अभाव में प्रतिवर्ष लाखों टन अनाज खराब हो जाता है । हां, यह सच है कि भण्डार के सम्बन्ध में कठिनाई

अवश्य रही है। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अकेले खाद्य निगम की वर्तमान भण्डारण क्षमता 70 लाख टन है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भांडागार निगम और राज्य सरकारों के अपने अपने भांडागारों की भण्डार क्षमता उपलब्ध है। किन्तु फिर भी भांडागारों की क्षमता पर्याप्त नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना में भांडागारों के निर्माण के लिए 74 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। अब तक हमारे सामने अनाज को केवल एक वर्ष तक भंडार में रखने की समस्या थी, किन्तु अब तो इतना अनाज उपलब्ध है कि उसे दो-तीन वर्ष तक रखने की समस्या है। इसके लिए हमें आधुनिकीकृत भांडागारों की आवश्यकता होगी। सरकार इस समस्या पर भी विचार कर रही है।

Shri B. P. Maurya : Hon. Minister gave an assurance that the procurement would not be stopped. But in some mandis like Tatiri of Uttar Pradesh, procurement has been stopped completely. Secondly the payment to the farmers is made at the rate of Rs. 70 per quintal while in the receipt the rate is shown as Rs. 76 per quintal. Moreover the agents, who procure foodgrains on behalf of the Food Corporation of India take more foodgrains in weight from the producers. All this is being done with the connivance of the officers of the Corporation. I would like to know the action taken against those officers of Corporation who are involved in it.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : खाद्य निगम के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध हम कठोर से कठोर कार्यवाही करने को तैयार हैं। किन्तु हमारे सामने समस्या यह है कि शिकायत तो की जाती है किन्तु वे बाद में सिद्ध नहीं हो पाती। अतः अब हमने यह अधिकार जिलाधीशों को दे दिया है। स्थिति पर नजर रखने के लिए सार्वजनिक समितियां भी गठित की जा रही हैं।

आयातित रासायनिक उर्वरकों के चढ़ाने-उतारने, परिवहन और भंडार बनाने का कार्य भारतीय खाद्य निगम को सौंपना

*697. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयातित रासायनिक उर्वरकों के चढ़ाने-उतारने, परिवहन और उनका भण्डार बनाने से सम्बन्धित कार्य भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके लिए निगम को कितनी धनराशि दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). मैं एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

विवरण

(क) जी हां। भारत सरकार ने पत्तनों पर म्यूरिएट तथा सल्फेट आफ पोटाश के अतिरिक्त समस्त प्रकार के आयातित उर्वरकों को संभालने, परिवहन तथा भंडारण का कार्य भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया है।

(ख) आयातित उर्वरकों को संभालने, परिवहन तथा भंडारण का कार्य भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया गया था, क्योंकि खाद्य विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय निदेशकों (खाद्य) के संगठनों को भारतीय खाद्य निगम ने अपने अधीन ले लिया था। इन संगठनों के पास (क) इस कार्य के लिए सभी मुख्य पत्तनों तथा कई छोटे पत्तनों पर विशेषज्ञ अधिकारियों तथा कर्मचारियों सहित कार्यालयों की व्यवस्था थी (ख) इस विषय में सबसे अधिक अनुभव था जो उन्हें अनेक वर्षों तक उर्वरकों को संभालने के कारण प्राप्त हुआ था। (ग) मुख्य पतनों पर विशिष्ट विभागीय श्रमिक थे (घ) संभालने के लिए यांत्रिक उपकरण थे तथा (ड.) इस संबंध में तकनीकी विशेषज्ञता तथा जानकारी मौजूद थी।

गत तीन वर्षों से कृषि मंत्रालय द्वारा उर्वरकों के संभालने, परिवहन तथा भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम को दी गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

1968-69*	1,02,07,529 रु0
1969-70	6,72,41,557 रु0
1970-71	3,06,33,728 रु0

(*16 दिसम्बर, 1968 से जब से कि निगम ने उर्वरकों को संभालने का कार्य आरम्भ किया था)।

Shri Narendra Singh Bist : May I know whether Government have seen the P. A. C. report of Andhra Pradesh wherein it is alleged that the Central Government have suffered a loss of Rs. 275 lakhs on account of transport and this case is pending with Central Bureau of Investigation ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मूल प्रश्न से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Narendra Singh Bist : The existing arrangement allows dual expenditure—on the one hand Government are making payment to Food Corporation of India as the rate of Rs. 4 per tonne and on the other the Food Corporation of India is itself incurring expenditure thereon. In such circumstances will the Government entrust the whole work to the Food Corporation of India in order to save this dual expenditure.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस प्रकार का कोई दुहरा खर्च नहीं हो रहा है। वस्तुत: यह कार्य पहले क्षेत्रीय निदेशकों (खाद्य) द्वारा किया जाता था किन्तु जैसे ही भारतीय खाद्य निगम अस्तित्व में आया, ये क्षेत्रीय निदेशक (खाद्य) भारतीय खाद्य निगम को स्थानान्तरित कर दिये गए थे।

पंजाब को एक ताप संयंत्र के लिए इस्पात का आवंटन

*700. **श्री सतपाल कपूर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पंजाब से भटिंडा, पंजाब में तापीय संयंत्र स्थापित करने के लिए, इस्पात का आवंटन करने हेतु कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसको कितनी मात्रा में इस्पात का आवंटन किया गया है ; और

(ग) क्या पूरी मांग स्वीकार कर ली गई हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) :

(क) जी, हां ।

(ख) भटिंडा तापीय विद्युत घर को अक्तूबर 1970 से सितम्बर, 1971 की अवधि में सप्लाई के लिए 7085 टन इस्पात का आवंटन किया गया है ।

(ग) चूंकि इस्पात की उपलब्धि कुल की गई मांग से कम है, अतः मांग-कर्ताओं द्वारा की गई समस्त मांग की पूर्ति करना संभव नहीं हो सका है ।

Shri Satpal Kapur : The Hon. Minister has stated that it has not been possible to allocate full quota of steel to Bhatinda Thermal Plant. In case Bhatinda Thermal Plant is not supplied steel, Punjab will be adversely affected. Due to non-cooperation of the department of Central Government the Punjab Electricity Board is carrying on its work by purchasing steel in black market.

श्री मोहन कुमारमंगलम : मेरी जानकारी में भटिंडा तापीय विद्युत घर के निर्माण कार्य के रुकने का कारण इस्पात की कमी नहीं है, जहां तक इस्पात के चोर बाजार में बिकने का प्रश्न है, यह इस कारण से हो सकता है कि जिन कतिपय व्यक्तियों को इस्पात का आवंटन किया गया है उन्होंने इसका अनधिकृत कार्यों में प्रयोग किया हो, हम उस पर रोक लगा रहे हैं और आशा है कि ऐसे कदाचारों को कम करने में हम समर्थ हो सकेंगे ।

Shri Satpal Kapur : My question was different. The steel for which the Government had placed indent in 1969 has not been supplied to Bhatinda Thermal Plant. There is a possibility that Punjab may suffer heavily Punjab Electricity Board is itself purchasing steel in black from the traders. I want to know when the steel, for which indent was placed will be supplied ?

श्री मोहन कुमारमंगलम : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि भटिंडा तापीय विद्युत घर अपना निर्माण कार्य जारी रखने के लिए अपने आवंटन के अतिरिक्त इस्पात खरीद रहा है ।

श्री सी० ई० भट्टाचार्य : क्या ऐसा कोई नियम है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में विद्युत कार्यक्रमों के लिए इस्पात का आवंटन किया जाता है । यदि हां, तो वह नियम क्या हैं ? यदि इस सम्बन्ध में कोई नियम है तो क्या बिहार के मामले में उसका पालन किया जा रहा है ?

श्री मोहन कुमारमंगलम : जहां तक तापीय विद्युत घर अथवा पन बिजली विद्युत घरों के निर्माण कार्य के लिए इस्पात के आवंटन का प्रश्न है, इस मामले में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग से विचार-विमर्श किया जाता है और ऐसे सभी निर्माण कार्यों के लिए आवंटन केन्द्रीय जल तथा विद्युत के माध्यम से किया जाता है जो अलग-अलग विद्युत घरों को आवंटन करता है । हम इसी

नीति का अनुसरण कर रहे हैं। जहां तक बिहार का संबंध है, मेरे पास अभी सूचना नहीं है, माननीय सदस्य इसके लिए अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अहमद आगा : क्या यह सच नहीं हैं कि जम्मू और काश्मीर सरकार लोअर झेलम पन बिजलीघर के लिए इस्पात प्राप्त करने हेतु भरसक प्रयत्न कर रही है।

Mr. Speaker : This question pertains to Punjab.

श्री अहमद आगा : उन्होंने बिहार के बारे में पूछा था इसलिए मैं काश्मीर के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री के० सूर्यनारायण : मैं आन्ध्र के बारे में पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं हो सकता।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में रद्दी लोहे और पिटवां लोहे का भारी मात्रा में जमा हो जाना

*701. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में रद्दी लोहा और पिटवां लोहा बड़ी मात्रा में जमा हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इसको किस प्रकार बेचने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) भिलाई, राउरकेला अथवा दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में पिटवां लोहा (राट आइरन) तैयार नहीं किया जाता है। रद्दी लोहे को यथा संभव कारखानों में ही काम में लाया जाता है और शेष को बेच दिया जाता है। हिन्दुस्तान स्टील लि० से सूचना मिली है कि चूंकि कच्चे लोहे की प्रदाय स्थिति अच्छी है इसलिए कारखानों में कुछ हद तक रद्दी लोहा जमा हो गया है।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० ने एक कारखाने में जमा हुए रद्दी लोहे को टेण्डर के द्वारा बेचने का निश्चय किया है। इस टेण्डर की मांग की प्रतिक्रिया देखने के पश्चात् शेष दो कारखानों के रद्दी लोहे के विक्रय के बारे में निर्णय किया जायेगा।

श्री बी० के० दास चौधरी : मेरे विचार में उत्तर पूरा नहीं है। फिर भी मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछली बिक्री करने के बाद से इन इस्पात कारखानों में यह कितना जमा हो गया है और क्या पिछली बिक्री टेण्डर द्वारा की गई थी अथवा इन कतिपय अधिकारियों, जिनकी इसमें अत्यधिक रुचि थी, के सहयोग से गैर-सरकारी व्यक्तियों के साथ बातचीत करके की गई ?

श्री मोहन कुमारमंगलम : जहां तक पिटवां लोहे का संबंध है इस बारे में सवाल नहीं उठता है क्योंकि इसका निर्माण किसी भी इस्पात कारखाने में नहीं किया जाता है। जहां तक रद्दी लोहे का संबंध है, इसका प्रयोग कारखाने में ही करने का प्रयास किया जाता है और शेष को उपलब्ध होने की स्थिति में बेच दिया जाता है। पहले अवसरों पर शेष रद्दी लोहे का टेण्डर मंगाकर बेच दिया जाता था। मुझे उस तिथि के बारे में पता नहीं है जब पिछली बार यह बेचा गया था। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उनको सूचित कर सकता हूँ। स्टॉक की वर्तमान स्थिति यह है ; रूरकेला में लगभग 30,000, भिलाई में 11,000 और दुर्गापुर में 9,500, जहां तक रूरकेला का संबंध है, हिन्दुस्तान स्टील ने टेण्डर मंगाकर इसे बेचने का निर्णय किया है जिसको यथाशीघ्र अन्तिम रूपदिये जाने की संभावना है। इन टेण्डरों के परिणाम को देखते हुए हिन्दुस्तान स्टील निर्णय करेगा कि भिलाई और दुर्गापुर के मामले में क्या किया जाए। आप मानेंगे कि इसकी लागत अपेक्षाकृत कम हैं और इसलिए हम अथवा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड इसको बेचने की रीति के बारे में सावधान होना चाहता है।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि कई वर्षों से इस बात का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है कि जमा हुए रद्दी लोहे की वास्तविक मात्रा कितनी है। मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या भिलाई और रूरकेला में जमा हुए रद्दी लोहे का कोई मूल्यांकन किया गया है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और संबंधित अधिकारियों ने अप्रयुक्त पड़े रद्दी उत्पादों में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई है ?

श्री मोहन कुमारमंगलम : मेरे विचार में इस समय कच्चे लोहे की सप्लाई की स्थिति में क्योंकि अच्छी हैं इसलिए रद्दी लोहे को बेचने में कठिनाई उत्पन्न हुई हैं। हिन्दुस्तान स्टील जो वर्तमान प्रक्रिया अपना रही है उसका उद्देश्य इस बात की परीक्षा करना है कि रूरकेला के लिए टेंडर मांगने से क्या परिणाम निकलता है और फिर वह अन्य दो कारखानों के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know from the Hon. Minister that the useless iron is disposed of through tender...

Shri Shashi Bhushan : The iron is never useless.

Shri Hukam Chand Kachwai : The scrap iron which has no use is disposed of by inviting tenders, and that is in great demand in the market. But some people who have monopoly buy it by tender system and in connivance with others and as such this is not given to small people. Will the Government, therefore, formulate such policy as to ensure that small scale industrialists may be able to purchase it and to impose a check so that people do not sell it in the market at higher a prices than the prices at which they purchased it ?

श्री मोहन कुमारमंगलम : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि कच्चे लोहे की भारी मांग है और उसकी कमी है। हमारी सूचना के अनुसार इस समय कच्चे लोहे की सप्लाई की स्थिति संतोषजनक है और इसी कारण हिन्दुस्तान स्टील रद्दी लोहे को बेचने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। इसलिए अधिकारियों और बाहरी व्यक्तियों के ऊपर अतिक्ति लाभ कमाने के षडयन्त्र का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री समर गुह : क्या यह सच नहीं है कि रद्दी लोहे को इस्पात सम्बन्धी कार्य के लिए पुनः पिघलाकर उसका भांति-भांति उपयोग किया जा सकता है और कच्चे अयस्क की तुलना में उससे अच्छा उत्पादन होता है और यदि हां, तो इस रद्दी लोहे का उपयोग कच्चे माल के रूप में न करके इसको क्यों बेचा जा रहा है ?

श्री मोहन कुमारमंगलम : इन इस्पात कारखानों के रद्दी लोहे में से जिसका उपयोग कारखानों में ही किया जा सकता है, उसका वही उपयोग किया जाता है, केवल कारखानों में उपयोग न किए जा सकने वाले रद्दी लोहे को बेचा जाता है (**व्यवधान**) ।

गैर सरकारी क्षेत्र में नये इस्पात कारखानों की स्थापना

*702 : **श्रीज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के उपबन्धों के अनुसार लोहा और इस्पात उद्योग के भावी विकास की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संकल्प को संशोधित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो संकल्प का उलंघन करके गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को लोहे और इस्पात के कारखानों का निर्माण करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग) : औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में (संकल्प के पैरा 7 में) 'लोहा और इस्पात' उद्योग को ऐसा उद्योग बताया गया है कि जिसका भावी विकास पूर्णरूपेण सरकार का उत्तरदायित्व होगा। परन्तु इसमें निजी क्षेत्र की वर्तमान इकाइयों के विस्तार की अनुमति है और इसमें इस बात की भी व्यवस्था है कि नई इकाइयों की स्थापना के लिए यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तो निजी क्षेत्र के उपक्रमों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है (पैरा 8) ।

संकल्प में विशेष तौर से यह कहा गया है कि इसके वर्गीकरण में निश्चय ही कुछ सीमा तक अतिच्छादन (Overlapping) हो सकता है और उनको अधिक कठोरता पूर्वक अपनाने से परिलक्षित उद्देश्य के विफल होने की संभावना है । (पैरा 6) ।

संकल्प में इस बात का भी संकेत है कि देश के विभिन्न भागों के औद्योगीकरण के अन्तर को क्रमिकरूप से कम किया जाना चाहिए । (पैरा 15) ।

अतः लोह खनिज से लोहा और इस्पात जैसे आधारभूत धातु के उत्पादन कार्य के विकास को सरकारी क्षेत्र के अधीन रखा गया है ।

इस व्याख्या में ऐसी कोई भी औद्योगिक प्रक्रिया शामिल नहीं है जिसमें लोहा अथवा इस्पात को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। इसका कोई भी दूसरा अर्थ लगाने से अवांछित परिणाम निकल सकते हैं। निजी क्षेत्र की किसी भी नई कम्पनी को लौह खनिज से इस्पात बनाने का कारखाना लगाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है।

कुछ निजी क्षेत्र की इकाइयों को लौह खनिज, से लोहा बनाने की अनुमति दी गई है और इस समय ऐसे दो कारखाने काम कर रहे हैं। जिनमें से एक को अब सरकारी क्षेत्र में ले लिया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लघु की लम्बाई हमें मालूम नहीं है। परन्तु वे लघु समाजवाद का अनुकरण कर रहे हैं। लघु इस्पात कारखानों के संबंध में सरकार कतिपय गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को लाइसेंस देकर औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में निर्धारित इस विशेष प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर रही हैं जिसमें कहा गया है।

"राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में देश की समाजवादी व्यवस्था अपनाने और सुनियोजित तथा तीव्र विकास के लिए यह अपेक्षित है कि आधारभूत तथा सामरिक महत्व की अथवा जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित उद्योगों की स्थापना सरकारी क्षेत्र में की जाए...प्रथम वर्ग के उद्योगों को इस संकल्प की अनुसूची 'क' में रखा गया है, इन उद्योगों में समूचे नए एककों की केवल उनको छोड़कर जिनको गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए पहले ही मंजूरी दी गयी है, सरकारी क्षेत्र में की जाएगी।"

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे शीघ्र पूरा नहीं करेंगे तो प्रश्नकाल समाप्त हो जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसे आधे सैकंड में समाप्त करूंगा। क्या मंत्री महोदय मेरे साथ इस बात पर सहमत हैं कि लघु इस्पात कारखानों को गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने के प्रस्ताव पर विचार करके उन्होंने औद्योगिक नीति संकल्प 1956 का उल्लंघन किया है?

श्री मोहन कुमारमंगलम : मैं इससे सहमत नहीं हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गौरक्षा समिति का प्रतिवेदन

*693. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौवध पर रोक लगाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

कृषि विश्वविद्यालयों के लिए विश्व बैंक की ओर से ऋण

*696. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता देने हेतु भारत को ऋण देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितना ऋण दिया गया है तथा उससे और क्या सहायता मांगी गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख). भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की सहायता करने के लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार से अभी तक कोई करार नहीं किया है। तथापि असम, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में कृषि विश्वविद्यालयों के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव विचार अधीन है।

तमिल नाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार जुटाने के द्रुत कार्यक्रम का कार्यान्वयन

*698. **श्री जी० मुवाराहन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार जुटाने के द्रुत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु सरकार की सहायता के लिए मद्रास में किसी केन्द्रीय सरकारी अधिकारी को नियुक्त किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर कोई रिपोर्ट भेजी जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी कोयला खान क्षेत्रों में नई खानें खोलने पर प्रतिबन्ध में ढील देना

*703. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, गैर-सरकारी कोयला खान क्षेत्रों में नई खानें खोलने पर लगे प्रतिबन्धों में, कुछ शर्तों पर, ढील देने पर सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

फालतू और सब स्टेंडर्ड दूध का उपयोग करने के लिए दुग्ध अध्ययन परियोजनाओं की लागत

*704. **श्री पी० गंग देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) फालतू और सब-स्टैंडर्ड दूध का उपयोग करने हेतु कम खर्चीला तरीका निकालने के लिए स्थापित की जाने वाली तीन परियोजनाओं पर कितनी लागत आयेगी; और

(ख) इन परियोजनाओं पर कार्य कब आरम्भ होगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) सरकार ने अधिशेष/घटिया दुग्ध उपयोग की मितव्ययी पद्धति के विकास के लिये भारतीत कृषि अनुसंधान परिषद् के माध्यम से एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना स्थापित की है । इस परियोजना की कुल लागत 35.24 लाख रुपये है ।

(ख) यह परियोजना पहली अप्रैल, 1970 से चल रही है । उस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 9 केन्द्र और राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल स्थित एक समन्वित एकक मंजूर किये गये हैं :—

1. बंगलौर डेरी, बंगलौर ।
2. दुग्ध उत्पाद कारखाना, विजयवाड़ा ।
3. दुग्ध सागर, डेरी, मेहसाना ।
4. सरकारी दुग्ध परियोजना, कटक ।
5. इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद ।
6. हरिपघाटा डेरी, हरिपघाटा, पश्चिम बंगाल ।
7. वारली डेरी, बम्बई ।
8. सरकारी दुग्ध संयंत्र, अमृतसर ।
9. सरकारी दुग्ध परियोजना, पटना ।

वनस्पति तेलों की कमी को दूर करने के लिए तोरिया बीज का आयात

*705. **श्री नुग्घल्ला शिवप्पा** :

श्री के० लकप्पा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनस्पति तेल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कारण उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कतिपय देशों से तोरिया बीज का आयात करने का है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1971-72 में कितनी मात्रा में तोरिया बीज का आयात किया जायेगा ; और

(ङ) उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). चालू वर्ष में तिलहनों/तेल के उत्पादन में पर्याप्त सुधार होने के बावजूद देश में तेलों की कुल मिलाकर सप्लाई स्थिति उनकी बढ़ती हुई मांग के मुकाबले में अब भी कम है।

(ग) जी हां, कनाडा से

(घ) लगभग 50,000 मीटरी टन।

(ङ) : 50 वर्ष में वापिस किये जाने वाले दीर्घकालीन ब्याज मुक्त ऋण के प्रति अनुमानतः 65 लाख कनेडियन डालर जिसकी पहली किश्त 1981-82 से शुरू होगी। विदेशी मुद्रा का तत्काल खर्चा भाड़े तक सीमित है जोकि लगभग 130 रुपये प्रति मीटरी टन है।

कोयला खानों को लौह तथा इस्पात की सप्लाई की पद्धति में परिवर्तन

*706. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कोयला खानों को लौह और इस्पात सप्लाई करने की प्रणाली में हाल में कुछ परिवर्तन किये गये हैं;

(ख) क्या इन परिवर्तनों के कारण कोयला खानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या कोयला खानों ने कोई ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने पुरानी प्रणाली लागू करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तुत किये गये ज्ञापन का परिणाम क्या निकला है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) से (घ). इस्पात की मांग में वृद्धि तथा प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताएं प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए लोहे और इस्पात की सप्लाई करने की प्रणाली में कुछ परिवर्तन किये गये थे जो अक्तूबर 1970 से लागू किए गए हैं।

इस संशोधित प्रणाली के बारे में कोयला खनन उद्योग से जनवरी, 1971 में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था इसका उत्तर दे दिया गया था। तदुपरान्त एक नया अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसपर विचार किया जा रहा है।

गेहूं की 'कल्याण सोना' किस्म में से पीली फफूंदी नामक रोग का उन्मूलन

*707. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक व्यापार रूप से बोए जाने वाले 'कल्याण सोना' किस्म के गेहूँ को पीली फफूंदी का रोग शीघ्र लगता है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारण प्रति वर्ष कितनी हानि होती है; और

(ग) इस रोग का उन्मूलन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) वास्तव में कोई हानि नहीं हुई ; अब तक फफूंदी का प्रभाव बहुत कम रहा है।

(ग) पीली फफूंदरी की प्रतिरोधक किस्मों का पता लगाने के लिए अनुसंधान किए जा रहे हैं। फफूंद की अन्य प्रतिरोधक किस्में उगाने के लिये विस्तार प्रयत्नों के माध्यम से कृषकों को शिक्षा दी जा रही है।

राष्ट्रीय रोजगार निधि

*708. **श्री तेजासिंह स्वतन्त्र :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर पर आधा प्रतिशत अधिकार लगाकर 1,000 करोड़ रुपयों की एक राष्ट्रीय रोजगार निधि बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जैसा कि 1970 में बंगलौर में आयोजित रोजगार सम्बन्धी विचारगोष्ठी में सुझाव दिया गया था; और

(ख) बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले कृषि श्रमिकों पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सरकार को सेमीनार या सुझाव के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं है। इस प्रकार का कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

रानीगंज आसनसोल कोयला पट्टी की कोयला खानों को माल गाड़ी डिब्बों का कम सप्लाई और माल गाड़ी डिब्बों में लदान करने वाले मजदूरों की छटनीं

*709. **श्री मनोरंजन हाजरा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज आसनसोल की कोयला पट्टियों की विभिन्न कोयला खानों को मालगाड़ी डिब्बों की सप्लाई कम होने के कारण इन डिब्बों में समान लादने वाले अधिकांश मजदूरों की या तो छंटनीं कर दी गई है अथवा उन्हें नैमित्तिक कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन मजदूरों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को रेलवे मंत्रालय के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इस प्रकार का कोई विशिष्ट मामला ध्यान में नहीं आया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) माल-डिब्बों की कमी का प्रश्न रेल मंत्रालय से उठाया गया है जो इससे मूलतः सम्बन्धित हैं।

(घ) क्षेत्र में माल-डिब्बों की कमी और बातों के साथ साथ, सुव्यवस्था की स्थिति में बिगाड़ और चोरी और उठाईगिरी के कारण हुई बताई जाती हैं । रेल मंत्रालय में, स्थिति में सुधार लाने के उपाय समायोजित करने हेतु, राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित किया ।

बिहार में झरिया कोयला पट्टी की कोयला खानों का बन्द होना

*710. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में झरिया कोयला पट्टी की कुल कितनी कोयला खानों में 1 जनवरी, 1970 से तालाबन्दी घोषित कर दी गयी है अथवा उन्हें बन्द कर दिया गया है;

(ख) उन कोयला खानों के नाम क्या है;

(ग) इससे प्रत्येक कोयला खान में कितने मजदूरों पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इन कोयला खानों को पुनः चालू कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

श्रमिकों द्वारा उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेने हेतु प्रशिक्षण योजना

*711 **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड ने देश के कुछ राज्यों में कारखाना-स्तर पर संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के माध्यम से उद्योगों के प्रबन्ध में कारगर ढंग से भाग लेने के लिए मजदूरों को प्रशिक्षित करने हेतु किसी विशेष प्रशिक्षण-योजना का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं की क्रियान्विति से क्या लाभ होंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). श्रमिक शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड उपयुक्त केन्द्रों में कार्य समितियों और संयुक्त प्रबंध परिषदों के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए चार सप्ताहों के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य भाग लेने वालों के इन समूहों के सदस्यों के रूप में उनके ठीक ठीक कार्य भाग निर्धारित करना है। अन्य किसी विशेष प्रशिक्षण योजना को लाने का प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश के चीनी के कारखानों में चीनी के भण्डार जमा हो जाना

*712 **श्री राजदेव सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश स्थित चीनी के कारखानों में बड़ी मात्रा में चीनी के भण्डार जमा हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों के पास 7 जून, 1971 को 12.10 लाख मी० टन चीनी का स्टाक था जबकि गत वर्ष की उसी तारीख को यह स्टाक 11. 93 लाख मीटरी टन था।

(ख) 25 मई, 1971 से चीनी के मूल्य, वितरण और संचलन पर से सभी प्रतिबन्ध उठा लिए गए हैं लेकिन चीनी कारखानों द्वारा चीनी की बिक्री के लिए चीनी की नियुक्ति का विनियमन किया जाता रहेगा। सरकार बिक्री के लिए चीनी की नियुक्ति उदारतापूर्वक कर रही है।

परिवहन और भण्डार की कठिनाइयों के कारण भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि

*713. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969-70 और 1970-71 में भारतीय खाद्य निगम को परिवहन और भण्डार की कठिनाइयों के कारण कितनी हानि हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : भारतीय खाद्य निगम को

विशेषकर केवल परिवहन तथा भण्डारण की कठिनाइयों के कारण हुई हानि का ठीक ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान विभिन्न कारणों से लाने-ले जाने तथा भण्डारण में खाद्यान्नों की हानि हुई थी । वर्षा लाने-ले जाने तथा भण्डारण जैसे कारणों से हुई हानि कुल सम्भाले गए खाद्यान्नों का लगभग 0.92 प्रतिशत बैठती है ।

हिमालय क्षेत्र में कृषि के लिए भारत-जर्मन कृषि परियोजना का कार्यकरण

*714. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विविध प्रकार के अपने कार्यकलापों के द्वारा एक भारत-जर्मन कृषि परियोजना (आई0 जी० ए० डी० ए०) हिमाचल क्षेत्र में कृषि के विकास के कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में आई0 जी0 ए0 डी0 ए0 ने क्या कार्य किये हैं तथा करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) अब तक की इसकी सफलताएं क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । एक भारत-जर्मन कृषि परियोजना अलमोड़ा (उत्तर प्रदेश) में स्थिति है ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारत सरकार और जर्मन संघीय गणतंत्र सरकार के बीच 31-7-1969 को अल्मोड़ा परियोजना सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर हुए थे । यह करार तीन वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा । इस करार के अनुसार अल्मोड़ा जिले में कृषि विकास के लिए निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे :—

(1) कृषि विकास जिसमें चारा की खेती भी सम्मिलित है;

(2) पशुपालन तथा पशु पोषण;

(3) फल, सब्जियों का, (जिनमें आलू भी सम्मिलित हैं) उगाना और उनका परिसंस्करण;

(4) पौध रक्षण तथा कीट एवं रोग नियंत्रण;

(5) कृषि जल प्रबन्ध, सिंचाई तथा भूमि संरक्षण;

(6) कृषि इंजीनियरिंग तथा यंत्रीकरण;

(7) अन्य सम्बद्ध क्षेत्र जिनके सम्बन्ध में करार तय पाने वाली पार्टियों में आपस में सहमति है।

इस करार के अन्तर्गत जर्मन संघीय गणतन्त्र सरकार ने विशेषज्ञों का एक दल उपलब्ध किया

है और कुछ उपकरण तथा उर्वरक आदि उत्पादन के कुछ साधन भी उपलब्ध किए हैं। भारत सरकार आवश्यक भारतीय स्टाफ, धन और इस परियोजना की क्रियान्विति के लिए आवश्यक अन्य सभी सहायता प्रदान करती है।

जून, 1970 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान अधिक उत्पादनशील किस्म के कार्यक्रम के अन्तर्गत 13,900 एकड़ क्षेत्र में खेती की गई जबकि गत खरीफ, 1969 की तदनुरूप अवधि के दौरान लगभग 2,243 एकड़ क्षेत्र में खेती की गई थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रबी 1969-70 के दौरान 10,161 एकड़ क्षेत्र में खेती की गई जबकि गत रबी 1968-69 के दौरान 6,000 एकड़ क्षेत्र में खेती की गई थी।

खरीफ 1970 के दौरान 12,800 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है जबकि गत खरीफ के दौरान 3,502 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया था। वर्ष 1969-70 के दौरान 260 क्विन्टल बीज वितरित किया गया जबकि वर्ष 1968-69 में 478.42 क्विन्टल बीज वितरित किया गया था। रबी तथा खरीफ 1969-70 के दौरान 295.5 मीटरी टन और 131 मीटरी टन उर्वरक वितरित किया गया जबकि वर्ष 1968-69 के दौरान पौध पौषक तत्वों के रूप में 174 मीटरी टन और 103 मीटरी टन उर्वरक वितरित किया गया था। उर्वरकों की खरीफ को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रकार के उर्वरक प्रदर्शन तथा मिश्रित प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं।

कृषि कार्यक्रम में सफलता सुनिश्चित करने के लिए मुद्रा परीक्षण प्रयोगशाला नैनीताल द्वारा जून, 1270 तक 1455 मृदा नमूनों का विश्लेषण किया गया। वर्ष 1970-71 में 12,750 मृदा नमूनों का विश्लेषण करने का लक्ष्य है।

उन्मत कृषि उपकरण (कर्मशाला) प्रदर्शन, प्रशिक्षण प्रचार, कृषि उद्यान तथा भूमि संरक्षण आदि कई अन्य कार्यक्रम भी चालू हैं।

Use Of Tallow In Manufacture of Vanaspati Ghee

*715. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have come to know that the tallow used in the manufacture of soap is being utilised in preparing vanaspati ghee; and

(b) if so, the measures proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry Of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir. Periodical inspection of vanaspati factories has not revealed any usage of tallow in the manufacture of vanaspati.

(b) Does not arise.

भाण्डागार की उचित सुविधाओं की कमी के कारण खाद्यान्न का नष्ट हो जाना

*716. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाण्डागार की उचित सुविधाओं की कमी के कारण सरकार के अनुमान से प्रत्येक वर्ष कितना खाद्यान्न नष्ट अथवा खराब हुआ है ; और

(ख) कुल औसत उत्पादन में इसका प्रतिशत क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) . खाद्यान्नों की क्षति के ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस बारे में कोई बाकायदा सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक विशेषज्ञ समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया है कि किसानों, व्यापारियों तथा अन्य स्टाकिस्टों के पास रखे सारे स्टाक को ध्यान में रखते हुए भण्डारण में खाद्यान्नों की क्षति लगभग 6 प्रतिशत हो सकती है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा सम्भाले गए खाद्यान्नों के सम्बन्ध में यह हानि भण्डार किए गए स्टाक के 1 प्रतिशत के अन्दर अन्दर ही है।

दण्डकारण्य में और अधिक विस्थापितों का पुनर्वास

*717. **श्री के० प्रधानी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दण्डकारण्य में कुछ और विस्थापित व्यक्तियों को बसाने का है ;

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में कितने और परिवारों के वहां बसाए जाने की सम्भावना है ;

(ग) अपने परिवार को बसाने के लिए विस्थापित व्यक्ति को क्या सहायता दी गई हैं ; और

(घ) परियोजना क्षेत्र में बसने के इच्छुक आदिवासी परिवार को क्या सहायता दी गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) अक्टूबर, 1970 से सितम्बर, 1971 के वर्ष के कार्यक्रम के अन्तर्गत, पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लगभग 1,000 परिवारों को जो पहले से ही वहां हैं, बसाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) . एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 518/71)**

Procurement of Foodgrains in Madhya Pradesh

*718. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) Whether the Food Corporation of India has stopped procurement of foodgrains in Madhya Pradesh; if so, the reasons therefor;

(b) whether Government are aware that large stocks of unsold foodgrains are lying with the farmers as a result of which they are not able to get the sale proceeds of their produce;

(c) whether the foodgrains procured by the Corporation during the year are still lying in the open; if so, the quantity there of; and

(d) the quantity of foodgrains damaged as a result of their lying in the open and exposed to rains ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No, Sir.

(b) No report has been received by Government about large stocks of unsold foodgrains lying with the farmers. However, since wheat procurement is still going on, there will be stocks with the farmers which will be purchased when these are offered for sale at the procurement price.

(c) When the procurement is heavy there is always a time-lag between purchase in the mandis and clearane to the depots in that the grains have to be cleaned and bagged before despatch. Therefore,at anytime, there will always be some quantity of grains in the mandis waiting for clearance; but such stocks are not very large.

(d) Precautions are taken to ensure that the stocks that are lying in the mandis awaiting clearance are properly covered with tarpaulins, etc. to prevent damage by rains. There has been no report of damage to foodgrains which are so awaiting clearance.

तरल गैस के सिलेंडरों के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता

*719. **श्री बी० एस० मूर्ती** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष प्रकार के इस्पात की कमी के कारण, तरल गैस के सिलेंडरों के निर्माण के लिए नए कारखाने स्थापित करने को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है ;

(ख) उक्त कमी कब तक रहेगी ; और

(ग) भारत में अपेक्षित किस्म के इस्पात का उत्पादन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय तरल पैट्रोलियम गैस की सिलेंडरों से है। यदि यह ठीक है तो यह सही नहीं है कि विशेष प्रकार के इस्पात की कमी के कारण उनके निर्माण के लिए नए कारखानों की स्थापना को निरुत्साहित किया जा रहा है।

(ख) और (ग). भारत में अपेक्षित किस्म के इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है। इस किस्म के इस्पात की उत्पादन क्षमता की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है परन्तु यह ठीक है कि वर्ष 1970-71 में वास्तविक प्रेषण प्रत्याशित स्तर से कुछ कम थे। यह मुख्यतया राउरकेला इस्पात कारखाने में इस्पात के उत्पादन में कमी के कारण हुआ। 1971-72 में उत्पादन के सामान्य स्तर को ऊंचा करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

त्रिपुरा को खाद्यान्न भेजने के लिए माल डिब्बों का उपलब्ध न कराया जाना

*720. **श्री दशरथ देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा त्रिपुरा के लिए नियत किए गए खाद्यान्नों का वहन गत तीन महीनों से माल डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण रुका पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को शीघ्र दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) त्रिपुरा के लिए धर्मनगर स्टेशन पर विभिन्न जिन्सों की भारी आमद और माल को उतारने और हटाने में कठिनाइयों के कारण रेलवे ने मई, 1971 में धर्मनगर। त्रिपुरा 'आउट' एजेंसी के लिए खाद्यान्नों की बुकिंग प्रतिबन्धित / विनियमित कर दी थी। जब त्रिपुरा प्रशासन ने पर्याप्त परिवहन-व्यवस्था की थी तब जमाव साफ हो गया था और 4 जून, 1971 से रेलवे ने खाद्यान्नों की सामान्य बुकिंग की अनुमति दे दी है।

बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या का अध्ययन करने के लिए 'वार आन वान्ट' ब्रिटिश दल का दौरा

2981. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या का घटना स्थल पर अध्यन करने के लिए ब्रिटेन के एक ऐच्छिक संगठन 'वार आन वांट' के प्रतिनिधि दल ने मई में वहां का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला तथा संगठन ने क्या सहायता दी ; और

(ग) क्या कुछ और विदेशी प्रतिनिधि दलों ने भी समस्याओं का अध्ययन किया है, और यदि हां तो किन किन देशों से और उन्होंने क्या सहायता की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) दल का निष्कर्ष भारत सरकार को सूचित नहीं किया गया है । 'वार आन वांट' और अन्य ऐच्छिक संगठनों ने एक वायुयान कलकत्ता भेजा है जिसमें पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिए तम्बू, तिरपालें, दूध का पाउडर, विटामिन की गोलियां और वस्त्र इत्यादि भेजे गए हैं। इस विशेष एजेंसी का वास्तविक अंशदान ज्ञात नहीं है ।

(ग) बहुत से अन्य विदेशी ऐच्छिक संगठनों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के प्रतिनिधियों ने भी पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की आवश्यकताओं का निर्धारण किया है। एक विवरण, जिसमें विदेशी सरकारों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और ऐच्छिक एजेन्सियों द्वारा प्रस्तावित प्राप्त सहायता का ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-519/71]

Geological Survey Goldre deposits in M. P.

2982 Shri G.C. Dixit : Will the Minister **of Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Geological Survey of India has carried out any survey and located gold deposits somewhere in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the action taken to exploit them commercially ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Mohan Kumaramangalam) : (a) Geological Survey of India have conducted preliminary reconnaissance for gold in parts of Balaghat district during 1968-69 but no gold traces of significance were located.

(b) The question of exploitation does not arise since no significant traces of gold have been located.

वर्ष 1969 में बेरोजगार हुए कर्मचारी

2983. **डा० जी० एस० मेलकोटे** :क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 में प्रत्येक राज्य में वित्तीय कठिनाइयों, क्रयादेशों, और कच्चे माल आदि की कमी के कारण कारखाने बन्द होने से कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए ; और

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) . सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

राज्यों में क्रियान्वित की गई छोटी सिंचाई योजनाएं

2984. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्यों में कितनी छोटी सिंचाई योजनाएं क्रियान्वित की गई ;

(ख) क्रियान्वित की गई योजनाओं की मुख्य बातें, जिनमें इस पर खर्च होने वाली धन-राशि भी शामिल है, क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में क्रियान्वित की गई योजनाओं से राज्यवार कुल कितने क्षेत्र को लाभ पहुंचा ;

(घ) चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य में कितनी योजनाएं क्रियान्वित की गईं ;

(ङ) इस शीर्ष के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और इसके लिए केन्द्र ने कुल कितनी धनराशि दी ; और

(च) प्रत्येक राज्य से उक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने से कुल कितने क्षेत्र को लाभ पहुंचने की संभावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ). देश में लघु सिंचाई कार्यक्रमों में सर्वोपरि रूप से खुदाई कूपों का निर्माण, खुदाई कूपों को बोर करना, कूपों का सुधार, कम गहरे नलकूप लगाना (फिल्टर प्वाइन्ट सहित) पम्पसेट, रहट, राजकीय नलकूप, स्रवण तालाब, पुराने तालाबों का नवीन करण, भंडारों और मोड़ कार्यों का निर्माण आदि शामिल है । इन कार्यों को मंजूर करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । यह कार्य अधिकांश राज्यों में तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यताओं के अनुसार किये जा रहे हैं ।

पिछले तीन वर्षों में राज्यों में ऐसी लघु सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वियन और प्रत्येक राज्य में चालू वर्ष में की जा रही योजनाओं की जानकारी उपलब्ध ही नहीं है और इसे एकत्र करने में पर्याप्त समय और श्रम अपेक्षित है जो इस से अनुप्राप्त परिणामों से कहीं अधिक होगा ।

विभिन्न लघु सिचाई योजना द्वारा राज्यवार लाभान्वित क्षेत्र और पिछले तीन वर्षों में (1968-69 से 1970-71) सार्वजनिक क्षेत्र किए गए व्यय को दिखाने वाले विवरण क्रमशः अनुबन्ध 1 और 2 में दिये गये हैं । [**ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 520/71**] ।

(ङ) और (च). चालू वर्ष में लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए योजना आयोग द्वारा मंजूर की गई राशि अनुबन्ध 111 में दी गई है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या 520/71** ।]

1-4-1969 से चालू पद्धति के अनुसार वार्षिक योजना के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता यकमुश्त खण्डा ऋण और खण्ड अनुदान के रूप में दी जाती है और एक योजना या योजना समूह या विकास शीर्षकों के आधार पर नहीं दी जाती। इसे देखते हुए लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक राज्य को दिये गये धन को केन्द्रीय हिस्से को अलग रूप से नहीं बताया जा सकता। प्रत्येक राज्य में विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन से 1971-72 में लाभन्वित क्षेत्र के लिए योजना आयोग द्वारा मंजूर लक्ष्यों की तुलना में अनुप्राप्ति के आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

आम अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

2985. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या कृषि मंत्री 10 जून, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 397 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में कितने आम अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जायेंगे;

(ख) प्रत्येक केन्द्र की स्थापना के लिए क्या कसौटी निर्धारित की गई है; और

(ग) इस प्रयोजना के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) लखनऊ के निकट एक केन्द्रीय आम अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ योजना की अवधि में फल विषयक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत आमों पर अनुसंधान के लिए पांच केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

(ख) केन्द्र के लिए स्थान के चयन में उस केन्द्र द्वारा आवृत किए जाने वाले क्षेत्र में फसल के महत्व को ही मुख्य माप दंड माना जाता है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण आम उत्पादक राज्य है। इस राज्य में 2.67 लाख हैक्टार क्षेत्र आम की फसल के अन्तर्गत हैं। अतः बस्ती (उत्तर प्रदेश) में समन्वित परियोजना का एक केन्द्र स्थापित किया गया है। द्वितीय महत्वपूर्ण आम उत्पादक राज्य आन्ध्र प्रदेश है, जहांकि 1 लाख हैक्टार क्षेत्र आम की फसल के अन्तर्गत है और संगारेड्डी में एक केन्द्र की स्थापना की गई है। बिहार राज्य में साबूर पूर्वी अंचल की समस्याओं का समाधान करेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली तथा बागवानी अनुसंधान संस्थान हेस्सरघट्टा, बंगलौर क्रमशः भारत के उत्तर पश्चिमी तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे।

(ग) पांच केन्द्रों के लिए 18.40 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। योजना की शेष अवधि में केन्द्रीय आम अनुसंधान संस्थान का परिव्यय 40.50 रुपये होने की संभावना है।

केरल राज्य द्वारा विदेशी नस्ल के बैलों और भैंसों के लिए आवेदन

2986. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने गहन खेती और दुग्ध योजना के लिए राज्य को विदेशी नस्ल के बैल और भैंसे उपलब्ध कराने के हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था ;

(ख) वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान श्रेणीवार कितने बैल तथा भैंसें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया; और

(ग) गत दो वर्षों में राज्यवार तथा श्रेणीवार कितने बैल तथा भैंसे उपलब्ध कराये गए ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) केरल सरकार ने निम्नलिखित विदेशी नस्ल के ढोरों की सप्लाई करने के लिए कहा है :—

वर्ष		जर्सी	
		सांड	गाय
1969-70		16	कोई नहीं
1970-71		10	कोई नहीं
	कुल :	26	कोई नहीं

(ग) वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान विदेशी नस्ल के सांडों और गायों का राज्यवार तथा श्रेणवार वितरण नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जर्सी सांड	जर्सी बछड़ी	फरिसियन सांड	फरिसियन बछड़ी	ब्राउन-स्विस सांड	ब्राउन-स्विस बछड़ी	गुर्नसे सांड	गुर्नसे बछड़ी
1.	असम (कृषि विश्वविद्यालय, असम सहित)	5	30	—	—	—	—	6	16
2.	आन्ध्र प्रदेश	6	13	2	—	1	—	—	—
3.	बिहार	—	—	11	28	—	—	—	—
4.	गुजरात (कृषि सस्थान, आनन्द सहित)	2	48	—	—	—	—	—	—
5.	हरियाणा	3	100	—	—	—	—	—	—
6.	जम्मू तथा कश्मीर	2	45	—	—	—	—	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	2	23	—	—	—	—	—	—
8.	केरल	13	—	—	—	—	—	—	—
9.	मध्य प्रदेश	2	17	—	—	—	—	—	—
10.	महाराष्ट्र (आरे दुग्ध कालौनी सहित)	1	26	11	12	—	—	—	—
11.	पंजाब	—	—	3	13	—	—	—	—
12.	राजस्थान	4	—	2	—	—	—	—	—
13.	उत्तर प्रदेश (भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर सहित)	4	60	—	—	2	15	—	—
14.	मेघालय	—	—	2	—	—	—	—	—
15.	गोआ	2	—	—	—	—	—	—	—
16.	मिलिट्री फार्म	—	—	5	—	—	—	—	—
17.	पांडीचेरी	1	—	—	—	—	—	—	—
	कुल :	47	362	36	53	3	15	6	16

सिंचाई सुविधाओं की कमी के परिणामस्वरूप भूमि की कम उपज के लिए केरल को केन्द्रीय सहायता

2987. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस समय केरल राज्य में कृषि योग्य भूमि का कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसमें सिंचाई सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण लक्ष्य के अनुसार उपज नहीं होती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजना के लिए गत तीन वर्षों में राज्य सरकार को कितनी सहायता दी गई है और चालू वित्तीय वर्ष में कितनी सहायता देने का विचार है; और

(घ) यह सहायता अन्य राज्य सरकारों को दी गई सहायता की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). वर्ष 1967-68 के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार केरल में लगभग 17·4 लाख हैक्टार कृष्य भूमि को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध नहीं थी।

(ग) तथा (घ) : प्रचलित क्रियाविधि के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋण तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष कार्यक्रम से सम्बन्धित नहीं होती। परन्तु, राज्य योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध राशियों से राज्य सरकारों ने मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं पर धन व्यय किया है। 1968-69 से 1970-71तक के वर्षों के व्यय तथा वर्ष 1971-72 के लिए स्वीकृत परिव्यय को प्रदर्शित करने वाला विवरण अनुबंध 1 में दिया गया है।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1968-69 से 1970-71 तक किया गया सार्वजनिक व्यय (प्रत्याशित)	1971-72 के लिए स्वीकृत सार्वजनिक परिव्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	81·39	24·30*
2.	असम	7·18	3·78
3.	बिहार	83·77	33·44
4.	गुजरात	78·24	27·67
5.	हरियाणा	17·08	10·87

6. हिमाचल प्रदेश	1·37	0·47
7. जम्मू तथा कश्मीर	7·59	2·71
8. केरल	18·91	8·00
9. मध्य प्रदेश	46·47	24·80
10. महाराष्ट्र	115·65	40·50
11. मेघालय	0·26	0·17
12. मैसूर	80·24	19·60
13. नागालैंड	0·31	0·16
14. उड़ीसा	21·16	8·62
15. पंजाब	16·87	4·95†
16. राजस्थान	57·59	20·11
17. तमिल नाडु	35·47	5·48*
18. उत्तर प्रदेश	125·04	48·18
19. पश्चिम बंगाल	31·16	7·51

*बाढ़ नियंत्रण का परिव्यय सम्मिलित हैं।

†लघु सिंचाई का परिव्यय अलग है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल को दिया गया अनुदान और दुग्ध चूर्ण

2988. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में दूध सप्लाई योजना के लिए गत तीन वर्षों अर्थात् 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में सरकार द्वारा केरल राज्य सरकार को कुल कितना अनुदान और दुग्ध चूर्ण दिया गया;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 1971-72 में राज्य सरकार को कुल कितना अनुदान और दुग्ध चूर्ण देने का विचार है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य राज्य सरकारों को दिए गये अनुदान और दुग्ध चूर्ण की तुलना में यह कितना कम अथवा अधिक है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिह) : (क) वर्ष 1968-69 के दौरान स्टेट प्लान डेरी स्कीमों के लिए केरल सरकार को दिया गया केन्द्रीय वित्तीय अनुमान निम्न प्रकार है—

ऋण	5·10 लाख रु0
अनुदान	3·40 " "
कुल	8·50 " "

वर्ष 1969-70 से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और उसका किसी विशेष कार्यक्रम या क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं होता ।

1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 में कोई दुग्ध चूर्ण नहीं दिया गया।

(ख) वर्ष 1971-72 के लिए दिए जाने वाले अनुदान की राशि डेरी स्कीमों पर किए गए खर्च पर निर्भर करेगी, जो चालू पद्धति के अनुसार एक मुश्त ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जायेगी ।

वर्ष 1971-72 के दौरान दुग्ध चूर्ण देने का कोई विचार नहीं है ।

(ग) वर्ष 1968-69 के दौरान डेरी के अन्तर्गत प्लान स्कीमों के लिए विभिन्न राज्यों को की गई अस्थायी अदायगी सम्बन्धी स्वीकृति को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण निम्न प्रकार है :

(रु० लाखों में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	ऋण	अनुदान
1.	आन्ध्र प्रदेश	16·80	11·20
2.	असम	3·82	2·55
3.	बिहार	11·90	7·93
4.	गुजरात	14·53	19·83
5.	हरियाणा	3·82	3·40
6.	जम्मू तथा कश्मीर	3·85	2·57
7.	केरल	5·10	3·40
8.	मध्य प्रदेश	4·32	4·08
9.	तमिलनाडु	15·30	10·20
10.	महाराष्ट्र	37·50	25·00
11.	मैसूर	16·50	11·00
12.	उड़ीसा	1·50	1·00
13.	पंजाब	0·35	1·76
14.	राजस्थान	—	—
15.	उत्तर प्रदेश	16·17	10·78
16.	पश्चिम बंगाल	27·60	18·40
	कुल	179·06	133·10

दुग्ध पाउडर केवल बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास ग्रादि सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी डेरियों को ग्रलाट किया जाता है ताकि वे डेरियाँ ग्रपने कच्चे दुग्ध की पूर्ति कर सकें जिसकी कमी के कारण वे उपभोक्ताग्रों की कुल मांग को पूरा करने में ग्रसमर्थ हैं। केरल में किसी डेरी को दुग्ध पाउडर नहीं दिया जा रहा है।

Setting up of Rice Mill by F. C. I. in Madhya Pradesh

2990. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister **Agriculture** be pleased to state

(a) whether the Food Corporation of India proposes to set up a rice mill in Madhya Pradesh; and

(b) if so, its location and the expenditure to be involved thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture **(Shri Annasaheb P. Shinde) : (a)** The Food Corporation of India have no proposal, at present, to set up a rice mill in Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

Selection of Districts for Rural Constrution Programme in M. P.

2991. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether selection of Districts for the Rural Construction Programme has been finalised in Madhya Pradesh;

(b) if so, the names of the districts so selected; and

(c) the criteria adopted for the selection of these Districts ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) to (c) The Question probably refers to the Rural Works Programme for the chronically drought affected areas. In Madhya Pradesh, 4 districts- Dhar, Jhabua, Sidhi and Betul— have been finally selected for the Rural Works Programme. The selection of districts under the programme has been made on certain objective criteria like incidence and pattern of rainfall, frequency and extent of drought, intensity of dry farming etc.

Misuse of E. F. Textile Mills in Madhya Pradesb

2992. **Shri. G. C. Dixit** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation be pleased** to state :

(a) whether some textile mill owners of Madhya Pradesh have misused a large amounut of contribution to the Employees Provident Fund;

(b) if so, the names of such mill owners; and

(c) the action taken against them by the Government ?

The Minister of Labour and Rehabilittion(Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c), The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees. set up under the Employees' Provident Fund and Family Pension Fund Act, 1952 and is not the direct concern of the Central Government. A statement showing the names of the unexempted textile mills in Madhya Pradesh which defaulted in payment of Provident Fund dues of rupees one lakh and more as on 31.3.1971 together with the amount of both the shares of Provident Fund contributions in default and the action taken to recover the amount as furnished by the Provident fund authorities is attached, [**Placed in the Library. See No. L T 521/71**]

भारत सेवक समाज के कार्य की जांच करने के लिये आयोग की स्थापना

2993. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सेवक समाज के कार्य की जांच करने के लिए सरकार ने एक आयोग की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग के निर्देश-पद क्या हैं; और

(ग) आयोग अपना प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत करेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) आयोग के विचारार्थ विषय ये है :—

(i) वह विस्तार, जिस तक भारत सेवक समाज को अनुदानों, उधारों तथा अन्य अधिदायों के रूप में दी गई केन्द्रीय सरकार की सहायता का उपयोग आशयित प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा किया गया है;

(ii) वह विस्तार, जिस तक भारत सेवक समाज को दिए गए केन्द्रीय सरकार के उधार तथा अधिदाय सम्भवत: प्रतिभूत है और वे उपाय जो सामयिक वसूली के लिए अपेक्षित हैं;

(iii) भारत सेवक समाज को दिए गए केन्द्रीय अनुदानों, उधारों तथा अधिदायों की बाबत उस समाज के लेखाओं का विवरण, वह विस्तार जिस तक वे तैयार किए गए और दिए गए हैं अथवा तैयार किए और दिए जा सकते हैं तथा वे उपाय जिनमें वे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने के लिए विहित प्रक्रियाओं के अनुरूप हों।

(ग) आयोग से अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त, 1971 तक सरकार को देने की अपेक्षा की जाती है।

कारखानों के श्रमिकों पर चिकित्सा सम्बन्धी व्यय

2994. **डा० जी० एस० मेलकोटे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीकृत अथवा अपजीकृत कारखानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं पर इतना कम खर्च किया जाता है कि उससे कोई वास्तविक सुविधा नहीं दी जा सकती;

(ख) क्या मूल्यों में सामान्य वृद्धि का ध्यान रखते हुए सरकार का विचार चिकित्सा सुविधाओं के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो कितनी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 अभी उन बारह मासी कारखानों में जो शक्ति का प्रयोग करते हैं और जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते है, लागू होता है। यह अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शासित है, जिसने निम्न सूचना दी है:—

(क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। अधिकतम मूल्य गत दिसम्बर: 1970 में निर्धारित की गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश के कारखानों में औसत दैनिक रोजगार

2995. **डा० जी० एस० मेलकोटे** :क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969, 1970 और 1971 में वर्षवार भारत के कारखानों में कुल औसत दैनिक रोजगार क्या है;

(ख) उपर्युक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष रोजगार में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई; और

(ग) रोजगार में कमी होने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन आने वाले चालू कारखानों में दैनिक नियुक्ति का औसत 1969 के लिए 4,771 हजार

(अन्तिम) था। वर्ष 1970 और 1971 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। सन् 1970 के आंकड़ों से सम्बन्धित विवरणियां अगस्त 1971 में आनी है।

(ख) और (ग). सन् 1969 में नियुक्ति के आंकड़े (4,771 हजार) सन् 1968 के आंकड़े (4755 हजार) 0·33 प्रतिशत की वृद्धि दिखाते हैं।

बढ़िया किस्म के सब्जी के बीज तैयार करने के लिये गुजरात में कारखाना

2996. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने पौष्टिक-आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत बढ़ती हुई बीजों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बढ़िया किस्म के बीजों का उत्पादन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आयात निधि के सहयोग से गुजरात राज्य में सब्जी के बीज तैयार करने का कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) गुजरात राज्य में ऐसे कारखानों की स्थापना किस सक्षम क्षेत्र में की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम ने गुजरात सरकार को संयुक्त राष्ट्र बाल आपाती निधि की सहायता से स्थापित किये जा रहे शाक-सब्जी बीज परिसंसकरण संयत्र की स्थापना के लिए स्थान के चयन में परामर्श के रूप में सहायता प्रदान की है।

(ख) राज्य सरकार के विचारानुसार जूनागढ़ तथा नवसारी शाक-सब्जी बीज परिसंस्करण संयत्र की स्थापना के अधिक उपयुक्त केन्द्र हैं।

सरकारी तथा गैर-सरकारी खानों का कार्य

2997. **श्री जी० भुवाराहन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यवार कोयला, मेंगनीज, लोहा, जिंक, जिप्सम, चूना आदि की कितनी सरकारी और गैर-सरकारी खानों में कार्य हो रहा है; और

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों को यह कार्य सौंपा गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) : जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को हानि

2998. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को विनियोजित पूंजी में से लगभग छटे भाग की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) 31-3-1970 को हिन्दुस्तान स्टील लि० में सरकार के कुल 1059. 1 करोड़ रुपये लगे हुए थे—इक्विटी के रूप में 557 करोड़ रुपये और ऋण 502. 1 करोड़ रुपये तथा 31-3-1971 को लगी हुई कुल पूंजी 1025.98 करोड़ रुपये थी। (इक्विटी 557 करोड़ रुपए और ऋण 468.98 करोड़ रुपए) 1969-70 के अन्त तक कम्पनी को हुई कुल हानि 172.83 करोड़ रुपये थी। 1969-71 का हिसाब-किताब अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ है।

(ख) कम्पनी को कई कारणों से हानि हुई है, जिनमें कुछ कारण है—अधिक पूंजीगत खर्चे, मंदी का प्रभाव, कुछ कारखानों में मालिक मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना, रख-रखाव में त्रुटियां, उत्पादन में कमी आदि आदि।

राजस्थान में प्राप्त पेय जल योजना के अन्तर्गत नई योजनाओं के लिए धन

2999. **राजमाता गायत्री देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान सरकार को "प्राप्त पेय जल योजना" के अन्तर्गत कई कई योजनाओं को आरम्भ करने हेतु अनुदान के रूप में पर्याप्त धन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कब आरम्भ की जायेंगी और इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार को कितना धन दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). राजस्थान में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अन्र्गत 10 जिलों में (अर्थात जैसलमेर, बारमेड़, पाली, जैलोर, चूरु, जोधपुर, बान्सवाड़ा, नागोर तथा डूंगरपुर) ग्राम्य पेय जल योजना भी शुरू की जाएगी। ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि श्रमिकों को नौकरी देना तथा श्रम-प्रधान और उत्पादनशील कार्यों की व्यवस्था करके निरन्तर रूप से सूखे से प्रभावित रहने वाले चुनिंदा जिलों में सूखे की अवस्थाओं को कम करना है। जल प्रदाय योजनायें अधिक श्रम–प्रधान न होने के कारण उन्हें कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में विस्तार से जांच-पड़ताल की जानी है। राजस्थान के चुनिंदा 10 जिलों की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इन जिलों की ग्राम्य पेय जल योजनाओं के लिए 4 वर्ष के कार्यक्रम के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से 3 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित करने का निर्णय किया गया है।

इन योजनाओं को वास्तव में प्रारम्भ करने से पूर्व अनेक तकनीकी पहलुओं पर विचार

करना आवश्यक होगा। इसमें समय लगने की संभावना है। राज्य सरकार ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के समस्त चुनिंदा जिलों के मास्टर प्लान तैयार कर रही है और इसके आधार पर चौथी योजना के शेष वर्षों के लिए कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी। इन मास्टर प्लानों में ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें शामिल की जायेंगी और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उन्हें शुरु करने की सम्भावना है। राज्य योजना में भी ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें शामिल की गई हैं, परन्तु भारत सरकार ऐसी योजनाओं के लिए कोई विशेष सहायता नहीं देती।

त्रिपुरा के दौरे के समय प्रधान मंत्री को शिशु हाथी भेंट किया जाना

3000. **श्रीमती बिभा घोष :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 में त्रिपुरा के दौरे के समय प्रधान मंत्री को एक शिशु-हाथी भेंट किया गया था ;

(ख) क्या इस शिशु-हाथी को खरीदने के लिए धन उस व्यक्ति ने दिया था जिसे इसके एवज में हरीचरा बीट 'गरियान' वृक्ष खरीदने के लिए वन संरक्षक द्वारा 50 प्रतिशत रियायती स्वामित्व दिया गया था और ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) : जी हां।

(ख) जी नहीं.

(ग) प्रश्न ही नही होता।

बिहार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में इस्पात और खान मंत्री की टिप्पणी

3001. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में बिहार में यह कहा था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य-कुशलता में केवल तभी सुधार किया जा सकता है जब उच्च पदाधिकारी और कार्यकारी अपनी 'ग्रांड मुगले' विचारधारा का त्याग करें ; और

(ख) क्या उनकी टिप्पणी विशेषकर बोकारो स्टील लिमिटेड के सम्बन्ध में थी जिसकी अनुसूची को अब तक तीन बार पुनरीक्षित किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) मैंने मई 1971 के पहले हफ्ते में बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में स्थित कुछ सरकारी उपक्रमों का दौरा किया था। इस

दौरे के दौरान मैंने आधुनिक प्रबन्धकीय प्रणाली जैसे प्रशासन के विभिन्न स्तरों में अच्छा विचार विनियम तथा निर्णय लेने के कार्य में अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिकता से शामिल करने की प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। इस सन्दर्भ में मैंने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की, जो प्रबन्धकीय निर्णयों में कर्मचारियों को शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं, 'ग्रैंड मुगल' प्रवृत्ति का उल्लेख किया था।

(ख) मैंने यह विचार सामान्य रूप से व्यक्त किया था न कि किसी विशेष उपक्रम के बारे में मेरा अभिप्राय बोकारो स्टील लि० के प्रबन्धक वर्ग से कदापि नहीं था जहां कि मिलजुल कर काम करने की भावना तथा निर्णय प्रणाली में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को शामिल करने की प्रथा का सफलतापूर्वक विकास किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्न वसूली के बारे में पंजाब और हरियाणा में असफल रहना

3002. **श्री झुंझुनवाला :**

श्री बक्शी नायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मई, 1971 के स्टेटसमैन में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम की धीमी वसूली नीति और खाद्यान्नों को लाने ले जाने में सुस्ती करने के कारण देश में, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में करोड़ों रुपयों के मूल्य के खाद्यान्न नष्ट हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन दो राज्यों से खाद्यान्नों की कुल कितनी क्षति होने के समाचार मिले हैं तथा इसमें से कितना खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम की सुस्ती के कारण नष्ट हुआ है ; और

(ग) क्या हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम इतना निष्क्रिय रहा है कि वसूली का कार्य राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 24 मई, 1971 के 'स्टेट्समैन' की रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जोकि गलतफहमी पर आधारित प्रतीत होता है। चालू मौसम में गेहूं की अधिप्राप्ति दर पिछले वर्ष की उसी अवधि की दर से बहुत अधिक है। भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब और हरियाणा से रेल और सड़क दोनों ही मार्गों से यथा सम्भव अधिक से अधिक खाद्यान्न भेजने की व्यवस्था भी की है।

Sanctioning of Loans to Primary Agricultural Credit Societies

3003. **Shri Jagannathrao Joshi :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the procedure in respect of sanctioning of loans to the Primary Agricultural Credit Societies by the Banks;

(b) the number of societies to whom loans have been sanctioned under this scheme;

(c) the number of small farmers benefited by it and the number of blocks covered under it; and

(d) the future plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia): (a) Presumably, the reference is to the financing of primary cooperative societies by the commercial banks which was introduced in 1969 as a transitional measure. The branches of commercial banks advance loans direct to the Primary Agricultural Credit Societies on the basis of credit limit statements for their members submitted by each society in accordance with the crop loan rules.

(b) 1565 societies during 1970-71;

(c) This information is not available as the date is compiled society-wise and not block wise or holding-wise.

(d) It is proposed to attach upto 10 societies to each selected branch of the commercial banks in the districts already selected. Extension will be considered only after watching the progress in the areas where the scheme is in operation now.

बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता के लिए सरकार द्वारा विदेशों को भेजे गए पत्र

3004. **श्री पी० के० देव :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कई देशों को पत्र भेजा है जिसमे बंगला देश से बड़ी संख्या में आए शरणार्थियों को बसाने के लिए सहायता देने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को इनमें से किसी देश से इन अनुरोधों का कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उत्तर मिला है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों को बसाने के लिए भारत सरकार ने किसी भी देश को सहायता के लिए नहीं लिखा है। तथापि संयुक्त राष्ट्र संघ और विदेशी सरकारों से इन शरणार्थियों को राहत देने के लिए सहायता की अपील की गई थी।

(ख) और (ग). एक विवरण, जिसमें विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त या प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-522/71]

देहातों में रोजगार की व्यवस्था करने हेतु द्रुत कार्यक्रम की प्रगति

3005. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहाती क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो अप्रैल 1, 1971 से लागू किया जाना था, 1 जून, 1971 तक केरल में कितने बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है ;

(ख) उन जिलों/ब्लाकों के नाम क्या हैं जहा उपर्युक्त कार्यक्रम अभी तक लागू नहीं किया गया है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). इस योजना को राज्य के सभी 10 जिलों में कार्यान्वित करने के लिए केरल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा मंजूर कर दिए गए थे और अप्रैल 1971 के अंत तक राज्य सरकार को आवश्यक धनराशि दे दी गई थी। केरल सरकार ने अप्रैल 1971 में ही इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए गए। इस योजना में प्रत्येक जिले में कम से कम 1,000 व्यक्तियों को लगभग 10 महीने के लिए ज्यादा से ज्यादा 100 रु० प्रतिमास प्रति व्यक्ति की मजदूरी पर रोज़गार देने की परिकल्पना की गई है। जब राज्य सरकार से पहली तिमाही का प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त होगा, तब पता चलेगा कि किन खण्डों में इस योजना को कार्यान्वित किया गया है और कितने लोगों को वास्तव में रोज़गार उपलब्ध किया गया है।

बँगला देश के शरणार्थियों की सहायता के लिए विदेशों में परिवहन विमान देने का प्रस्ताव

3006. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**

श्री समर गुह :

श्री पी० के० देव :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने बंगला देश के शरणार्थियों के लिए राहत सामग्री ले जाने के लिए परिवहन विमान देकर भारत की सहायता करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या विमानों के अतिरिक्त इन देशों ने शरणार्थियों की सहायता के लिए अन्य सामान भी देने का प्रस्ताव किया हैं ; और

(ग) प्रत्येक देश में बंगला देश के शरणार्थियों के लिए प्राप्त विदेशी सहायता का नवीनतम लेखा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) एक विवरण, जिसमें विदेशी सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों के लिए प्राप्त सहायता का देश-वार ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-523/71]

Central Aid for Survey of underground water in Madhya Pradesh

3007. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to grant assistance for conducting survey regarding underground water in such areas of Madhya Pradesh which are exposed to famine;

(b) if so, the names of such areas and the programme chalked out in this regard; and

(c) the time by which the survey would be undertaken and completed ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) Since the beginning of the Fourth Plan, ground water survey comes under the purview of State Plan schemes. There is no Central or Centrally sponsored scheme under which financial assistance for ground water surveys may be granted to the States over and above the State Plan ceiling.

The State Government, however, is presently in the process of setting up a Ground-water Cell for carrying out investigations in various parts of the State including areas exposed to famines.

(b) & (c). Do not arise.

हिमाचल प्रदेश में व्यास और सतलुज लिंक परियोजना में कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू करना

3008. **श्री समर बनर्जी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यास और सतलुज लिंक परियोजना जिला सुन्दर नगर, हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहे सभी कार्य भारित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) कब तक निर्णय किए जाने की सम्भावना है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). व्यास सतलुज लिंक परियोजना के ऐसे प्रतिष्ठान, जो किसी अनुसूचित उद्योगों प्रतिष्ठानों की श्रेणियों के कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत हैं ; और सीमा क्षेत्र में आने की शर्तों को पूरा करते हैं, उपर्युक्त अधिनियम के सीमा-क्षेत्र में ले लिए गए हैं। परियोजना के अन्य अनुभागों को सीमा-क्षेत्र में लाने का प्रश्न विचाराधीन है।

गुजरात में बंजर भूमि का उपयोग

3009. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितनी बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है ; और

(ख) सरकार का उक्त भूमि को किस प्रकार उपयोग में लाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में निकल के एक कारखाने की स्थापना

3010. **श्री पी० गंगादेव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में निकल के एक कारखाने की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्च होगा ;

(ग) प्रतिवर्ष उसमें कितना उत्पादन होने की आशा है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी सहायता ली जाएगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (घ). उड़ीसा राज्य में सुकिन्दा निक्षेपों पर आधारित, निकल संयन्त्र की स्थापना हेतु, सरकार को हाल ही में मैसर्स रसायन और धातुकर्मीय डिजाइन कम्पनी, नई दिल्ली, द्वारा तैयार की गई साध्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है। साध्यता रिपोर्ट में निकल के 4,800 टन वार्षिक और कोबाल्ट धातु के 200 टन तथा अमोनियम सल्फेट उर्वरक के 17,000 टन का उत्पादन परिकल्पित है। आशा की जाती है कि विनिधान 32 करोड़ रुपये होगा।

साध्यता रिपोर्ट तकनीकी परीक्षणाधीन है और उसके परिणाम पता लगाने पर ही विनिधान के लिए निश्चय लिया जा सकता है।

दुहरी फसल लेने के लिए मनीपुर में सिंचाई

3011. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में दुहरी फसल लेने के उद्देश्य से मनीपुर घाटी के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई करने के कुछ उपाय आरम्भ किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे उपाय क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, । लघु सिंचाई योजना, जिनमें कि पथान्तरी परियोजनायें तथा पम्पसैटों का वितरण भी सम्मिलित है मणिपुर में लागू की जा रही हैं। इनसे विशेषकर पम्पसैटों से जो कि मुख्यतः रबी के मौसम के दौरान सिंचाई के लिए हैं दोहरी फसली खेती को प्रोत्साहन मिलेगा ।

(ख) चालू वर्ष में मणिपुर में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 7.60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 5.58 लाख रुपये पहले से ही क्रियान्वित की जा रही योजनाओं तथा 2.02 लाख रुपये नयी योजनाओं पर व्यय किए जायेंगे। इस वर्ष के कार्यक्रम में 20 पम्पसैटों का बितरण भी सम्मिलित होगा।

Setting up of Sugar Mills in Bihar

3012. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government do not consider it proper to conduct a survey for exploring the possibilities of setting up a sugar mill at Sahibganj in Bihar in public sector or cooperative sector;

(b) whether Government are aware that the quantity of sugarcane produced in Sahibganj area is not sufficient to feed a new sugar mill in the co-operative sector in that area; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) to (c). The Government of India have not so far received any proposal for the establishment of a new sugar mill at Sahibganj in Bihar in the public or co-operative sector. The State Government have reported that the quantity of sugarcane produced in Sahibganj area is not sufficient to feed a new sugar mill in that area. The question of the Central Government conducting the survey of the area for setting upof a sugar mill does not, therefore, arise.

Utilisation of water of Uttarakhand rivers for irrigatton purposes

3013. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether the waters of the rivers in the Uttarakhand area of U. P. are not being utilised for the development of that area ;

(b) whether Government propose to utilise the water of those rivers for irrigation purposes ;

(c) whether the people of Uttarakhand have to depend on rains alone ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government to provide irrigation facilities there ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Siugh) : (a) No, Sir. The water of the rivers in the Uttarakhand area of U. P. are being utilised to the extent it is techinically feasible through minor irrigation works. The topography of Uttarakhand does not lend itself to irrigation from major and medium irrigation projects.

(b) Yes, Sir. The State Government proposes to utilise water from these rivers to a greater extent in future.

(c) No, Sir. Facilities for irrigation in limited areas are available and they are being extended.

(d) It is proposed to spend an amount of Rs. 70 lakhs on providing irrigation facilities in the region during the 4th Plan. This will include construction of about 23 kms. of irrigation channels in the region,

उद्योगों को अलौह धातुओं का नियतन

3014. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उद्योगों को कच्चे माल के रूप में अपेक्षित अलौह धातुओं का नियतन किन सिद्धान्तों पर किया जाता है।

(ख) क्या उनकी वास्तविक आवश्यकताओं और नियतन के बीच कुछ अनुपात बनाए रखने का प्रयास किया गया है।

(ग) विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं का उनकी अधिष्ठापित क्षमताओं के अनुसार अनुमान लगा कर उन धातुओं के नियतन में वर्तमान असंगतियों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) राज्य-वार और उद्योग-वार नियतन के लिए विभिन्न दावेदारों की समीक्षा करने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) प्रमुख उद्योगों में विनियुक्त विद्यमान एककों को संपूर्ति के आधार पर अनुज्ञप्त क्षमता और अन्ततः उत्पादन की अनुमानित मांग

को ध्यान में रखते हुए अलौह धातुओं को आवंटित किया जाता है, जिसे भागतः स्वदेशीय उत्पादन और भागतः आयात से आवंटित किया जाता है।

गौण उद्योगों के मामले में अलौह धातुओं का आवंटन, पिछले उत्पादन, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान में आयातित अलौह धातुओं के उपभोग के आधार पर किया जाता है जो साधारणतः प्रत्येक एकक की अनुज्ञप्त अनुमोदित क्षमता से अधिक नहीं होता है।

(ख) जी, हां।

(ग) तकनीकी विकास के महानिदेशालय से रजिस्ट्रीकृत, दीर्घ सेक्टर एककों को आवंटन के बारे में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि आवंटन राज्यानुसार नहीं किया जाता है।

लघु मात्रा-एककों के बारे में स्वदेशीय आधार पर उपलब्ध अलौह धातुओं का आवंटन, विकास-आयुक्त, लघु उद्योग द्वारा, उद्योगों की क्षमताओं/अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

आयात व्यापार नियंत्रण नीति, 1971-72 में यथा उपबंधित, अलौह धातुओं के आयात के लिए लघुमात्रा-एककों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर, उनकी उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए, अधिक उदारता पूर्वक विचार किया जाएगा। लघुमात्रा उद्योगों के अलौह धातुओं के लिए हक को उस मात्रा के 50% तक वर्धित किया जाएगा जिसके लिए अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 तक के लिए आयात अनुज्ञप्तियां/निर्मुक्ति आदेश जारी किए गए थे।

(घ) तकनीकी विकास के महानिदेशालय से रजिस्ट्रीकृत लघु मात्रा-एककों से आवेदन पत्र तकनीकी विकास महानिदेशालय में विभिन्न निदेशालयों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और उनकी संवीक्षा की जाती है।

लघु मात्रा एककों से अलौह धातुओं के आवंटन के लिए आवेदन पत्र सम्पृक्त उद्योगों के राज्य-निदेशालयों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और उनकी संवीक्षा की जाती है।

लोहे के टुकड़ों का निर्यात

3016. **श्री सी० जनार्दननः** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 में भारत से लोहे के टुकड़ों का निर्यात बहुत कम हो जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख). रद्दी लोहे की बढ़ती हुई घरेलू मांग के कारण केवल उन्हीं किस्मों तथा उतनी मात्रा में इसका निर्यात किया जाता है जो घरेलू मांग पूरी करने के पश्चात स्पष्ट रूप से फालतू बच जाता है।

1971-72 में रद्दी लोहे के निर्यात से लगभग 5 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। जबकि गत तीन वर्षों की औसत आय 8 करोड़ रुपये है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आशुलिपि प्रशिक्षक

3017. **श्री राम कंवर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्य कर रहे आशुलिपि प्रशिक्षकों के पदों को स्थाई न बनाये जाने के क्या कारण हैं जबकि ये पद 1962 से बने हुए हैं;

(ख) क्या इन पदों को स्थाई बनाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है;

(ग) दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य कर रहे उन आशुलिपि प्रशिक्षकों की संख्या कितनी है जिन्होंने पांच वर्ष की सेवावधि पूरी कर ली है तथा जिन्हें दिल्ली प्रशासन ने हाल में स्थाई घोषित किया है; और

(घ) उन आशुलिपि-प्रशिक्षकों की संख्या कितनी है जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा अवधि पूरी करली है किन्तु उन्हें अभी तक स्थाई घोषित नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). वर्तमान आदेशों के अनुसार तीन वर्ष से अधिक की कालावधि तक रहने वाले अस्थाई पदो में से 80% को स्थाई बनाया जा सकता है। इसलिए 18 पदों में से 14 पदों को स्थाई बना दिया गया है।

(ग) और (घ). दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 13 आशुलिपि अनुदेशकों ने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और इनको स्थाई करने से संबंधित प्रश्न दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

बिहार में गहन कृषि के लिए ट्रैक्टरों और पम्प सैटों की सप्लाई

3018. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गहन कृषि के लिए किसानों को पम्प सैटों और ट्रैक्टर-टी-14 की सप्लाई करने का प्रबन्ध किया है और यदि हां, तो किसी सरकारी विपणन एजेंसी के द्वारा ट्रैक्टरों के अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या सरकार राज्य के सहरसा जिले की माधेपुरा सब-डिवीजन में डी० टी-14 ट्रैक्टरों अथवा किसी अन्य प्रकार के ट्रैक्टरों की भी सप्लाई की गई है और यदि हां, तो 1967 के बाद वर्षवार और महीने-वार कुल कितने ट्रैक्टर सप्लाई किए गए हैं; और

(ग) क्या इन ट्रैक्टरों की मरम्मत आदि करने के लिए किसी मिस्त्री (मैकेनिक) की व्यवस्था की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). बिहार राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि विभाग में कनिष्ठ लेखापालों की भर्ती

3019. **श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या कृषि विभाग ने केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के प्रवर श्रेणी लिपिकों में से प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के आधार पर लगभग 20 कनिष्ठ लेखापालों का चयन किया है;

(ख) क्या इसके लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के अभ्यार्थियों के लिए कोई आरक्षण/प्राथमिकता नहीं प्रदान की गई जबकि आवेदन पत्र के पैरा 8 में विशेष रूप से पूछा गया था कि क्या अभ्यर्थी उपरोक्त किसी समुदाय से सम्बन्धित है,

(ग) क्या उक्त पद के लिए अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों के बहुत से अभ्यार्थियों ने आवेदन किया था परन्तु उनमें से कोई भी नहीं चुना गया, यदि हां, तो किन शर्तों के कारण उनमें से कोई भी अभ्यर्थी नहीं चुना जा सका ; और

(घ) क्या कनिष्ठ लेखापालों के रोस्टर में अनुसूचित जातियों । अनुसूचित जनजातियों के सांविधिक अधिकार की सर्वथा उपेक्षा की गई है ; और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस तालिका को रद्द करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषि विभाग में अन्तरण प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण के लिए कनिष्ठ लेखापालों के रूप में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के 22 उच्च लिपिकोंकी एक नामिका तैयार की गई है।

(ख) जात पात के आधार पर प्रतिनिधित्व देने से सम्बन्धित वर्तमान आदेशों के अनुसार जनपद अन्तरण/प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण द्वारा भरे जाते हैं तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता।

(ग) अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों के 6 अभ्यर्थियों ने इस पद के लिए आवेदन भेजे थे। इनमें से 3 अभ्यर्थियों को नामिका में सम्मिलित कर लिया गया है।

(घ) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार

3020. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना को ऐसे नगरों में आरम्भ किए जाने की सम्भावना है जहां वह इस समय नहीं है ;

(ख) यदि हां; तो उन नगरों के क्या नाम हैं; और

(ग) योजना कब से लागू की जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). 1971-72 वर्ष के दौरान संलग्न विवरण में दर्शाए क्षेत्रों में योजना को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है । नए क्षेत्रों में योजना की सही क्रियान्विति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं को पूर्ण करने पर और नियत तारीखों का निर्धारण करने पर निर्भर करती है । कोई निश्चित तारीख अभी तक निर्धारित नहीं की गई है ।

विवरण

उन क्षेत्रों का विवरण जिनमें 1971-72 वर्ष के दौरान कर्मचारी राजकीय बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव है

क्रम संख्या	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवादा और नाट्यपालेम के वाह्य क्षेत्र ।
2.	बिहार	रामगढ़, बोकारो इस्पात संयन्त्र और आदित्यापुर
3.	केरल	पुल्लुर और कायामतुलम
4.	महाराष्ट्र	चालीसगांव, बर्सी, बल्लारपुर, टालेगांव, मीराज, औद्योगिक संपदा, शोलापुर, नासिक, धुलिया, खोपोली और इचलकारांजी
5.	मैसूर	नार्गूण्ड, कोलार स्वर्ण-क्षेत्र, श्योंत क्षेत्र, धारवाड, शाहबाद, होस्पेट, बागलकोट, मुनीराबाद और जैलेरी
6.	उड़ीसा	बेले-रहाड़
7.	राजस्थान	देवारी
8.	उत्तर प्रदेश	ऋषिकेश और धक्का गांव
9.	तमिलनाडु	सोमानूर, समालापुरम, पेरूमंडीगांव, के० वाई० एम० औद्योगिक क्षेत्र, साले, मनीलाम्बुर और आरासुर के बाह्य क्षेत्र ।
10.	पश्चिम बंगाल	कल्याणी ।

इसके अतिरिक्त, 1971-72 में योजना को क्रियान्वित करने के क्रमिक कार्यक्रम में कुछ अन्य क्षेत्रों को सम्मिलित करने के प्रश्न का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों से चिकित्सा संबंधी योजना प्राप्त होने पर किया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारियों की मांगें

3021. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारियों की मकान किराये भत्ते के भुगतान समेत अन्य सभी मांगे पूरी हो गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की प्रशासनीय जिम्मेवारी, कर्मचारी भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन गठित केन्द्रीय न्यासी मंडल की है और भारत सरकार की सीधी जिम्मेवारी नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नलिखित जानकारी दी है :-

(क) और (ख). अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फैडरेशन द्वारा पेश की गई नौ मांगो में से सात मांगों पर केन्द्रीय न्यासी मंडल ने विचार कर लिया है और शेष दो मांगों जैसे आवश्यकतानुसार न्यूनतम जीविका मजूरी और बढ़ी हुई दर पर मकान किराया भत्ते की अदायगी की व्यवस्था सम्बन्धी निर्णय होने तक वेतनमानों को भारत के रिर्जव बैंक अथवा प्रथम श्रेणी के बैंकों के वेतन मानों के समान करने से संबंधित माँगों पर विचार तब तक वेतन, भत्तों और अन्य रियायतों के मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर समझने के प्रश्न पर निर्णय नहीं हो जाता।

इस्पात उद्योग के लिए संयुक्त मजूरी समझौता समिति का जारी रहना

3022. **श्री निहार लास्कर :**

श्री टी० एस० लक्ष्मणन् :

श्री पी० गंगा देव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग की संयुक्त मजूरी समझौता समिति को जारी रखने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके जारी रहने से इस्पात उद्योग को क्या लाभ होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमार मंगलम) : (क) और (ख). इस्पात उद्योग के लिए बनाई गई संयुक्त वेतन वार्ता समिति एक द्विपक्षीय संगठन है जिसमें मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधि हैं। यह समिति समूचे इस्पात उद्योग के लिए सामूहिक सौदेबाजी द्वारा मजदूरी का पुनरीक्षण करने के लिए स्थापित की गई थी। समिति ने 27 अक्तूम्बर, 1970 को एक समझौता किया था। इस समझौते की शर्तों के अनुसार कम्पनी इस बात की देखभाल करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि समझौते की अवधि में अर्थात 1 सितम्बर, 1970 से लेकर 4 वर्ष तक समझौते का पालन किया जाता है।

(ग) समिति के बने रहने से मजदूरी समझौते के कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी। इस समिति ने एक समानीकरण समिति भी बनाई है जो वेतनमानों तथा पदनामों में एकरूपता तथा छुट्टी, अवकाश, चिकित्सा सुविधाओं तथा सेवा निवृत्तिवय आदि में समानता लाएगी। हाल में समिति से बड़ी जिम्मेदारियां, विशेषतया उत्पादन बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कहा गया है।

शरणार्थियों के लिए खाद्य वस्तुओं की खरीद

3023. **श्री निहार लास्कर :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को शरणार्थियों के लिए पुनर्वास मंत्रालय को देने के लिए खाद्य-वस्तुओं की खरीद करते रहने के निर्देश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो निगम ने गत दो महीनों में कितनी मात्रा में खाद्यान्न एकत्रित किये हैं; और

(ग) यह मात्रा शरणार्थियों की मांग को पूरा करने में किस सीमा तक पर्याप्त होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक चावल और गेहूं का सम्बन्ध है भारतीय खाद्य निगम विस्थापितों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सम्बंधित राज्यों में पर्याप्त स्टाक रख रहा है। भारतीय खाद्य निगम ने विस्थापितों को सप्लाई करने के लिए 3700 मीटरी टन दालें भी खरीदी हैं।

(ग) गेहूं और चावल की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक है और यह आशा की जाती है कि अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना सम्भव होगा। जहां तक अन्य जिन्सों का सम्बन्ध

है, भारतीय खाद्य निगम विस्थापितों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बताई गई मात्रा में इन जिन्सों की अधिप्राप्ति तथा सप्लाई के प्रबंध कर रहा है ।

Setting up cold storage on co-operative basis at Mehsi Champaran, Bihar

3201. **Shii K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether mangoes, lichis and other fruits are being sent from Mehsi in Champaran District to other parts of the country in such a big quantity that the farmers and traders have to incure losses due to lack of storage facilities there;

(b) if so, whether Government propse to set up cold storage at Meshi in co-operative, public or private sector; and

(c) the action taken in this regards ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No report regarding the difficulties encountered by the producers and the traders in despatching mangoes and lichis from Mehsi has come to the notice of the Government.

(b) & (c). Do not arise.

बन्द पड़ी चीनी मिलें

3025. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी चीनी मिलें बन्द पड़ी है तथा वे कब से बन्द हैं; और

(ख) उनको पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) और (ख). इस समय 10 चीनी कारखानों में काम नहीं हो रहा है और उन्हें पुनः चालू करने से संबंधित स्थिति संलग्न विवरण में स्पष्ट की जाती है ।

विवरण

क्रम सं०	कारखाने के नाम	जब से काम नही हो रहा है	काम न होने का कारण
1.	मैसर्स कृष्णा शुगर मिल्स लि० कृष्णा किटूर, जिला बेलगाम, (मैसूर)	1952-53 मौसम से	पंजीकरण प्रमाण पत्र 29-9-1970 को रद्द कर दिया गया है ।

क्रम सं०	कारखाने के नाम	जब से काम नहीं हो रहा है	काम न होने का कारण
2.	मैसर्स दी महारानी पार्वती शुगर मिल्स लि० सारंगपुर (मध्यप्रदेश)	1952-53 मौसम से	यह अलाभकर यूनिट है और/अथवा इसके क्षेत्रमें पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध नहीं है।
3.	मैसर्स श्री विजय शुगर मिल्स लि०, विजयनगर, जिला अजमेर (राजस्थान)	1956-57 मौसम से	—"—
4.	मैसर्स नेशनल शुगर मिल्स लि० अहमद नगर, जिला बीरभूम, (पश्चिमी बंगाल)	1964-65 मौसम से	पुनर्वास मंत्रालय की वित्तीय सहायता से इसकी स्थापना की गई है और उनमें व प्रबंध के बीच कुछ विवाद रहा है और इससे कारखाने में काम नहीं हुआ है। पता चला है कि पश्चिमी बंगाल सरकार इस कारखाने को पुनः चालू करने के लिए प्रयास कर रही है।
5.	मैसर्स रोहतास इन्डस्ट्रीज लि० डालमियां नगर, जिला शाहाबाद (बिहार)	1967-68 मौसम से	कारखाने ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन प्रतिष्ठान के कार्यों की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध रिट दायर की है और यह मामला न्यायाधीन है।
6.	मैसर्स मोहिनी शुगर मिल्स लि० वारसालिगंज, जिला गया (बिहार)	1967-68 मौसम से	इसके क्षेत्र में गन्ने की पर्याप्त सप्लाई का अभाव है। इस मिल को सहकारिता के रूपमें चलाने के प्रश्न पर बिहार सरकार विचार कररही है।
7.	मैसर्स शीतलपुर शुगर वर्क्स लि० गरौल, जिला मुजफ्फरपुर (बिहार)	1970-71 मौसम से	यह यूनिट भारी वित्तीय संकट का सामना कर रही है और इसलिए 1970-71 से प्रबंध इस कारखाने को चालू करने में समर्थ नहीं रहा है।

क्रम सं०	कारखाने का नाम	जब काम नहीं हो रहा है	काम न होने का कारण
8.	मैसर्स पालर शुगर्स लि० मेलपट्टी जिला उत्तरी आर्काट (तमिल नाडु)	1970-71 मौसम से	यह एक छोटा यूनिट है कि अलाभकर होने के नाते 1970-71 में कोई उत्पादन नहीं किया ।
9.	मैसर्स शिवाकमी शुगर लि० तनुकू, जिला पश्चिमी गोदावरी (आन्ध्रप्रदेश)	"	"
10.	मैसर्स श्री दत्ता सहकारी खण्डसारी सहकारी उत्पादक संस्था लि० पन्हाला असरली, जिला कोल्हापुर, (महाराष्ट्र)	"	"

ग्रामीण ग्रस्तता का परिसमापन

3026. **श्री ब्रज राज सिंह कोटा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषक ऋण ग्रस्तता के बारे में सरकार का राज्यवार अनुमान क्या है; और

(ख) इसके परिसमापन के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण तथा विनियोजन सर्वेक्षण 1961-62 द्वारा दी गई जानकारी को प्रदर्शित करनेवाला एक विवरण संलग्न है। इसके उपरान्त ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता के सम्बन्ध में और कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) सहकारी समितियों को सुदृढ़ करना, प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना तथा तकावी ऋणों की व्यवस्था करना ये सब ऐसे उपाय हैं जो कि सरकार ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता को समाप्त करने के लिए उठाए हैं।

विवरण

30 जून, 1969 **को कृषक परिवारों पर बकाया ऋण**

रुपये करोड़ों में

राज्य	प्रति प्रतिवेदित परिवार औसत	प्रति परिवार औसत	औसत राशि
	(रुपये)	(रुपये)	
आन्ध्र प्रदेश	908	702.3	237.22
असम	334	139.9	27.56

राज्य	प्रति प्रतिवेदित	प्रति परिवार	औसत राशि
बिहार	605	393.5	235.00
गुजरात	868	629.1	120.48
जम्मू तथा काश्मीर	389	241.5	11.72
केरल	418	293.6	59.13
मध्य प्रदेश	657	407.8	180.48
तमिल नाडु	1081	855.2	202.83
महाराष्ट्र	700	441.2	166.10
मैसूर	972	823.2	203.60
उड़ीसा	391	131.0	31-17
पंजाब	1277	968.2	157.48
राजस्थान	1031	815.2	221.51
उत्तर प्रदेश	478	295.5	285.95
पश्चिम बंगाल	343	241.1	79.52
समग्र भारत	708	472.77	2379.94

(स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक का सितम्बर 1965 का बुलेटिन—पेज 29)
नोट :—हरियाणा के आंकड़े पंजाब में सम्मिलित है।

पूर्वी जर्मनी द्वारा सप्लाई किये गये ट्रैक्टरों को लौटाने के लि ; राजस्थान का अनुरोध

3027. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि पूर्वी जर्मनी द्वारा सप्लाई किए गए ट्रैक्टर काम करने योग्य नहीं हैं तथा इन्हें लौटा दिया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां। इस मामले पर सरकार विचार कर रही है ?

Benefits to Harijans and Other Backward Classes under Crash Programme for rural Employment

3028. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) The number of the Harijans and persons belonging to the backward classes who have been provided with the jobs under the crash programme for rural employment ; and

(b) The future plan in this regard ?

The Minister of State in the Ministsry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) & (b). The Scheme envisages provision of additional employment opportunities through a network of rural projects of various kinds which are labour intensive and will create durable assets. On an average 1,000 persons will be given employment in every district of the country for about 10 months in the year. Instructions have been issued to the effect that preferably persons should be selected for employment from families which have no earning member. Thus the most needy members of the community are expected to be given employment. Harijans and others will, therefore, find employment to the extent that they constitute the most needy elements in any area.

The implementation of the scheme has just started. The number of the Harijans and others employed in it will not be known till the scheme is fully implemented.

Number of Sugar Mills and quantity of sugar produced in Madhya Pradesh

3029. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister **of Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Sugar Mills in private and Co-operative sectors in Madhya Pradesh at present separately ; and

(b) the stock of sugar available with the State Government at present ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) At present there are five working sugar mills in Madhya Pradesh, all in the private sector.

(b) The State Government do not hold any stock of sugar. The position of sugar stocks with factories in Madhya Pradesh on the dates mentioned against their names is given below :-

SI. No	Location with district	Stock (Tonnes)	
1.	Dabra, District Gwalior	8874.0	(as on 22. 5. 71)
2.	Jaora, District Ratlam	8518.0	(as on 7 .6. 71)
3.	Dalauda, Distt. Mandsaur	5841.0	-do-
4.	Sehore, Distt. Sehore	10936.0	-do-
5.	Mehidpur Road, Distt. Ujjain	3091.0	-do-

Persons registered with employment exchange in Manipur.

3030. Shri **Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of educated and uneducated persons, who got their names registered with the employnent exchanges in Manipur since the 1st January, 1969 to-date ;

(b) the uumber of persons provided with employment through the employment exchanges duriug this period ; and

(c) The scheme under consideration of Government for creating more employment opportunities during the next year with a view to provide employment to more people ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) & (b). The available information is given in the attached statement.

(c) : The Fourth Plan provides various schemes for economic development and for development in the social services sector. Those, alone with the relevant non-plan schemes, expected to generate their own employ ment opportunities in terms of their phased implementation.

Statement

Category of job-seekers	No. registered during the year 1969	1970	No. placed in employment during the year. 1969	1970
1. Educated (Matriculates and above).	5,223	4,398	159	235
2. Un-educated (Below Matric including illiterates).	5,804	5,670	394	130
Total :	11,027	10,608	553	365

Note :— The data on educated job-seekers registered with the employment exchanges are collected at half-yearly intervals ending June and December of each year.

Production and Import of Milk and Milk Powder.

3031. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Agriculture be pleasd to state:

(a) the quantum of milk and milk powder being produced in the country at present ;

(b) the quantum of milk powder imported from foreign countries during the last three years and the estimated quantity of milk pewder likely to be imported from foreign countries during 1971-72 ; and

(c) the foreign exchange spent thereon during the aforesaid period ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) The estimated production of milk during the year 1968-69 was 21. 2. million tonnes. 7,288 metric tonnes of milk powder was manufactured in the country during the year 1970.

(b) & (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Persons registered wtih Employment Exchanges in Andaman

3032. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of educated and uneducated persons, who got their names registered with the Employment Exchanges in Andaman since Ist January, 1969 to-date;

(b) the number of persons provided with employment through the employment exchanges during this period; and

(c) the scheme under consideration of Government for creating more employment opportunities during the next year with a view to providing employment to more people ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) & (b). There is no Employment Exchange functioning in the Andamans.

(c) The Fourth Plan provides various schemes for economic development and for development in the social services sector. These, along with the relevant non-plan schemes, are expected to generate their own employment opportunities in terms of their phased implementation.

Funds for Soil Conservation Scheme in Rajasthan

3303. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have allocated fund for any scheme for conservation of soil in Rajsthan ;

(b) if so, the total acreage of land brought under the said scheme during the last three years ;

(c) the purpose for which the said land is being utilised ; and

(d) the amount spent thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) ; (a) Yes, Sir. State and Central Government have provided funds for the conservation of soil in Rajasthan.

(b) An area of 81587 hectares under the State plan scheme and 31418 hectares under the centrally sponsored schemes have been covered during the last three years (1968-69 to 1970-71)

(c) The land is being utilised for Agricultural and non-agricultural purposes.

(d) A sum of Rs. 122.80 lakhs and Rs. 62.33 lakhs have been spent on the State and Centrally sponsored schemes of soil conservatoin during the last three years (1968-69 to 1970-71)

त्रिपुरा में किसानों का प्रशिक्षण कार्य बन्द करना

3034. **श्री वीरेन दत्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में किसानों को प्रशिक्षण देने के सभी कार्यक्रम बन्द कर दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) कृषक प्रशिक्षण और शिक्षा विषयक केन्द्रीय प्रचालित योजना के अधीन त्रिपुरा संघ क्षेत्र के लिए एक केन्द्र मंजूर किया गया है। इस बारे में त्रिपुरा प्रशासन द्वारा तैयार की हुई विस्तृत योजना में भारत सरकार ने कुछ संशोधन करने का भी सुझाव दिया है। उन्हें योजना को यथा शीघ्र कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है।

आसनसोल स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में कर्मचारी भविष्य निधि वापिस करने के लिऐ अनिर्णित आवेदन पत्र

3035. **श्रीमती बिभा घोष :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में वर्ष 1969 से कर्मचारी भविष्य निधि वापस करने के कुल कितने आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े हैं;

(ख) उस धन राशि को वापिस करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) धनराशि का भुगतान शीघ्र करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कोयला खान भविष्य निधि का प्रशासन कोयला खान भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड का मामला है और इसका केन्द्रीय सरकार से सीधा सम्बन्ध नहीं है। कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नानुसार जानकारी दी है :—

(क) 143

(ख) इन मामलों के निपटारे के लिए आवश्यक प्रलेखों और विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए मांगें बाकी हैं।

(ग) सम्बन्धित नियोजकों और श्रमिकों से प्राप्त जानकारी और प्रलेखों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

1970-71 में चीनी का निर्यात

3036. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 में कितनी चीनी का निर्यात हुआ ; और गत दो वर्षों की तुलना में कितना निर्यात किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : चीनी का निर्यात पंचांग वर्ष के आधार पर किया जाता है। 1970 के दौरान 3.18 लाख मी० टन चीनी निर्यात की गई थी जबकि 1969 में

0.94 लाख मी० टन और 1968 में 0.99 लाख मी० टन चीनी निर्यात की गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1968 के अन्तर्गत 1971 के लिए भारत की कुल निर्यात की मौजूदा हकदारी लगभग 3.50 लाख मी० टन बैठती है और यह आशा की जाती है कि यह सारी मात्रा वर्ष के अन्त तक निर्यात कर दी जाएगी।

Rules for Distribution of Land other Agricultur Benefits to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

3037. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the regulations governing the distribution of land and grant of agricultural facilities to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(b) the comparative position in regard to the land distributed and facilities provided to them during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b). Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Area of Land Under Irrigation and Dependent upon Rain

3038. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of cultivated and barren land and the acreage of land dependent upon rains ;

(b) the acreage of additional land likely to be brought under cultivation during the next five years, year-wise ; and

(c) the main features of the plan in this regard ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) According to the land utilisation statistics for the year 1967-68 (Provisional), the latest available, area of cultivated and barren land and area of land dependent on rains are as under :-

		(Area in Million hectares)
1.	Net area sown	139.70
2.	Barren & unculturable land	32.50
3.	Land dependent upon rains	112.18

(b) & (c). Land being a State subject, under the Constitution of India, the programme of its improvement, reclamation, inlcuding cultivation etc., is administred by the respective State Governments. However, It is contemplated to bring about one million hectares of land under land reclamation measures during the Fourth Plan period.

Strike by Workers of Bokaro Steel Plant

3039. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the workers of Bokaro Steel Plant had gone on strike in the month of May;

(b) if so, the reasons thereof ; and

(c) the steps taken by Government in the matter ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Mohan Kumaramangalam) : (a) & (b). In this conneetion attention is invited to the reply given to Lok Sabha Unstarred Question No. 1876 on the 10th June, 1971. It is some of the daily rated workers of Hindustan Steelworkrs Construction Limited who have gone on strike and not of Bokara Steel Limited.

(c) The Hindustan Steelworks Construction Limited agreed at one stage to refer some of the demands to arbitration. This approach was agreed to by all the registered unions but not by the United Proutist Labour Federation which sponsored the strike and is not a registered union. In the structural fabrication shop which has been declared closed due to the activities of the striking workers, alternative arrangements for starting work are being made. A number of workers have resumed duties and it is hoped that normal work will be restored in the affected zones in the near future. The law and order arrangements have been strengthened to protect willing workers from intimidation and coercion.

बंगाल देश से आने वाले शरणार्थियों के लिए विदेशों से तम्बू और तिरपाल मगांने का अनुरोध

3040. **श्री समर गुह** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों के लिए विदेशों को तम्बू और तिरपाल भेजने के लिए कहा है;

(ख) क्या रेलगाड़ियों और ट्रकों से भेजी जाने वाली सप्लाई शरणार्थी केन्द्रों के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो शरणार्थियों के लिए इसकी सप्लाई की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सरकार ने पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से तम्बू और तिरपालों के लिए लिखा है । राज्य सरकारों को, उनके वित्त विभागों से परामर्श करने के बाद और सामान्य सामान खरीदने के नियमों को ध्यान में रखते हुए, आश्रय स्थान बनाने सम्बन्धी सामग्री खरीदने का अधिकार दे दिया गया है । इसके अतिरिक्त हमने अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेन्सियों और विदेशी सरकारों को सूचित किया है कि इस समय आश्रय स्थान सम्बन्धी सामग्री हमारी प्रथम अग्रता है ।

भारत के लिए आस्ट्रेलियाई गेंहू

3041. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने भारत को गेहूं की सप्लाई करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में सप्लाई करना स्वीकार किया हैं;

(ग) कितने मूल्यों पर; और

(घ) उक्त गेहूं संभवतः कब तक भारत पहुंच जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ). फरवरी, 1971 में आस्ट्रेलिया से नकद भुगतान पर लगभग 50 हजार मीटरी टन गेहूं खरीदा गया था। उसमें से कुछ मात्रा प्राप्त हो चुकी है और शेष मात्रा के इस महीने के अन्त में प्राप्त होने की सम्भावना है।

खाद्य तथा कृषि पोषाहार बोर्ड की बैठक

3042. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि पोषाहार बोर्ड की बैठक 18 मई, 1971 को हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड की उक्त बैठक दो वर्ष के बाद हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किए गए ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खाद्य तथा पोषाहार बोर्ड की बैठक 18 मई, 1971 को हुई थी।

(ख) बोर्ड की इससे पूर्व की बैठक 3-7-1969 को हुई थी।

(ग) बोर्ड ने खाद्य तथा पोषाहार बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति और वित्तीय वर्ष 1971-72 के कार्यक्रम की समीक्षा की थी। वर्तमान योजनाओं को जारी रखने के अलावा, बोर्ड द्वारा लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है :

खाद्य सोया-आटा के उत्पादन दाल-मिलिंग और मक्का-विधायन का आधुनिकीकरण करने की परियोजनाएं शुरू करना, वनस्पतियों से प्रोटीन 'आइसोलेट' का प्रयोग कर 'मिलटोन' के उत्पादन के लिए वाणिज्यिक परियोजनाएं शुरू करने, विधिवत् भोजन सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रारम्भ करने, बिनौले के आटे का विकास करने, बालाहार (एक प्रोटीन युक्त खाद्य-पदार्थ) और दूध का प्रबलीकरण आदि को व्यापारिक बनाने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए कुछ उपसमितियां गठित करने के लिए भी निर्णय किया गया था।

चौथी योजना में कृन्तक नियंत्रण की योजना

3043. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में कृन्तक नियंत्रण की कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना की अनुमानित लागत क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) . वर्ष 1969-70 तक कृन्तक नियंत्रण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना थी जो 1 अप्रैल, 1969 से राज्य क्षेत्र को सौंपी गई थी। कृन्तक नियंत्रण सम्बन्धी सभी योजनायें राज्य प्लान स्कीमों के भाग के रूप में सम्मिलित की गई हैं। चूहा नियंत्रण योजनाओं की मुख्य विशेषता कृन्तकनाशी औषधियों का प्रयोग करना है, लेकिन चूहों को पड़कने के लिए पिंजरा लगाना, दाना खिलाना तथा बिल पर जहरीली गैस डालना आदि अन्य ढंग भी प्रयोग में लाये जाते हैं। राज्यों में चूहा नियंत्रण योजनाओं के अन्तर्गत आने जाने वाले क्षेत्र के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

	क्षेत्र लाख हैक्टरों में
1971-72	80.0
1972-73	90.0
1973-74	100.0

चूहा नियंत्रण योजनाओं के कार्यान्वियन पर आने वाली लागत 'वनस्पति-रक्षण' के अन्तर्गत राज्य योजना के परिव्यय का भाग है।

सामुदायिक विकास खंडों पर व्यय

3044. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामुदायिक विकास खंडों की संख्या कितनी है तथा राज्यवार उनके आंकड़े क्या हैं;

(ख) उसमें कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा एक खंड पर प्रशासनिक तथा आनुषंगिक औसत व्यय कितना है; और

(ग) प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) एक विवरण जिसमें विकास खण्डों की राज्यवार कुल संख्या दी गई है, संलग्न हैं।

(ख) कुछ समय पूर्व मंत्रालय ने खंडों में कर्मचारी नियुक्त करने का जो प्रतिमान स्वीकृति किया था उसमें एक खण्ड विकास अधिकारी, 9 विस्तार अधिकारी, 10 ग्रामसेवक, 2 ग्राम सेविकाएं और लगभग 20 सहायक कर्मचारी, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पशु-चिकित्सा औषधालय के कर्मचारी भी शामिल हैं, रखने की व्यवस्था है। इस प्रतिमान में पांच वर्ष की अवधि में कर्मचारियों (खण्ड में पूर्ववर्ती कर्मचारियों सहित) पर तथा फुटकर व्यय के लिए 3.83 लाख रु० खर्च करने का प्रावधान है। इस प्रकार यह व्यय कर्मचारियों पर औसतन 64,680 रु० प्रति वर्ष और फुटकर व्यय के लिए 12,000 रु० प्रति वर्ष बनता है। तथापि, हर राज्य और हर खण्ड में वास्तविक स्थिति में काफी अन्तर है।

(ग) 1968 में हुए मुख्य मंत्रियों और सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में खण्डों के प्रशासनिक व्यय को न्यूनतम रखने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था और यह सिफारिश की गई थी कि हर क्षेत्र में कार्यक्रम की वास्तविक संभाव्यता एवं कार्यभार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा खंड संगठन के प्रतिमान में संरचनात्मक तथा संगठनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। यह सुझाव दिया गया था कि जिन कार्यकर्ताओं के पास निर्दिष्ट क्षेत्र में पर्याप्त काम न होने की संभावना हो उन्हें अन्य कार्यों में लगाया जा सकता है। यह सिफारिश राज्यों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई थी।

विवरण

राज्य	विकास खण्डों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	445
2. असम और मेघालय	160 (अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)
3. बिहार	575
4. गुजरात	224
5. हरियाणा	82
6. हिमाचल प्रदेश	69
7. जम्मू तथा काश्मीर	70
8. केरल	143
9. मध्य प्रदेश	416
10. महाराष्ट्र	425
11. मैसूर	268
12. नागालैंड	21
13. उड़ीसा	307
14. पंजाब	116

राज्य	विकास खण्डों की संख्या
15. राजस्थान	232
16. तमिल नाडु	375
17. उत्तर प्रदेश	899
18. पश्चिम बंगाल	341
कुल राज्य	5168
कुल केन्द्र शासित क्षेत्र	$101\frac{1}{3}$
कुल योग	$5269\frac{1}{3}$

बेरोजगारी के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन

3045. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :**

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई क्षेत्रीय संगठन के मुक्त व्यापार संघों के अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ के तत्वावधान में हाल ही में बम्बई में बेरोजगार के बारे में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन मामलों पर चर्चा हुई और उसमें क्या सुझाव दिए गयें; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और क्या सरकार का विचार उन्हें क्रियान्वित करने का है, यदि हां तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). सरकार ने बेरोजगारी के सम्बन्ध मे भारतीय श्रम संघ के सम्मेलन का प्रतिवेदन देखा है। इसमें सामान्यत: बेरोजगारी की समस्या और इसको दूर करने के कुछ सम्भव उपायों का उल्लेख है।

(ग) इन समस्याओं पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है, इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का उत्पन्न होनेवाली आवश्यकताओं और उपलब्ध साधनों पर आधारित होना अनिवार्य है।

वर्ष 1970-71 के दौरान खाद्यान्नों का आयात

3046. **श्री प्रबोधचन्द्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 के दौरान कितने मूल्य के खाद्यान्नों का आयात किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : 1970-71 के दौरान आयातित खाद्यान्नों का कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (गेहूं तथा चावल) लगभग 185 करोड़ रुपये था।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कृषि उत्पादन कार्यक्रम

3047. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन को देखते हुए वहां कृषि उत्पादन कार्यक्रम की जांच करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

चौथी योजना के दौरान नारियल के विकास हेतु अनुसंधान परियोजना

3048. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना के दौरान नारियल के विकास के लिए एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना चलाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न स्थानों पर इसके केन्द्र खोलने सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक अखिल भारतीय समन्वित नारियल एवं सुपारी सुधार परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना में मंजूर की गई है।

(ख) परियोजना की स्थापना निम्न प्रकार की गई है :—

मुख्य केन्द्र :—　केसरगोद (केरल)

क्षेत्रीय केन्द्र :— 1. कवांगुलाय (केरल)
2. वित्तल (मैसूर)

उप-केन्द्र

1. वप्पांकुलम (तमिल नाडु)
2. रजोले (आंध्र प्रदेश)
3. अन्देमान द्वीप समूह

4. रत्नागिरि (महाराष्ट्र)
5. श्री वर्धन (महाराष्ट्र)
6. पालोदे (केरल)
7. पीची (केरल)
8. हायर हाली (मैसूर)
9. मोहित नगर (पश्चिम बंगाल)
19. काहीकूची (असम)

उपरोक्त केन्द्रों के अतिरिक्त निम्नलिखित केन्द्र, जिनकी सारी वित्त व्यवस्था राज्य सरकारें कर रही हैं, भी परियोजना को सहयोग दे रहे हैं :—

1. निलेश्वर (केरल)
2. आरसीकेरे (मैसूर)
3. महुवा (गुजरात)
4. गुदियाथम (तमिल नाडु)

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 54.00 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। धन उपलब्ध हो जाने पर परियोजना के और विस्तार करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का स्वामी बनाना

3049. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में मध्य प्रदेश में कितने भूमिहीन व्यक्तियों को वास्तविक और स्थाई रूप में भूमि का स्वामी बनाया गया; और

(ख) इस योजना से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों और हरिजनों को लाभ हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख). राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन काफी वर्कर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली की सदस्यता

3050. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन काफी वर्कर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के सदस्यों की संख्या कितनी है; और

(ख) सदस्यता प्राप्त करने की शर्त क्या है और ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो अभी तक सदस्य नहीं बने हैं ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) 244.

(ख) समिति की सदस्यता को विनियमित करने की शर्तें इस प्रश्न के विवरण में दी गई हैं। अभी तक 297 कर्मचारी इसके सदस्य नहीं हैं।

विवरण

सदस्यता की शर्तें :

उप विधियां

5. कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता है जब तक कि:—

(क) वह उस दिन इस समिति का सदस्य न हो जब ये उपनियम अपनाए जाएं; अथवा

(ख) वह समिति का कर्मचारी न हो और उसने समिति में संतोषजनक रूप से लगातार एक वर्ष की सेवा पूरी न की हो;

(ग) उसकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा न हो;

(घ) उसने उपविधि संख्या-16 के उपबन्धों का पालन न किया हो।

6. प्रत्येक सदस्य प्रवेश लेने के समय 1 रु0 का प्रवेश शुल्क देगा जो किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।

7. (क) सदस्यता के लिए आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप में समिति के सचिव को देना होगा।

(ख) समिति का कोई भी सदस्य किन्हीं ऐसी ट्रेड यूनियनों अथवा संगठनों का सदस्य नहीं बन सकेगा, जिनके लक्ष्य उद्देश्य और गतिविधियां समिति के हित के विरुद्ध हों।

16. प्रवेश लेते समय, प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम हिस्सों का पूरा मूल्य चुकाना होगा, बशर्ते कि प्रबन्ध समिति उपयुक्त मामलों में इस शर्त से छूट दे और उचित किस्तों में अदायगी करने की अनुमति दे।

विभिन्न मंत्रालयों के अधीन नैमित्तिक श्रमिकों के कार्य तथा भर्ती की शर्तें

3051. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

श्री नुग्घली शिवप्पा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विभिन्न मंत्रालयों के अधीन कार्य कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों के कार्य तथा भर्ती सम्बन्धी शर्तों को नियमित बनाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रमुख बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) केन्द्रीय सरकार के संस्थानों में नियुक्त आकस्मिक श्रमिक की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित ड्राफ्ट माडल विनियमों के सेट पर सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

(ख) योजना के मुख्य लक्षणों को अभी अन्तिम रूप देना बाकी है । प्राप्त हुई टिप्पणियों के आधार पर इन्हें अन्तिम रूप दिया जायगा ।

जर्मन संघीय गणतन्त्र तथा जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणतंत्र द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित कृषि परियोजनायें

3052. **श्री पी० के० देव :**

श्री रोबिन ककोटी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन संघीय गणतंत्र और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र के सहयोग से भारत में कितनी कृषि परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से कार्य हो रहा है; और

(ख) क्या जर्मन संघीय गणतंत्र और जर्मन लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के साथ किसी नई कृषि परियोजना को आरम्भ करने के बारे में विचार विमर्श हो रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जर्मन संघीय गणतंत्र और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणतंत्र के सहयोग से भारत में किसी भी कृषि परियोजना पर संयुक्त रूप से कार्य नहीं हो रहा है।

परन्तु, इस समय भारत में चल रही चार कृषि विकास परियोजनाओं के लिए जर्मन संघीय गणतंत्र सरकार से तकनीकी तथा साज-सामान सम्बन्धी सहायता मिल रही है। ये परियोजनायें हिमाचल प्रदेश के मन्डी तथा कांगड़ा जिलों, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले और उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में स्थित हैं ।

कृषि विकास के क्षेत्र में जर्मन लोकतंत्र गणतंत्र से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है ।

(ख) जी हां । जर्मन संघीय गणतन्त्र से बिहार राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में एक अन्य

भारत-जर्मन परियोजना शुरू करने के लिए सम्पर्क स्थापित किया गया है। विदेशी सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

मनीपुर सरकार द्वारा अन्य राज्यों में बिक्री के लिए मक्का की वसूली

3053. **श्री एन० टोम्बी सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनीपुर सरकार ने, अन्य राज्यों में मक्का की बिक्री के लिए, उसकी वसूली करने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हाँ, तो मनीपुर सरकार ने कितनी मात्रा में मक्का की वसूली की है;

(ग) क्या इस व्यवस्था के अन्तर्गत फालतू मक्का मनीपुर में नहीं बेची जाती; और

(घ) क्या बिहार जैसे अन्य राज्यों ने मनीपुर सरकार के द्वारा मक्का खरीदने की इच्छा नहीं की ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग). मणिपुर की सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से जुलाई, 1971 से शुरू होने वाली आगामी फसल से मक्का की अधिप्राप्ति करने के पग उठाने के लिए अनुरोध किया है। भारतीय खाद्य निगम ने इन प्रबन्धों को मणिपुर सरकार के परामर्श से अभी अन्तिम रूप देना है। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि अन्य राज्यों में बिक्री के लिए मणिपुर में मक्का की कितनी मात्रा है, यदि कोई है, तो अधिप्राप्त की जाएगी।

(ग) जी नहीं।

मनीपुर में काजू, सेव आदि के उत्पादन संबंधी परीक्षण तथा उन पर व्यय

3054. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मनीपुर में काजू, सेब तथा अन्य प्रकार के फलों के उत्पादन के सम्बन्ध में परीक्षण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा उन पर कितना धन खर्च किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस समय मनीपुर में इन फसलों पर भारत सरकार द्वारा कोई अनुसंधान-अन्वेषण नही हो रहा है। परन्तु मनीपुर में भारत सरकार का एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है, जोकि अन्य बातों के साथ साथ बागवानी सम्बन्धी फसलों का भी अनुसंधान करेगा। इस समय मनीपुर के इम्फाल नामक स्थान पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक अखिल-भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना केन्द्र स्थित है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

कालकाजी, नई दिल्ली स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में नागरिक सुविधाएं

3055. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास विभाग, कालकाजी नई दिल्ली स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी के दिल्ली नगर निगम के अधिकार में आने तक इस कालोनी में सड़क-प्रकाश जैसी सामान्य नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). बस्ती में घरेलू प्रयोजन के लिए पानी और बिजली की सप्लाई पर्याप्त रूप में उपलब्ध है । मल निकास व्यवस्था भी उचित रूप से चल रही है । जहां तक सड़क-प्रकाश का सम्बन्ध है, किसी भी विशेष क्षेत्र में 50 प्रतिशत् मकानों के बन जाने पर ही निगम सड़क-प्रकाश की व्यवस्था का कार्य हाथ में लेता है । अलाटियों द्वारा किए गए करार के अनुसार, मई, 1971 तक 50 प्रतिशत् मकानों का निर्माण हो जाना चाहिए था किन्तु इस सम्बन्ध में प्रगति अत्यन्त धीमी है ।

नई दिल्ली में कालकाजी स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी के अलाटियों की ओर से मध्यस्थ निर्णय के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र

3056. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में कालकाजी स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी के अलाटियों के समझौते के पैरा (18) के अन्तर्गत मध्यस्थ निर्णय के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र लम्बी अवधि से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रार्थनाओं को मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है और प्रत्येक मामले में मध्यस्थ निर्णय के क्या पंचाट हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). जी, नहीं।

नई दिल्ली में कालकाजी स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में प्लाटों के अलाटियों से समझौते के खंड (XVIII) के अधीन मध्यस्थ निर्णय के लिए बहुत सी प्रार्थनाएँ प्राप्त हुई हैं । इस सामले की जांच की गई थी जिससे यह ज्ञात हुआ कि ये प्रार्थनाएं मान्य नहीं हैं, क्योंकि

उस समय ऐसा कोई विवाद-मतभेद नहीं उठाया गया था जिसे कानूनी तौर पर समझौते के खंड (XVIII) के अधीन मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजा जाता। तदनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित कर दिया गया है।

कालकाजी, नई दिल्ली की पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितों की बस्ती में कार्य कर रही एसोशिएशन समितियां

3057. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास विभाग ने कालकाजी, नई दिल्ली स्थित पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितों की बस्ती के विकास के लिए कार्य कर रही विभिन्न समितियों/ऐसोशिएशनों को पत्र लिखे हैं तथा उनसे अपने सदस्यों के नामों व पतों की सूची पेश करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी सूचियों की मांग करने के क्या कारण हैं तथा विभाग इन सूचियों का क्या करेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) . पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती कालकाजी से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में बहुत सी एसोसिएशन/समितियां पुनर्वास विभाग को पत्र भेजती रही हैं। इन एसोसिएशनों/समितियों के प्रतिनिधिक रूप को निर्धारित करने की दृष्टि से, उनसे अपने नियम और विनियमों की एक प्रतिलिपि और अपने सदस्यों की संख्या की एक सूची उनके पतों सहित, और इसके साथ-साथ पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में उन सदस्यों को अलाट किये गये प्लाटों की संख्या प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

खाद्यान्नों के बारे में आत्मनिर्भरता

3058. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 20 मार्च को नई दिल्ली में हुई संसद सदस्यों और किसानों की एक बैठक में यह घोषणा की थी कि खाद्यान्नों का आयात इस वर्ष के अन्त तक बिल्कुल बन्द कर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इस वर्ष के अन्त तक खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्म निर्भर हो जायेगा; और

(ग) इस निर्णय का आधार क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं। इस सम्बन्ध में यह कहा गया था कि 1971 के बाद खाद्यान्नों का रियायती आयात बन्द कर दिया जायेगा।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठते।

वर्ष 1968-69 से 1970-71 तक वसूल किए गए खाद्यान्नों का राज्यवार ब्यौरा

3059. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 से 1970-71 तक वस्तुतः वसूल किए गए खाद्यान्नों का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधियों के दौरान वसूली के अनुपात (प्रतिशत) का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्षों में वसूली में वृद्धि की गति उत्पादन के अनुरूप नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). कृषि वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में प्रत्येक राज्य में अधिप्राप्त किए गये खाद्यान्नों की मात्रा और निवल उत्पादन से उसका अनुपात (प्रतिशतता) बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). हाल के वर्षों में अधिप्राप्ति की मात्रा प्रायः उत्पादन के अनुकूल ही रही है। तथापि, 1969-70 में उस वर्ष की पैदावार की तुलना में अधिप्राप्ति में कमी आन्ध्र प्रदेश में तूफान आने और देश के पूर्वी भाग में बाढ़ आने जैसे कई कारणों से हुई है।

कृषि वर्ष 1968-69 से 1970-71 तक की अवधि में राज्यवार और वर्षवार वास्तव में अधिप्राप्त किए गए खाद्यान्नों की मात्रा और राज्यवार निवल उत्पादन की प्रतिशतता बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	1968-69 जुलाई 68-जून 69		1969-70 जुलाई 69-जून 70		1970-71 जुलाई 70-मई 71	
	खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति	निवल उत्पादन की प्रतिशतता	खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति	निवल उत्पादन की प्रतिशतता	खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति	निवल उत्पादन की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	445	7.4	162	2.5	498	
असम	199	9.9	107	5.8	81	
बिहार	79	1.0	35	0.5	29	
गुजरात	16	0.8	18	0.6	47	

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	461	17.5	676	16.9	786	
हिमाचल प्रदेश	–	–	नग०	नग०	1	
जम्मू तथा कश्मीर	50	5.2	5.2	4.1	34	
केरल	92	7.4	86	7.9	75	
मध्य प्रदेश	394	4.8	370	4.3	601	
महाराष्ट्र	479	7.6	385	6.4	306	
मैसूर	86	1.9	81	1.6	21	
नागालैंड	–	–	–	–	–	
उड़ीसा	274	5.8	276	6.3	267	
पंजाब	2257	41.3	2500	41.2	2544	
राजस्थान	33	0.9	42	1.0	134	
तामिल नाडु	706	14.9	592	10.8	111	
उत्तर प्रदेश	707	5.0	422	2.7	873	
पश्चिमी बंगाल	423	6.7	413	6.4	248	
केन्द्र शासित क्षेत्र	28	3.7	20	2.8	34	
जोड़ :—	6729	8.2	6226	7.2	6690	

नोट :—1970-71 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन सम्बन्धी पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः प्रतिशतता का हिसाब नहीं लगाया जा सका।

(नग०) 500 मीटरी टन से नीचे।

कृषि अनुसंधान केन्द्र

3060. **श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कृषि अनुसंधान केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) उनके कार्य में कितनी प्रगति हुई है तथा उन पर कितनी राशि खर्च होती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के आधार पर, भारत में कृषि अनुसंधान केन्द्रों की राज्य-वार सूची संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**-524/71] परन्तु सूची में वाणिज्यिक फसलों के ऐसे अनुसंधान संस्थान सम्मिलित नहीं हैं जिनकी देखरेख विदेश-व्यापार मंत्रालय करता है या उस मंत्रालय के अधीन ऐसे बोर्ड जो गैर-सरकारी अनुसंधान संगठनों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं।

(ख) कृषि राज्यों का विषय है। हमें राज्यों से उनके अनुसंधान केन्द्रों के कार्य की प्रगति और उन पर होने वाले व्यय के बारे में रिपोर्टें नहीं मिलती। फिर भी, राज्य में जो कार्य हो रहा है उसका विवरण सामान्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की वार्षिक रिपोर्टों में दिया जाता है। ये रिपोर्टें समय-समय पर सभा के पटल पर प्रस्तुत की जाती हैं। इन वार्षिक रिपोर्टों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों और उनके अनुसंधान केन्द्रों में हुए कार्य की प्रगति के बारे में सूचना भी संक्षेप में होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसाइटी की वर्ष 1969-70 की वार्षिक रिपोर्ट उसकी 19 जून, 1971 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में स्वीकृत की गई। यह रिपोर्ट छपने के उपरान्त सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली और पश्चिम बंगाल में बसे पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थी

3061. **श्री पी० आर० दास मुन्शी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1958 तक पाकिस्तान से दिल्ली और पश्चिम बंगाल में आये शरणार्थियों की वास्तविक संख्या कितनी थी;

(ख) उस समय दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को और पश्चिम बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को कितनी वित्तीय सहायता और भूमि दी गई थी; और

(ग) क्या दिल्ली, पश्चिम बंगाल या दण्डकारण्य कैम्प में अब बसे शरणार्थियों के जीवन-स्तर और सुविधाओं के बीच कोई अन्तर है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) (31-12-1958 तक)

दिल्ली	5.01 लाख
पश्चिम बंगाल	31.61 लाख

(ख) (1) **वित्तीय सहायता**

दिल्ली	8.60 करोड़ रुपये (31-3-1961 तक)
पश्चिम बंगाल	142 करोड़ रुपये (31-3-1961 तक)

(ii) **भूमि का एलाटमेंट**

दिल्ली	13,328 एकड़ इसमें दावेदारों को एलाट की गई भूमि भी शामिल है।
पश्चिम बंगाल	लगभग 2 लाख एकड़

(ग) दिल्ली में और पश्चिम बंगाल या दण्डकारण्य में बसाये गए शरणार्थियों के जीवन-स्तर के बीच अन्तर का पता लगाने के लिए एक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आवश्यक है। इस प्रकार का सर्वेक्षण करने के लिए जो समय और शक्ति लगेगी वह प्राप्त संभावित परिणामों के अनुरूप नहीं होगी।

दालों के उत्पादन में प्रगति और खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी

3062. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 1969-70 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी कमी हुई है; और

(ग) क्या सरकार ने दालों का अधिक उत्पादन करने के लिए योजनाएं बनाई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां। 1010 लाख मीटरी टन के लक्ष्य की तुलना में सन् 1969-70 में लगभग 995 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था। अधिक उत्पादनशील किस्म की मक्का, ज्वार और बाजरे, बहु-फसली खेती, लघु सिंचाई और उर्वरकों की खपत के लक्ष्यों में कमी के कारण ही लक्ष्यों की प्राप्ति में 15 लाख मीटरी टन की कमी हुई है।

(ग) अनुसंधान वैज्ञानिकों के सहयोग से दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं, परन्तु अभी तक वास्तविक सफलता नहीं मिली है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की वसूली के लिए प्रयुक्त मापक यंत्र

3063. **श्री के प्रधानी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की वसूली के लिए प्रयोग किया गया मापक यंत्र राज्य सरकारों द्वारा किये गये धान के वर्गीकरण के उपयुक्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). सम्भावतया उल्लिखित औज़ार मैक्रोमीटर है जोकि विभिन्न किस्मों के चावल की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात निकालने के लिए लाइनर माप का निर्धारण करने हेतु प्रयोग किया जाता है। विभिन्न राज्यों में चावल की विभिन्न किस्मों के वर्गीकरण के लिए एक-सा तरीका निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर वर्गीकरण के लिए लम्बाई-चौड़ाई अनुपात का तरीका अपनाया गया था। अधिकांश राज्यों ने इस तरीके से वर्गीकरण के सिद्धान्त को प्रायः मंजूर कर लिया हैं।

रानीगंज कोयला पट्टी में अदालतों में दायर किये गये प्रमाण पत्रों संबंधी मामले

3064. **श्री कृष्णचन्द हाल्दर :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रानीगंज कोयला पट्टी की विभिन्न अदालतों में प्रमाण-पत्रों सम्बंधी कुल कितने मामले दायर किये गये;

(ख) अब तक कितने मामले निर्णित हुए हैं तथा कितनी धनराशि वसूल की गई है; और

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा कार्य-वाही में तेजी लाने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के खाडिलकर) : (क) 1-1-1968 से 31-5-1971 तक 100।

(ख) मामलों का अभी निपटान किया जाना है।

(ग) प्रमाण-पत्र अधिकारियों को केन्द्रीय औद्योगिक, संपर्क तंत्र के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से मामलों के निपटान हेतु शीघ्र कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना की जाती है; फैसला पूर्वोक्त ने करना है।

गिरिडीह कोयला खानों संबंधी तकनीकी समिति का प्रतिवेदन

3065. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा 20 जुलाई, 1968 को एक संकल्प पारित करके नियुक्त की गई एक तकनीकी समिति ने 10 दिसम्बर, 1968 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था जिसमें गिरिडीह कोयला खानों में खण्डिया सीमा के दस वर्षों तक चलाने का सुझाव दिया गया था।

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति ने गिरीडीह की विभिन्न विकसित खानों में से कोयला निकालने की प्रत्याशित अवधि कितनी निर्धारित की है;

(ग) गिरिडीह क्षेत्र में उन खानों के नाम क्या हैं जिनमें से कोयला नहीं निकाला गया है और उसमें कितनी कितने निक्षेप हैं;

(घ) क्या उपर्युक्त समिवि ने गिरिडीह की खान संख्या 11 और रानीगंज कोयला एसोसिएशन की खान संख्या 14 और 15 तथा वीरा कोल कम्पनी की खानों की स्थिति के बारे में जांच-पड़ताल की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) समिति ने यह विचार अभिव्यक्त किया कि खण्डिया परत आर्थिकेतर खान है और इसे भी बन्द किया जा सकता है । तथापि, वहां पर्याप्त राशियां उपलब्ध हैं और कतिपय शर्तों के अधीन खान पर कार्य करना साध्य हो सकेगा।

(ख), (ग), (घ) और (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

स्त्री खनिकों की समस्या को हल करने के सुझाव

3066. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 जुलाई, 1968 को राष्ट्रीय कोयला निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा, एक संकल्प पारित करके नियुक्त की गई एक तकनीकी समिति ने 10 दिसम्बर, 1968 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त समिति ने खानों में काम करने वाली स्त्रियों की समस्या का समाधान करने के लिए लकड़ी का कोयला बनाने के बारे में कुछ सुझाव दिए है; और

(ग) यदि हां, तो उस सुझाव को किस हद तक क्रियान्वित किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं और सभा पटल पर रखी जाएगी।

तबेला कैम्प, भावनगर, गुजरात

3067. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भावनगर, गुजरात में 'तबेला कैम्प' नामक बस्ती के विस्थापित लोगों की सम्पत्ति के बारे में काफी समय से कोई निर्णय नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का निर्णय क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). इस मामले पर गुजरात सरकार से पत्र व्यवहार हो रहा था। ये मकान राज्य सरकार के हैं। उन्होंने अब सूचित

किया है कि उन्होंने या तो निम्नलिखित कार्यवाही कर ली है या कर रहे हैं :—

(i) राज्य सरकार अपने द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य के आधार पर विस्थापित व्यक्तियों को सीधा मकानों का हस्तान्तरण कर देगी ।

(ii) बहुत से कब्जेदारों की कमजोर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हस्तान्तरण की शर्तें उदार कर दी गई हैं ।

(iii) हस्तान्तरण के कार्य को प्रारम्भ करने के लिए भावनगर के कलक्टर को कहा गया है ।

एलकाक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड, गुजरात का बन्द किया जाना और कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बकाया राशि

3068. **श्री पी० एम० मेहता:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि भावनगर, गुजरात में एलकाक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड नामक एक सुप्रसिद्ध इंजीनियरिंग फर्म बन्द होने वाली है;

(ख) क्या इस कम्पनी ने कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंशदान की राशि का भुगतान सरकार को नहीं किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस बारे में, क्या कार्य-वाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): कर्मचारी भविष्य निधि और राज्य कर्मचारी बीमा योजना की प्रशासनिक जिम्मेवारी क्रमश: कर्मचारी भविष्य निधि और पारिवारिक पेन्शन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन गठित केन्द्रीय न्यासी मंडल और राज्य कर्मचारी अधिनियम, 1948 के अधीन गठित राज्य कर्मचारी बीमा निगम की है और भारत सरकार की सीधी जिम्मेदारी नहीं है। भविष्य निधि और राज्य कर्मचारी बीमा निगम को प्राधिकारियों ने नीचे लिखे अनुसार सूचना दी है ।

(क) अलकाक अशडाउन एन्ड को लिमिटेड की भावनगर फैक्ट्री (रामासर वर्कस) 17 मई, 1971 से बन्द हो गई है ।

कर्मचारी भविष्य निधि

(ख) फैक्ट्री ने मार्च, 1971 से मई 1971 की अवधि की लगभग 9708 रुपयों की भविष्य निधि की बकाया राशि नहीं दी है ।

राज्य कर्मचारी बीमा निगम

नियोजकों ने दिसम्बर, 1970 और मार्च, 1971 को तिमाही से संबंधित नियोजकों का विशेष अंशदान और 27.3.1971 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए कर्मचारियों के अंशदान की रकम जमा नहीं कराई है।

कर्मचारी भविष्य निधि

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन अभियोग चलाने के लिए नोटिस जारी कर दिये गए है और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन कार्यवाही के लिए भी कदम उठा लिए गए हैं। बकाया राशि को भू राजस्व के रूप में वसूल करने के लिए भी कार्यवाही कर दी गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 73 घ के अधीन दिसम्बर, 1970 की तिमाही से सम्बंधित नियोजक के विशेष अंशदान की, भू-राजस्व के समान वसूली के लिए कार्यवाही 10-3-71 को आरम्भ की जा चुकी है जिस दिन जिलाधीश को मांग भेजी गई थी। बाकी आदमियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

नारियल के वृक्षों के रोग को रोकने के उपाय

3069. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारियल के वृक्षों को लगने वाले रोग को रोकने के उपाय करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) देश के विभिन्न भागों में और विशेषकर केरल में नारियल अनुसन्धान केन्द्रों में किया गया कार्य नारियल के वृक्षों के रोग दूर करने में कहाँ तक सहायक सिद्ध हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड तथा कयानगुलम में उसके क्षेत्रीय केन्द्र को चतुर्थ योजना में वहाँ नारियलों के जड़-मुरझान रोग तथा अन्य विनाशक रोगों और कीट समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त योग्य वैज्ञानिकों की व्यवस्था कर सुदृढ़ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नारियल तथा सुपारी के सम्बन्ध में एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना भी लागू की है। इन फसलों के रोगों तथा कीटों को नियंत्रित करना परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य है।

(ख) संभवतः इस प्रश्न का संकेत केरल में पाए जाने वाले नारियल के बहुत ही विनाशकारी रोग जड़-मुरझान की ओर है। नारियल की कुछ और भी महत्वपूर्ण बीमारियाँ हैं उसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

नारियल के रोगों के सम्बन्ध में नोटः नारियल के रोगों में से मुख्य रोग निम्न हैं:—

1. जड़ मुरझान ।
2. पत्र विगलन ।
3. कली विगलन ।
4. थट्टीपका रोग ।
5. गैनोडर्मा मुरझान ।

उपरोक्त पाँचों रोगों के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं :—

1. जड़ मुरझान:—यह एक बहुत ही विनाशकारी रोग है जो कि मध्य केरल में नारियल बागानोंर के लगभग 2 5 लाख हैक्टार क्षेत्र में फैला हुआ है । रोग की स्थिति तथा उग्रता के आधार पर उत्पादन में 40-80 प्रतिशत की कमी हुई है । इस रोग के कारण होने वाली हानि 20 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है । रोग से आक्रांति वृक्ष अनुत्पादक बन बन जाते हैं किन्तु सूखते बहुत ही कम हैं । दो दशाब्दियों तक पर्याप्त जांच पड़ताल के बाद भी, स्पष्टत: इसके मूल कारण का पता नहीं चल सका है । इसके मूल में एक वाइरस की उपस्थिति की आशंका है और रोग-ग्रस्त पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया की भी उपस्थिति पाई गई है । रोग के ठीक ठीक निदान के ज्ञान के अभाव में अभी तक किसी भी प्रत्यक्ष नियंत्रक उपाय को अपनाना संभव नहीं हो सका है । किन्तु हाल ही में रोगग्रस्त क्षेत्र में किए गए एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि एक प्राकृतिक बौनी संकर किसम में इस रोग की विद्यमानता काफी कम है । इस निष्कर्ष की जाँच की जा रही है और पुष्टि होने पर इससे अधिक उत्पादनशील किस्म की कृषि से केवल नारियल के उत्पादन में ही वृद्धि नहीं की जा सकेगी बलिक रोग की आक्रांतता में भी पर्याप्त कमी आ जाएगी ।

2. पत्र विगलन:—यह रोग हैलिमिन्थो-स्पोरियम वाइको-लोर नामक फगंस के कारण होता है । रोग जनक एक बहुत ही दुर्बल फगंस है, जो कि प्राय: जड़-मुरझान रोग द्वारा निर्बल बनाए गए वृक्षों में मिलता है । तेल मिश्रित कापर कम्पाउन्डों के छिड़काव से रोग की तीव्रता में कमी आई है । किन्तु यह छिड़काव कुछ महंगा है, क्योंकि इसे प्रति वर्ष दोहराना पड़ता है । आशा है कि नारियल के जड़ मुरझान रोग के नियंत्रण के साथ साथ इस समस्या का स्वयमेव ही निराकरण हो जाएगा ।

3. कली विगलन:—मानसून के मौसम में यह रोग भारत प्रायद्वीप के काफी बड़े क्षेत्र में कहीं कहीं पाया जाता है । इसका कारण फाइट फिथौरा पालमीवोरा फगंस है । समय पर रोग का पता लगाने तथा फगंसनाशियों के प्रयोग से पौधों को स्वस्थ बनाया जा सकता है ।

4. थट्टीपका:—यह रोग आन्ध्र प्रदेश में राजोल के आसपास थोड़े से क्षेत्र में ही सीमित

है। इसके कारणों की जाँच पड़ताल की जा रही है। इसके कुछ लक्षण केरल में विद्यमान नारियल के जड़ मुरझान रोग से मिलते हैं।

5. गैनोडर्मा मुरझानः—यह भी एक फगंस जनित रोग है और गेनोडर्मा लूसीडम इसका कारण है। इह आयुवार्धक्य से दुर्बल हुए तथा ऊचें भूमि जल स्तर जैसे आंगिकीय तत्वों से क्षीण हुए पौधों को प्रभावित करना है। इह तमिलनाडु के एक सीमित क्षेत्र में ही पाया जाता है। उद्यानों की ठीक व्यवस्था तथा जल निकासी का प्रबन्ध ही हर रोग के उपचारक उपाय हैं।

मत्स्यपालन उद्योग पर जलदुषण का प्रभाव

3070. **श्री सी० के० चन्द्रप्पनः** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में मत्स्य पालन उद्योग पर जलदूषण का बुरा असर पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार और कितना तथा इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब पी० शिन्दे): (क) नदी प्रणालियों के बारे में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में मत्स्य-उद्योग पर जल-दूषणता का प्रभाव पड़ रहा है। अधिकांश जल-दूषणता औद्योगिक जल-प्रवाह से होती है, परन्तु गैर-उपचारित घरेलू मलप्रवाह और कृषि कार्यो में प्रयोग की गई कुछ कीटनाशियों से भी यह समस्या पैदा होती है। बम्बई में कालू नदी का भाग और बम्बई की खाड़ी, कानपुर क्षेत्र में गंगा तथा कलकत्ता के निकट हुगली नदी का ज्वार-भाटे का क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए क्षेत्रों में से हैं। निकटवर्ती क्षेत्रों में फसलों पर छिड़की गई कीटनाशियों की दूषणता के परिणामस्वरूप भी तालाबों, जोहड़ों और जलाशयों में मछलियाँ मर जाती हैं। समुद्री दूषणता के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं परन्तु कुछ मामलों में पोतों से तेल स्रवण के परिणामस्वरूप मछलियों का जीवन प्रभावित होने की रपोर्ट मिली है।

(ख) स्वास्थ्य, परिवार, नियोजन, निर्माण, आवास तथा शहरी विकास मन्त्रालय ने जल-दूषणता को रोकने के लिए संसद के समक्ष विधान रखा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों ने अपने क्षेत्र के जल में दूषणता को रोकने के लिए अपने मत्स्य विधान में व्यवस्था की है। भारतीय मानक संस्थान ने उद्योगों से अनेक प्रकार के दूषण जल-प्रवाह के लिए मानक निर्धारित किए हैं। कृषि मन्त्रालय ने अन्तर्देशीय मत्स्यकी के संबंध में जलदूषणता विषयक अनुसंधान की समस्या का अध्यययन करने के लिए खाद्य और कृषि संगठन के एक विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की हैं। उसकी सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान ने मात्स्य धन पर जलदूषणता के प्रभावों के विषय में अनुसंधान को तेज करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर, अखिल भारतीय स्वच्छता तथा लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर आदि विभिन्न संस्थाओं में समस्या के विभिन्न पहलुओं पर अन्वेषण किए जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने

इस समस्या से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं के जल-दूषणता विषयक अनुसंधान का समन्वय करने के लिए एक समिति का गठन किया है। केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान ने समुद्री जल-दूषणता के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में एक कार्यक्रम शुरू किया है।

बिजली मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का क्रियान्वयन

3071. **श्री तेजा सिंह स्वतंत्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली उपक्रमों के लिए स्थापित मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ग) किन किन राज्यों अथवा बिजली बोर्डों ने उक्त सिफारिशों को स्वीकार किया है तथा नए वेतनमानों को किस दिनांक से लागू किया है;

(घ) विभिन्न राज्यों अथवा बिजली बोर्डों में वेतन-मान कितना है तथा उसका बोनस, उत्पादन और अन्य सुविधाएं क्या हैं; और

(ङ) उन राज्यों/बोर्डों में इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जहां उन्हें अभी लागू करना है।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने बिजली संस्थान की अन्तिम रिपोर्ट 19 दिसम्बर, 1961 को भारत सरकार को दे दी है। और इसकी सिफारिशें संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी०—15 (17) 69 ता० 13-7-1970 के अनुसार सरकार ने मान ली थी। संकल्प की एक प्रति लोक सभा के सभा पटल पर 28 जुलाई, 1970 को रख दी गई और बोर्ड के प्रतिवेदन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में भेज दी गई हैं।

(ग) और (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) जहां पर अभी तक सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं वहां पर लागू करने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से मजूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

Price of sugar in different States

3072. **Shri Jagannathrao Joshi** :

Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the price of sugar per quintal in Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Mysore, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Gujarat and Maharashtra at present ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : A statement indicating the wholesale prices of sugar at selected centres in Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Mysore, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Gujarat and Maharashtra as on the 17th of June, 1971 is attached.

Statement

Wholesale prices of sugar at selected centres in Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mysore, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.

States	Centres	(Rs. per quintal) 17.6.1871
Andhra Pradesh	Vijayawada	182.00
Gujarat	Ahmedabad	191.00
	Rajkot	202.00
Madhya Pradesh	Indore	180,00
	Bhopal	184.00
Maharashtra	Bombay	191.00
	Nagpur	210.00
	Ahmednagar	190.00
Mysore	Mysore	178.00
	Bangalore	180.00
	Shimoga	180.00
Tamil Nadu	Madras	175.00
	Madurai	175.00
	Coimbatore	175.00
Uttar Pradesh	Bareilly	175.00
	Kanpur	180.00
	Meerut	188.00
	Varanasi	180.00
	Hapur	180.00
	Muzaffarnagar	193.00

कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की बकाया धनराशि

3073. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान भविष्य निधि पर कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की बढ़ती हुई बकाया धनराशि के क्या कारण हैं;

(ख) कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की अनुमानित बकाया धनराशि कितनी है;

(ग) इस बकाया धनराशि को कम करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या इस धनराशि की वसूली हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 409 के अंतर्गत कोई मुकदमा चलाया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कोयला खान भविष्य निधि की व्यवस्था करना, कोयला खान भविष्य निधि परिवार पेंशन तथा बोनस अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित न्यासी बोर्ड का सम्बन्ध है और उससे केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नलिखित रिपोर्ट दी है।

(क) (i) देय भविष्य निधि को चुकता करने के लिए दोषी नियोजकों द्वारा किस्त की अदायगी में चूक की वसूली समिति द्वारा आज्ञा है।

(ii) देय भविष्य निधि की अदायगी के लिए वसूली समिति द्वारा दी गयी किस्तों की मंजूरी के कारण कानूनी कार्रवाही का आस्थगन।

(iii) अधिनियम में दोषों के लिए दण्ड-सम्बन्धी उपबन्ध पर्याप्त प्रतिरोधक नहीं हैं और कानूनी प्रक्रिया काफी समय लेती है।

(ख) दिसम्बर, 1970 के अंत में लगभग 6.87 करोड़ रुपये की राशि भविष्य निधि के बकाया के रूप में दोषी नियोजकों द्वारा देय थी।

(ग) (i) वसूली समिति दिसम्बर, 1970 में समाप्त कर दी गयी थी और दोषी नियोजकों के विरुद्ध कोयला खान भविष्य निधि, परिवार पेंशन तथा बोनस योजना अधिनियम, 1948 के अधीन तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अधीन भी प्रमाण पत्र के मामलों तथा अभियोजनों के रूप में प्रबल कानूनी कार्यवाही की गयी है।

(ii) केन्द्रीय सरकार ने बिहार पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को लिखा है कि वे बिलम्बित सार्टिफिकेट मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दें।

(iii) बिहार तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से प्रार्थना की गयी है कि वे प्रत्येक राज्य में एक एक सार्टिफिकेट अधिकारी नियुक्त करें जो कोयला खान भविष्य निधि के सार्टिफिकेट मामलों का एक मात्र काम करे।

(iv) अधिनियम तथा योजना के उल्लंघन के लिए और अधिक निवारणार्थ दण्ड की व्यवस्था करने के लिए कोयला खान भविष्य निधि परिवार पेंशन तथा बोनस योजना अधिनियम, 1948 के संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) 16 दोषी कोयला खानों के बिरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अधीन अभियोजन चलाये गये हैं। ये सब मामले न्यायाधीन हैं।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा दायर किए गए मामले

3074. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा बिना सोचे समझे ही और ध्यानपूर्वक इसकी जांच किये बिना ही भविष्य निधि के लिए अंशदानों तथा अन्य प्रशासनिक देनगियों की अदायगी कर दी गई है अथवा नहीं; आपराधिक मामले दायर कर दिए जाते हैं;

(ख) क्या ऐसे मामले नाम मात्र के कानूनी खर्च वसूल करने के बाद तुरन्त वापिस ले लिए जाते हैं तथा इसके लिए नियमित प्रणाली नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य से वर्षवार तथा महीने वार कानूनी खर्च के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गई और उसे किस लेखे के अधीन जमा कराया गया तथा अंततः अंश दाताओं के ही लाभ के लिए उस राशि को किस ढंग से उपयोग में लाया गया है।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि का प्रशासन का सम्बन्ध कर्मचारी भविष्य निधि व परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित न्यासी बोर्ड से है; और इसका केन्द्रीय सरकार से सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि के प्राधिकारियों ने निम्न रिपोर्ट दी हैं :—

(क) जी, नहीं।

(ख) ऐसे उचित मामलों में केसों को वापिस ले लिया जाता है जहाँ दोषी प्रतिष्ठान यथासमय सुधार कर लेते हैं और शुरू किए हुए मामले पर हुए व्यय को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पक्ष में प्रतिपूर्ति कर देते हैं।

(ग) वसूल की गई राशि को संगठन के प्रशासनिक लेखा में जमा कर दिया जाता है। राज्य-वार की गई अदायगी की सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वसूल किया गया दंड रूप क्षति मूल्य

3075. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा महीनेवार कुल कितनी राशि दंडरूप क्षति मूल्य वसूल किया गया; और

(ख) इस प्रकार वसूल किया गया उक्त दंडरूप क्षति मूल्य किस लेखे में जमा कराया गया; और

(ग) वसूल किया गया उक्त दंडरूप क्षति मूल्य अंशदाताओं की भलाई के लिए किस ढंग से उपयोग में लाया गया।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का सम्बन्ध कर्मचारी भविष्य निधि व परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित न्यासी बोर्ड से हैं और इसका केन्द्रीय सरकार से सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि के प्राधिकारियों ने निम्न रिपोर्ट दी है:—

(क) दो विवरण (अनुबन्ध 1 और 2 संलग्न हैं) जिनमें छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोजकों द्वारा भविष्य निधि अंशदानों की देर से की गई अदायगी पर वसूल की गई दाण्डिक *क्षतियां* और गत 3 वर्षों यानि 1968, 1969 और 1970 के दौरान प्रत्येक तिमाही के लिए प्रशासनिक। निरीक्षण व्यय की राशि दर्शायी गई है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०** —525/71]

(ख) अंशदानों और प्रशासनिक/निरीक्षण व्यय सम्बन्धी दाण्डिक क्षतियों द्वारा वसूल की गई राशियों का क्रम : कर्मचारी भविष्य निधि लेखा संख्या 1 (अंशदान लेखा) और कर्मचारी भविष्य निधि लेखा संख्या 2 (प्रशासनिक लेखा) में जमा कर दिया गया है।

(ग) भविष्य निधि अंशदानों के देर से किये गये भुगतान पर वसूल की गई दाण्डिक क्षतियों का उपयोग निधि के सदस्यों के भविष्य निधि : संचय पर अधिक दर से ब्याज घोषित करने के लिए और प्रशासनिक/निरीक्षण खर्चों पर ऐसी क्षतियों का उपयोग कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रशासन पर किया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि की सदस्यता का अधिकारी बनने हेतु अवधि में छूट देना

3076. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि के पैरा 26 का संशोधन करके भविष्य निधि की सदस्यता का अधिकारी बनने की अवधि में छूट देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ताकि इसको कोयला खान कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1948 के बराबर लिया जा सके ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पूर्व बंगाल के शरणार्थियों के लिए कनाडा से सहायता

3077. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कनाडा द्वारा पूर्व बंगाल के शरणार्थियों के लिए कितनी सहायता दी जा चुकी है अथवा दी जानी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कनाडा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा निजी एजेंसियों के माध्यम से खाद्य सामग्री, औषधियां तथा नकद रूप में 20 लाख डालर देने का वचन दिया है । एक वायुयान जिसके द्वारा श्रो० एक्स० एफ० ए० एम० कनाडा द्वारा चिकित्सा सामग्री भेजने की व्यवस्था की गई है, पहले ही 9 जून, 1971 को कलकत्ता पहुंच चुका है । कनाडा ने भारतीय रेड क्रास सोसाइटी को एक चलता फिरता अस्पताल देने की भी पेशकश की है ।

राष्ट्रमंडल के 13 चीनी उत्पादक देशों का सम्मेलन

3078. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1971 में लन्दन में हुए राष्ट्रमंडल के 13 चीनी उत्पादक देशों के सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई थी और क्या निर्णय किये गये थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ग) यह विचार-विमर्श 1974 के बाद ब्रिटेन के यूरोपियन इक्नामिक कम्यूनिटी में शामिल होने की स्थिति में कम्यूनिटी की चीनी की पेशकश के बारे में हुआ था; इस समय ब्रिटेन राष्ट्रमंडल चीनी करार के अधीन राष्ट्रमंडल देशों से चीनी आयात कर रहा है ।

इस विचार-विमर्श में भाग लेने वाली ब्रिटिश सरकार और अन्य राष्ट्रमंडल सरकारों ने इस पेशकश को सभी मौजूदा विकासशील सदस्य देशों के बारे में राष्ट्रमण्डल चीनी करार के अन्तर्गत आनेवाली चीनी की मात्रा के लिए विस्तृत कम्यूनिटी में सुरक्षित एवं सतत बाजार का एक पक्का आश्वासन माना है । विकासशील सदस्य देश इस आधार पर चीनी के अपने भावी उत्पादन की योजना जारी रख सकते हैं ।

संगरोध के बिना अमरीका और ताईवान से आयात किये गये बीजों के परिणामस्वरूप वाइरस और फंगस रोगों का फैलना

3079. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और दिल्ली में धान, गेहूं, सोयाबीन, दालों और आलू की फसलों की वाइरस और फंगस रोगों के कारण भारी क्षति हुई है;

(ख) क्या अमरीका, ताईवान तथा अन्य देशों से जल्दी में बिना आवश्यक संगरोध के बड़े पैमाने पर बीज आयात करने के परिणामस्वरूप ये रोग फैले हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था के निदेशक ने कुछ किस्मों के धान के प्रयोग के बारे में सरकार को सावधान किया था और उसकी चेतावनी की अवहेलना की गई;

(घ) क्या सरकार ने इस कृषि विपत्ति की जांच करने और उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कार्यवाही की है; और

(ङ) उक्त मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कुछ राज्य सरकारों ने धान, गेहूं, सोयाबीन, दालों तथा आलू आदि की विषाक्त/जीवाणु और/या फफूंदिय बीमारियों के होने की सूचना भेजी थी। लेकिन इनसे होने वाली हानि अधिक नहीं थी और बीमारियों का प्रभाव पिछले वर्षों की तुलना में अधिक नहीं था।

(ख) जी नहीं। इन बीमारियों के होने का कारण विदेशों से आयातित बीजों का प्रारम्भ करना नहीं था। सघन खेती से फसल की काफी वृद्धि होती है और इसके कारण भी बीमारियों की वृद्धि होती है।

(ग) जी नहीं। केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक द्वारा दी गई ऐसी कोई चेतावनी रिकार्ड पर नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

(ङ) जी हां। समस्त उपलब्ध संसाधन जुटाये गये थे और जब भी ये बीमारियां उत्पन्न हुई, उनके नियंत्रण के लिए वनस्पति-रक्षण सम्बन्धी उचित उपाय किये गये।

उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं और और अनुदानों की मंजूरी

3080. **श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से उस राज्य के काफी समय से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं और अनुदानों की मंजूरी देने हेतु कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) तथा (ख). निरन्तर रूप से सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्र में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी, हमीरपुर, जालौन तथा बान्दा नामक 6 जिले चुने गये है वर्ष 1970-71 से 1973-74 तक 4 वर्ष की अवधि में प्रत्येक चुनींदा जिले के लिए लगभग 2 करोड़ रु० का परिव्यय उपलब्ध किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्विति के लिए 3 जिलों में योजनायें स्वीकृत की जा चुकी है। अन्य 3 जिलों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

बहुफसलीय कृषि की मार्गदर्शी परियोजना के लिए क्षेत्रों का चयन

3081. **श्री राजदेव सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, देश के कुछ भागों में बहुफसलीय कृषि की मार्गदर्शी परियोजना आरम्भ कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कौन-कौन क्षेत्र लिए गए हैं अथवा उनका चयन किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों के चयन के लिए कोई मापदंड बनाया है।

(घ) यदि हां, तो क्या यह मापदंड पिछड़ापन और कृषि प्रधान क्षेत्र पर आधारित है;

(ङ) यदि केन्द्रीय सरकार ने इसके क्रियान्वयन के कार्यक्रम निरीक्षण करने के लिए किसी एजेन्सी का चयन किया है तो वह क्या है; और

(च) क्या ये चयन कृषि संबंधी विशेषज्ञता अथवा प्रशासनिक विशेषज्ञता के आधार पर किये जाते हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) चुनिन्दा खण्डों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) चुनिन्दा क्षेत्रों में :—

(i) सघन फसलें उगाने के लिए सिंचाई और निकासी की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।

(ii) सहकारी संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों, आदान सप्लाई फर्मों आदि की पर्याप्त संस्थायें होनी चाहिए।

(iii) कृषि की प्रगति के लिए अपेक्षित समुचित अवस्थापनायें जैसे सड़कें, बाजार, भण्डारगार और परिसंस्करण आदि की सुविधायें होनी चाहियें।

(ङ) और (च). मार्गदर्शी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख केन्द्रीय कृषि विभाग के फसल प्रभाग का एक तकनीकी कक्ष करेगा। कक्ष में तकनीकी अधिकारी और उनकी सहायता के लिए आवश्यक कार्यालय कर्मचारी होंगे। बहु-फसली कार्यक्रम के लिए बहुमुखी पहुंच की जरूरत है। फसल विशेषज्ञों और प्रशासन विशेषज्ञों की व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए।

विवरण

बहु-फसलों पर मार्गदर्शी परियोजनाएं-चुनिन्दा खण्डों की सूची

राज्यसंघ क्षेत्र का नाम	जिला	चुनिन्दा खण्ड	क्या सघन कृषि जिला कार्यक्रम/सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम/छोटे कृषक विकास जिला/साधारण
1.	2.	3.	4.
1. आंध्र प्रदेश	1. कुरनूर	कुरनूर	सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम
	2. करीमनगर	मेतापल्ली	,, ,,
	3. प० गोदावरी	पेरावल्ली	सघन कृषि जिला विकास कार्यक्रम
2. आसाम	1. दारना	खेराबारी	सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम
	2. सिवसागर	नज़ीरा	,, ,,
3. बिहार	1. पुरनिया	रानीगंज	सामान्य
	2. शाहाबाद	बिकरमगंज	सघन कृषि जिला विकास कार्यक्रम
	3. पटना	बिकरम	सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम
4. गुजरात	1. बुलसर	नावसरी	सघन कृषि जिला विकास कार्यक्रम
	2. सूरत	कमराज पलसोना	,, ,,
	3. मेहसाना	विजयपुर	सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम
5. हरियाणा	1. जिन्द	जिन्द	,, ,,
	2. रोहतक	गनोर	,, ,,
	3. रोहतक	कथुरा	,, ,,
6. जम्मू व कश्मीर	1. कथुआ	हीरानगर	सामान्य
	2. जम्मू	मढ़	सघन कृषि जिला विकास कार्यक्रम
7. केरल	1. पालघाट	नेमारा	,, ,,
	2. अर्नाकुलम	अंगामाली	सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम
8. मध्य प्रदेश	1. रायपुर	धमतरी	सघन कृषि जिला विकास कार्यक्रम
	2. टिकमगढ़	प्रीथवीपुर	सघन क्षेत्र कृषि कर्यक्रम
	3. मोरिना	जोरा	सामान्य
9. महाराष्ट्र	1. परभानी	वासमथ	सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम
	2. वरघा	सालू	,, ,,
	3. जलगांव	भढ़गांव	,, ,,

1	2	3	4
10. मेघालय	1. शिलांग-रेंज	मिलीरम-याउफ्लैंग माउरींगवनेंग	सामान्य
11. मैसूर	1. शीमोगा	होनाली तालुक	सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम
	2. रायचूर	सिन्धानूर	,, ,,
12. उड़ीसा	1. धेन कनाल	अंगुल	सामान्य
	2. कटक	गोबिन्दपुर	सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम
	3. फुलबानी	बुध	सामान्य
13. पंजाब	1. गुरदासपुर	गुरदासपुर	सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम
	2. जालंधर	फिलोर	,, ,,
	3. संघरुर	मलेरकोटला	सामान्य
14. राजस्थान	1. कोटा	लदपुरा	सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम
	2. सवाय माधोपुर	तोदाभीम	,, ,,
15. तमिल नाडु	1. थंजवार	पट्टूकोट्टाइ	सघन कृषि जिला विकास कार्यक्रम
	2. तीरुचि	मुसीरी	सामान्य
	3. दक्षिणी आरकाट	गुड्डालोर	सामान्य
16. उत्तर प्रदेश	1. अलीगढ़	धनीपुर	सघन कृषि जिला विकास कार्यक्रम
	2. गोंडा	झंझरी	सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम
	3. बदाउं	बिसाउली	छोटे किसानों के विकास की एजेन्सी
17. नागालैंड	1. कोहिमा	घसपानी	सामान्य
18. प० बंगाल	1. बर्दवान	जमालपुर	सघन कृषि जिला विकास कार्यक्रम
	2. बीरभूम	मैयुरासर	सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम
	3. हुगली	पुरसुराह	छोटे किसानों के विकास की एजेन्सी
19. दिल्ली	1. दिल्ली	अलीपुर	सघन कृषि जिला विकास कार्यक्रम
20. गोआ	गोआ	पोंडा-सलसीटी	सामान्य
21. मनीपुर	मनीपुर	थाउबल	सामान्य
22. पांडीचेरी	पांडीचेरी	पांडीचेरी	सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम
23. त्रिपुरा	त्रिपुरा	पानीसागर कुरनहार	सामान्य
24. हिमाचल प्रदेश	सिरमूर	पाउटा	सामान्य
25. नेफा	सियांग	बसार अलांग क्षेत्र	सामान्य

त्रिपुरा विधान सभा का $2\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि तक लगान माफ करने के बारे में संकल्प

3082. श्री बीरेन दत्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है जिसमें त्रिपुरा में $2\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि तक लगान माफ करने की सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Loans to farmers through All India Rural Credit Review Committee.

3083. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state ;

(a) the estimated amount of loans proposed to be given to the farmers during 1971-72 1972-73 and 1973-74 through All India Rural Credit Review Committee on short-term and mid term basis.

(b) the names of the banks from which the said loans are proposed to be given ;

(c) whether the said Committee has suggested that regions for giving loans to the farmers may be earmarked for the cooperative banks and the nationalised commercial banks ; and

(d) if so, the suggestions made by the committee and the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (**Shri Annasaheb P. Shnide**) : (a) Rural Credit Review Committee do not provide any loans. Cooperatives are, however, expected to provide, during the 3 years, 650 crores, Rs. 700 crores and Rs. 750 crores respectively as short and medium term loans. No. such year-wise phasing has been made for commercial banks.

(b) Cooperatives and commercial banks are expected to meet the credit needs. This would be supplemented by short-term loan from Government for increasing production.

(c) The Committee did not favour demarcation of areas or cultivators between cooperatives and commercial banks.

(d) Do not arise .

Dairy (Milk) Scheme for Farmers

3084. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Agriculture** be please to state :
(a) whether Government propose to formulate any Dairy (milk) Scheme for farmers

having holdings of 5 acres or less, with a view to improving their economic condition; and

(b) if so, the outlines thereof?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) & (b). Government has not formulated a separate dairy (milk) Scheme for farmers havings holdings of 5 acres or less, However the projects of SFDA & MFAL, contemplate dairy schemes for the indentified farmers and agricultural lobourers both as subsidiary occupation and for provision of employment. The sehemes are to be framed taking note of their economic viability and marketing arrangements. These schemes include subsidy for capital cost on purchase of animals, construction of sheds and loans from institutional agencies to the beneficiaries for this purpose. The subsidies range from 25% to 33%

Demand for Tractors

3085. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state;

(a) the number of tractors sold in each State during the last two years;

(b) the number of tractors required by the farmers in comparison to the supply thereof and the number of applications for tractors pending consideration, State-wise; and

(c) the concrete steps proposed to be taken by Government to meet the demand for tractors in the country?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P.Shinde) (a) to (c). The required information is being collected and will be laid on the table of the Sabha after it is reeeived.

Lead Deposits in Madhya Pradesh

3086. **Shri Nathu Ram Ahirwar** :Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state;

(a) whether lead deposits have been located near Bahadurpura village in Tikamgarh district of Madhbya Pradesh;

(b) if so, the extent of such deposits and

(c) the action taken so far, to exploit them?

The Minister of Steel and Mines (Shri Mohan Kumarmangalam) : (a) & (b). As a result of investigations carried out by the Geological Survey of India, an occurrence of lead ore has been located at Bahadurpur, in Tikamgarh district, Madhya Pradesh. Further work is in progress and the potentiality of this deposit can be assessed only after detailed work is completed.

(c) The Geological Survey of India have already carried out reconnaissance mapping of an area of 20 sq. km., large scale mapping of an area of 0.50 sq, km. and collection of 565 geochemical samples and 12 water samples from wells in Bahadurpur so far. The State Govt. of Madhya Pradesh also propose to drill 200 metres during 1971-72.

Dry-farming Scheme in States during Fourth Plan

3087. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount earmarked for the dry farming Scheme in the Fourth Five Year Plan and

(b) the names of the States where the said scheme will be introduced and the criteria for selecting the places in this regard ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (**Shri Annasaheb P. Shinde**) : (a) A sum of Rs. 20 00 crores has been provided in the Fourth Five Year Plan for the implementation of 24 Pilot projects under a Centrally Sponsored scheme of Integrated Dry Land Agriculture Devlopment.'

(b) The Scheme will be implemented in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mysore,Orissa,Rajsthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. Proximity to an I. C. A. R. Research Centre on dry farming is an essential condition for selecting a Project area. The actual selection of the Project area within the district is, however, done by the State Government concerned.

त्रिपुरा में ग्रामीण कार्यक्रम के बारे में समिति

3088. **श्री वीरेन दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में काफी समय से सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण कार्यक्रम के लिए एक समिति का गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

Meeting of Panchayat Secretaries of U. P. with Minister of Agriculture

3089. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a delegation of Panchayat Secretaries from all the districts of U. P, had called on him recently;

(b) if so, their problems ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) A deputation met the Minister on the afternoon of 4th June, 1971 and presented a memorandum in the name of U. P. Panchayat Secretaries' Union, Lucknow.

(b) The demands in the memorandum are as follows:-

(i) The Panchayat Secretaries be declared Government Servants.

(ii) Their pay scales should be Rs. i20-220.

(iii) The posts of Assistant Development Officer (Panchayat) be filled only by promotion of Panchayat Secretaries on the basiuas of qulification and seniortiy.

(iv) Panchayat Secretaries with 22 years of service should be made permanent.

(v) Panchayati Raj Department should be separated from Community Development Department.

(vi) Pay of 20% of Panchayat Secretaries was fixed in the scale of Rs. 75-115 from 1.4 1969. Pay of remaining Panchyat Secretaries should also be fixed in the revised scale from that date and arrears paid.

(vii) While bringing the Panchayat Secretaries who were drawing the maximum in the old scale to the revised scale of pay, only one increment of Rs. 2/- has been given to them without taking into consideration their length of service. This is not justified. The principle adopted in similar cases in the case of Government Servants may also be adopted in their cases.

(viii) The Panchayat Secretaries have been given Dearness Allowance at the rate of Rs. 37·50 per month. Half of the expenditure on this account is borne by Gaon Sabha and half by the State Government. This should be increased to Rs. 56/- per month and arrears should be paid accordingly from the date of adoption of the revised pay scale.

(ix) In case the State Pay Commission is considering the pay of Panchayat Secretaries, an interim relief of Rs. 25/- per month may be given to them.

(c) The memorandum has been forwarded to the Uttar Pradesh Government.

राजस्थान में अनाज को गोदामों में रखने की अपर्याप्त सुविधाएं

3090. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, नदियापुर, बाड़मेर, बीकानेर और अलवर में भारतीय खाद्य निगम के पास अनाज को स्टोर करने की व्यवस्था पूर्णतया अपर्याप्त है और अनाज को खुले में स्टोर किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणाम-स्वरूप फसल को कोई क्षति पहुंचने की सम्भावना है; और

(ग) स्टोर की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के पास निजी और किराए पर लिया गया कुल भंडारण स्थान 3.45 लाख मी० टन है। यह स्थान राज्य की आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए पर्याप्त है । तथापि पंजाब और हरियाणा से गेहूं की प्राप्ति के लिए भारतीय खाद्य निगम उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर और बाड़मेर में नियमित प्लिंथ पर पोलीथीन/तिरपाल के अन्दर गोदाम खोलने का प्रबन्ध कर रहा है ।

(ग) निगम मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए राज्य भाण्डागार निगम और प्राइवेट पार्टियों के माध्यम से और अधिक गोदाम किराए पर ले रहा है। राजस्थान में 1.26 लाख मी० टन क्षमता का एक निर्माण-कार्य भी हाथ में लिया गया है। इसके अलावा, 60,000 मी० टन क्षमता का निर्माण कार्य विचाराधीन है।

शिकार के पक्षियों के संरक्षण के लिए विधान

3091. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत बड़ी संख्या में शिकार के पक्षियों विशेषकर, तीतर को गैर-कानूनी तौर से पकड़ा जाता है और उनको खाने के लिए बाजार में बेचा जाता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त वन्य पक्षी को लालची पेशेवर शिकारियों से संरक्षण देने का है जिससे शिकार के पक्षी भोजनालयों में खाने के लिए उपलब्ध न हों ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) वन क्षेत्रों से गैर-कानूनी तौर से शिकारी पक्षियों को पकड़ने और उन्हें मांस के लिए बाजार में बेचने के विषय में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। कुछ राज्यों में गैर वन्य क्षेत्रों में लागू करने के लिए वन्य जीवन परिरक्षण संबन्धी वृहत अधिनियम न होने के कारण शिकारी पक्षियों को बिक्री के लिए सम्भवत: पकड़ा जा रहा है ।

(ख) चार राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात तथा गोवा ने गैर-वन्य क्षेत्रों में भी शिकार के पक्षियों को गैर-कानूनी तौर से पकड़ने या मारने से रोकने के लिए एक वृहत कानून लागू किया हुआ है। अन्य राज्यों में वनों के अन्दर शिकार के पक्षियों को पकड़ने को नियंत्रित करने के कानून मौजूद हैं। राज्यों को गैर-वन्य क्षेत्रों में भी लागू करने के लिए वृहत् कानून बनाने की सलाह दी गई है और वे ऐसा कर भी रहे हैं।

नया भूतत्वीय मानचित्र

3092. **श्री टी० बालकृष्णैया** : क्या **इस्पात तथा खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नया भूतत्वीय मानचित्र तैयार करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां। आशा की जाती है कि भारत के भूवैज्ञानिक मानचित्र के नये संरक्षण (सातवां संस्करण) का हस्तलेख 1972 तक पूर्ण हो जाएगा।

(ख) इस नवीन संस्करण में रॉक की प्रकारों का स्वरूप उनका विन्यास और क्षेत्रीय रूप से विच्छिन्न क्षेत्रों में अभिदर्शित एककों के सह सम्बन्ध के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे। मानचित्र में दी गई जानकारी की संश्लिष्टता को, भूवैज्ञानिक एककों के सम्बन्ध में उन अधिक विवरणों को सम्मिलित कर और विस्तृत किया जाएगा जिसको कि पिछले संस्करण में सामान्यकृत प्रकार से प्रदर्शित किया गया था।

त्रिपुरा की जन जातियों पर वन संरक्षण नीति का प्रभाव

3093. **श्री दशरथ देव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में वन संरक्षण नीति लागू किए जाने के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में जनजातियों के लोग बेकार हो गए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

त्रिपुरा में बंगला देश के शरणार्थियों के लिए शिविर

3094. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश से आए शरणार्थियों को शरण देने के लिए त्रिपुरा में कितने शिविरों का निर्माण किया गया है;

(ख) वे शिविर कहां-कहां स्थापित हैं; और

(ख) इन शिविरों में कुल कितने व्यक्तियों को बसाया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 15 ठहराने के शिविर।

(ख) पश्चिम और दक्षिण जिलों में प्रत्येक जिले में ठहराने के छः छः शिविर स्थापित किए गए हैं और उत्तर जिले में तीन हैं।

(ग) 19-6-1971 को इन शिविरों में व्यक्तियों की कुल संख्या 5,88,177 थी।

केन्द्रीय बिजली मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाना

3095. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बिजली मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मजूरी की दरों का पुनरीक्षण कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने सूचना दी है कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड में मजदूरी की दरें और मंहगाई भत्ता, वेज बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई दरों की अपेक्षा अधिक है और राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी विभिन्न पंच फैसला पंचाटों के अन्तर्गत लाभ उठा रहे हैं, जो वेज-बोर्ड द्वारा नहीं दिए गए थे।

धान का रक्षित भंडार

3096. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने अब तक धान का रक्षित भंडार बनाने के लिए अब तक कितनी मात्रा में धान की वसूली की है; और

(ख) भारत कितने वर्षों में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खरीफ मौसम 1970-71

(31 मई, 1971 तक) में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल के हिसाब से अधिप्राप्त की गई और ली गई कुल मात्रा 24.31 लाख मी० टन थी । इसमें धान के रूप में अधिप्राप्त की गई 6.91 लाख मी० टन (चावल के हिसाब से) की मात्रा शामिल थी। इसमें से कितनी मात्रा सरकारी वितरण में प्रयोग की जाएगी और कितनी बफर स्टाक के लिए छोड़ दी जाएगी, इसकी जानकारी विपणन वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् 31 अक्तूबर, 1971 के बाद ही उपलब्ध हो सकती है ।

(ख) 20 लाख मी० टन अथवा इसके लगभग परिचालन स्टाक के अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना में 50 लाख मी० टन का बफर स्टाक तैयार करने की परिकल्पना की गई है। यह आशा की जाती है कि यह लक्ष्य 1971 के अंत तक प्राप्त कर लिया जाएगा। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पग उठाये जा रहे हैं।

समस्तीपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बिहार का प्रबन्ध

3097. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या समस्तीपुर शुगर मिल्स लिमिटेड (ज़िला दरभंगा बिहार) का प्रबन्ध गत अनेक वर्षों से सरकार के हाथ में है;

(ख) यदि हां तो, पूर्व वर्षों की तुलना में सरकारी प्रबंध के अधीन उक्त मिल का कार्य कैसा रहा;

(ग) क्या 13 जून, 1971 को सरकार का प्रबंध समाप्त होने वाला है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त मिल के सरकारी प्रबंध को आगे बढ़ाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) ज़ी हां।

(ख) सरकारी प्रबंध से पूर्व 1962-63 में समाप्त होने वाले सात वर्षों में मिल ने एक वर्ष में मामूली लाभ कमाया था जबकि अन्य वर्षों में उसे हानि हुई थी। सरकारी प्रबंध के अधीन बाद के सात वर्षों में इसने दो वर्षों तक लाभ कमाया था जबकि अन्य वर्षों में इसे हानि हुई थी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के बारे में

RE. CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Shri Atal Bihari Vajpayee(Gwalior): Mr. Speaker. Sir, the Minister of Foreign Affairs, Shri Swaran Singh is not present in the House. Perhaps he is busy in the other House. Since he visited Washington, we want him to answer our questions. So, I request that it should be taken up ofter he comes to this house.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यदि वरिष्ठ मंत्री महोदय का यहां आना अभी सम्भव नहीं है तो इसे चार बजे तक स्थगित कर दिया जाए।

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : विदेश मंत्री दूसरे सदन में है और इसी प्रकार की चर्चा का उत्तर दे रहे हैं। अब आपकी इच्छा है यदि आप चाहते हैं तो मैं वक्तव्य पढ़ देता हूं और अपनी योग्यतानुसार प्रश्नों के उत्तर भी दे सकता है किन्तु यदि आप अपने प्रश्नों के उत्तर उनसे ही चाहते हैं तो इसके लिए समय में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना ही पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसी परम्परा स्थापित करने के पक्ष में नहीं हूं कि यदि मंत्री सभा में उपस्थित न हो तो प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए। किन्तु इस मामले को मैं स्थगित करता हूं, बशर्ते कि इसे भविष्य में पूर्व उदाहरण के रूप में न लिया जाए। मंत्री महोदय से यह पता करके कि वह इस सभा में कब उपस्थित होंगे, इस प्रश्न को लेने के समय की मैं घोषणा सभा में कर दूंगा।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : इस विषय पर तो पूर्ण स्तर की चर्चा होनी चाहिए।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : स्टेट बैंक आफ इंडिया में कांड हुआ है, उस पर सभा में चर्चा की जाए, मेरा यह निवेदन है। श्री नागरवाला ने अपनी अपील में लिखा है कि उससे एक वक्तव्य पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : कार्यमंत्रणा समिति ने यह निर्णय किया था कि जब तक मांगों पर चर्चा चलेगी तब तक किसी अन्य प्रकार की चर्चा के लिए समय नियत नहीं किया जाएगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र दिए जाने के मामले पर सभी सदस्य चिंतित हैं। इस विषय पर जब भी चर्चा हो, उस समय सभी दलों को उक्त चर्चा में भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान्, मैंने गन केरिएज फैक्टरी, जबलपुर, में हुए दंगे और वहां कर्मचारियों पर लाठी चलाए जाने और उनकी गिरफ्तारी के बारे में आपको लिखा था रक्षा मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Sir, I request that one hour should be given for the discussion on the American cargo gifted to Pakistan.

अध्यक्ष महोदय : मांगों पर चर्चा के समय यदि मंत्री महोदय के पास समय होगा, तो मुझे इस पर चर्चा की अनुमति देने में कोई आपत्ति न होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विदेश मंत्री अन्य देशों की यात्रा से लौटे हैं। अतः उन्हें सभा में अपनी यात्रा और यात्रा की उपलब्धियों के बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कल लिया जाएगा। मंत्री महोदय कल वक्तव्य देंगे। कल के लिए कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है इसलिए यह मामला कल सबसे पहले लिया जाएगा प्रत्येक दल के एक सदस्य को एक प्रश्न करने की अनुमति होगी।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मैसूर कृषिक उपज विपणन नियम, केन्द्रीय भाण्डागार नियम आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1971 को जारी की गयी उद्-घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर कृषिक उपज विपणन (विनियमन अधिनियम, 1966 की धारा 153 के अन्तर्गत मैसूरकृषिक उपज विपणन (विनियमन) (संशोधन) नियम, 1971 की एक प्रति, जोज मैसूर राजपत्र, दिनांक 12 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 74 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण।

(3) भाण्डागार निगम अधिनियम, 162 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागार निगम, (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 924 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 510/71]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत के राजकीय फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 14 मई, 1969 से 30 जून, 1970 की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत के राजकीय फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का 14 मई, 1969 से 30 जून, 1970 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 511/71]

केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्रसमिति, धनबाद का प्रतिवेदन आदि

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनबाद के वर्ष 1999-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 512/71]**

(2) मूशा गारनेट भिलवाड़ा (राजस्थान) में 5 अप्रेल, 1970 को हुई घातक दुर्घटना सम्बन्धी जांच प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 513/71]**

(3) लाल कुंआ पत्थर खान, बदरपुर (दिल्ली) में 8 अप्रैल, 1970 को हुई घातक दुर्घटना सम्बन्धी जांच प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 514/71]**

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): श्रीमान्, मैं श्री जगन्नाथ पहाड़िया की ओर से निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं:

(1) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर सहकारी समितियां अधिनियम, 1959 की धारा 130 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) एस० ओ० 13, जो मैसूर राजपत्र दिनांक 12 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) एस० ओ० 337, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) एस० ओ० 456, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 24 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 515/71]**

(2) उक्त अधिसूचनाओं के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 516/71]

———

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिवः—मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना देनी है कि लोक सभा द्वारा 21 जून, 1971 को पास किए गए पंजाब विनियोग विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

———

अनुदानों की माँगें--जारी

DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

गृह मन्त्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय:—अब गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा चलेगी। इसके लिए चार घंटे का समय निश्चित है। अतः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सायं 4 बजकर 15 मिनट के आसपास लिया जायेगा।

श्री उी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं प्रधान मंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने गृह मंत्रालय को अपने हाथ में ले लिया है। साथ ही इस मंत्रालय से सम्बद्ध मंत्रियों श्री मिर्धा और श्री कृष्ण चन्द्र पन्त को भी मैं बधाई देता हूं। वे दोनों ही बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति हैं।

देश में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। किन्तु समाचार पत्रों से मालूम होता है कि कलकत्ता और उसके आसपास प्रतिदिन बड़ी संख्या में हत्याएं हो रही हैं। फिर विधि और व्यवस्था कहाँ रही? इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में हमने 'आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना' विधेयक पारित किया है जो शीघ्र ही अधिनियम बन जाएगा। इसका विरोधी दलों ने विरोध किया क्योंकि वे लोग हिंसा के काम करते हैं।

नक्सलवादी आन्दोलन के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि ये लोग साम्यवादी (मार्क्स-वादी) दल के हैं और ये लोग बड़े बड़े जमींदारों की हत्या नहीं करते हैं बल्कि छोटे लोगों अधिकांशतः आदिवासी लोगों को ही निशाना बनाते हैं। यह आन्दोलन फैलता जा रहा है। अतः मैं यह चाहता हूं कि यह नक्सलवादी आन्दोलन हमारे आसाम राज्य तक न पहुंच पाए।

नागालैंड राज्य बनाए जाने के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आसाम राज्य के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने नागा लोगों को नागा जिले का 35 वर्ग मील का क्षेत्र दे दिया था। उसकी सीमा निर्धारित कर दी गई थी किन्तु अब भी वे सीमा के बारे में विवाद उठाते रहते हैं। उन्हें ऐसा करने की अनुमति न दी जाये। मेरा प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि वह इन दो राज्यों के सीमा विवाद को सदा के लिए हल कर दें।

आसाम राज्य के सामने अनेक समस्याएं हैं। वहां बाढ़ की समस्या है, सूखे की समस्या है, भूकम्प की समस्या है और सबसे विकट शरणार्थियों की समस्या है। वहां केन्द्रीय सरकार के मंत्री भी जाते हैं किन्तु अपने अधिकारियों के साथ। इस बार हमने संवाददाताओं को आसाम की यात्रा के लिए बुलाया। उन्होने आसाम की समस्याओं को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों से मेरा अनुरोध है कि वे इन संवाददाताओं के वक्तव्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें न कि अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन का जिनमें वास्तविक स्थिति नहीं होती।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की समस्या के बारे में मेरा यह निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 16 में सभी स्तर के लोगों को समान अवसर प्राप्त होने का अधिकार प्राप्त है। यह अनुच्छेद वास्तव में उचित है। लोग इस अनुच्छेद का उल्लंघन करते हैं। मेरे विचार से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रगति के मार्ग में संविधान का अनुच्छेद 335 बाधक है।

महात्मा गांधी सभी पिछड़ी जातियों का जीवन यापन स्तर उठाकर अन्य जातियों के स्तर के समान लाना चाहते थे। यह प्रसन्नता की बात है कि आपने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु एक संसदीय समिति बनाई है। इस समिति ने प्रायः सभी राज्यों का दौरा किया और जो राज्य रह गए हैं उनका दौरा करने में इसे कोई आपत्ति नहीं है और मैं समझता हूं कि यदि उन राज्यों के मुख्य मंत्री समिति को अपने राज्य में आमंत्रित करेंगे तो निश्चय ही समिति वहाँ जाएगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी दशा को सुधारने के लिए गृह मंत्रालय अथवा उनके काम से सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा दिए गए निदेशों को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जाता। यद्यपि प्रधान मंत्री अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रति सहानुभूति रखती हैं परन्तु जब तक अधिकारी वर्ग उनकी दशा सुधारने का प्रयत्न नहीं करेंगे वे कैसे प्रगति कर सकते हैं।

सम्पूर्ण भारत में साक्षरता केवल 34 प्रतिशत है किन्तु यदि इन पिछड़ी जातियों की साक्षरता की प्रतिशतता देखी जाए तो वह 8 प्रतिशत से भी कम बैठती है।

जहाँ तक नियुक्तियों का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की इस सम्बन्ध में बहुत अवहेलना हुई है। संसद में आदिम जातियों की प्रतिशतता केवल

0·54 है तथा अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता 2·39 है। फिर केन्द्रीय मंत्रिमंडल में 5 करोड़ आदिम जातीय लोगों का प्रतिनिधित्व केवल एक उपमंत्री द्वारा ही किया जाता है। कुछ राजनीतिज्ञ भारत सरकार द्वारा किए जा रहे भेद-भाव का लाभ उठाते हैं तथा आदिम जातीय लोगों को कानून अपने हाथ में लेने को हमेशा उकसाते रहते हैं। गृहमंत्री को इस मामले पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी समिति ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों का दौरा किया है और उसे यह पता चल गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अतः समिति ने इन लोगों के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखने का सुझाव दिया है। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ करना चाहिए।

आदिम जातियों की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उनके पास रहने को मकान नहीं है। यद्यपि उन्हें भूमि आवंटित की गई है किन्तु फिर भी उन्हें ऋणदाताओं को फसल में हिस्सा निश्चित रूप से देना पड़ता है। उन्हें उत्पादन का केवल 1/5 भाग मिलता है। उनकी दशा को सुधारने के लिए शीघ्र ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): गृह मंत्रालय ने मंत्रिमंडलीय सचिवालय और प्रधान मंत्री सचिवालय के साथ मिलकर बहुत ही ईमानदारी से प्रधान मंत्री की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। इस त्रिवर्ग ने बड़े जोर शोर से घोषित कर दिया है कि प्रधान मंत्री एक निर्वाचित सम्राट के समान हैं।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि प्रधान मंत्री को कोई भी विभाग या संविभाग नहीं संभालना चाहिए लेकिन वर्तमान प्रधान मंत्री अनेक संविभाग संभाले हुई हैं। इन संविभागों का आपस में एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बात समझ में नहीं आती कि वित्त मंत्रालय के धन संबंधी गुप्तचर निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय को मंत्रिमण्डल सचिवालय के अधीन क्यों रखा गया है? वित्त मंत्रालय के अधीन क्यों नहीं? यह भी समझना कठिन है कि जनशक्ति आयोजना कक्ष को गृह मंत्रालय के साथ सम्बद्ध क्यों किया जाना चाहिए, इसे योजना आयोग के साथ सम्बद्ध क्यों नहीं किया गया है। यदि हम गंभीरता पूर्वक विचार करें तो हमें पता लगेगा कि इसके पीछे कोई बात अवश्य है। इस देश के प्रधानमन्त्री के पद में राष्ट्रपति की शक्तियां लाने के सन्दर्भ में यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है।

प्रधान मंत्री तथा मंत्रिमंडलीय सचिवालय दिनोंदिन उत्तरोत्तर क्यों बढ़ता जा रहा है। 1961-62 के मंत्रीमंडलीय सचिवालय का व्यय कुल 7 लाख रुपये के लगभग था और अब यह व्यय बढ़कर तिगुना हो गया है। चौथी योजना में यह स्पष्ट बता दिया गया है कि विकास कार्यों पर व्यय 5 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए किन्तु यहां तो मंत्रीमंडलीय सचिवालय पर होने वाला व्यय 47 प्रतिशत से भी बढ़ गया यदि मंत्रीमंडलीय सचिवालय ऐसा उदाहरण पेश करता है तो अन्य विभागों का क्या हाल होगा इसका आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं।

एक ही व्यक्ति अर्थात् प्रधानमंत्री के हाथों में शक्ति का केन्द्रीकरण संसदीय सरकार को निरर्थक बना देता है। देश में अब प्रधान मंत्री ही सभी नीतियों का निर्माण करती हैं तथा सभी निर्णय उन्हींके द्वारा किए जाते हैं और इस प्रकार एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता का केन्द्रीकरण हो गया है।

प्रधान मंत्री ने अपने सचिवालय में कुछ आर्थिक विशेषज्ञों की नियुक्ति की है और यही लोग आर्थिक मामलों के बारे में अन्तिम निर्णय करते हैं। योजना-आयोग को पुर्नगठित करने का प्रयास केवल इसलिए किया जा रहा है कि इस आयोग के विशेषज्ञ प्रधान मंत्री के सचिवालय के इशारों पर चलें। इसी प्रकार सभी प्रकार के गुप्तचर अब प्रधान मंत्री के अन्तर्गत रखे गए हैं। सभी कार्मिकों को भी प्रधान मंत्री के विभाग में केन्द्रित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप, अब प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी उपक्रम में नियुक्त कर सकती हैं।

इस संदर्भ में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरों संस्था तक का प्रयोग सरकार के समर्थकों को आश्रय देने के लिए और विरोधियों को तंग करने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में बिहार में इस मामले पर बिहार विधान सभा में काफी हंगामा हुआ था। हम यह नहीं समझ पाए थे कि राज्य सरकार द्वारा कहे गए मामलों पर जांच की गई थी तो उसके पत्र राज्य विधान सभा को क्यों नहीं दिए गए थे जबकि श्री बीजू पटनायक के मामले में सभी पत्र उड़ीसा राज्य विधान सभा को उपलब्ध हुए थे।

ऐसा दिखाई देता है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से कर रहा है क्योंकि उनके द्वारा जिन बहुत से मामलों की जांच की गई है उनमें से दोषसिद्धि की प्रतिशतता गत वर्ष 90 थी। इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति यह जानना चाहेगा कि जिस बैंक को धोखाधड़ी के मामले से समूचे देशे को धक्का पहुंचा है उसकी जांच क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच के लिए इससे अधिक उपयुक्त मामला नहीं हो सकता किन्तु हमें अभी तक पता नहीं चला है कि इस दिशा में कोई क़दम उठाया गया है अथवा नहीं।

राज्यों में दलगत राजनीति के जोर पकड़ने और दल बदल की प्रवृति में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण राज्यपालों का पद एकदम महत्वपूर्ण हो गया है। जिसे अब तक निष्क्रिय समझा जाता था। राज्य का राजनैतिक ढांचा, लोक नैतिकता तथा मंत्रिमंडल की स्थिरता बहुत सीमा तक राज्यपाल पर निर्भर करती है। अतः राज्यपालों की नियुक्ति बहुत सूझ-बूझ और ईमानदारी के साथ की जानी चाहिए। परन्तु क्या ऐसा किया जाता है ? हाल में की गई कुछ नियुक्तियों से यह विश्वास पैदा नहीं होता कि नियुक्तियां पद की गरिमा तथा उद्देश्य की महानता को ध्यान में रखकर की जाती है। सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को जो किसी दल से सम्बन्धित हो, राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए तथा ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल ही राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो सक्रिय दलगत राजनीति में भाग लेता हो। अब समय आ गया है जबकि राष्ट्रपति द्वारा स्वतन्त्रा प्राप्ति से अब तक राज्यपालों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जानी चाहिए और समिति को इस बारे में सुझाव देना चाहिए कि क्या इस पद पर सही प्रकार के व्यक्ति नियुक्त करने के लिए सुधार करने की आवश्यकता है।

हमें नवम्बर 1970 में ज्ञात हुआ था कि राष्ट्रपति द्वारा इस मामले पर विचार करने के लिए राज्यपालों की एक उपसमिति नियुक्त की गई है। यद्यपि कई महीने व्यतीत हो गए हैं परन्तु इस बारे में उपसमिति ने अभी तक कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है।

जहां तक सेवाओं का सम्बन्ध है हमें यह देखना है कि क्या सरकार सेवाओं के हित में वैध संरक्षक के रूप में अपने कर्तव्य निभा रही है ? हमें पता चला है कि कई मामलों में अधिकारियों की वरिष्ठता की अवहेलना कर दी जाती है और वरिष्ठ व्यक्तियों को छोड़कर कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति कर दी जाती है। सेवाओं में व्यक्तियों को जानबूझ कर तंग भी किया जाता है। इन सब बातों को समाप्त किया जाना चाहिए। आजकल अधिकारियों की वचनबद्धता के बारे में बहुत कुछ सुना जाता है। यदि वे राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति वचनबद्ध हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यदि वे व्यक्तियों के प्रति वचनबद्ध हैं तो यह बहुत बुरी बात है। ऐसे मामले भी आए हैं जहां उन अधिकारियों को जिन्होंने कुछ व्यक्तियों की मर्जी अनुसार काम नहीं किया उनको पदों से बदल दिया गया है। इस सम्बन्ध में नई दिल्ली नगर पालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री छाबड़ा का नाम लिया जा सकता है। निगम के चुनावों के दिनों में जब उन्होंने किसी की मर्जी के अनुसार काम करने से इन्कार किया तो 24 घंटे के अन्दर ही अन्दर उन्हें नौकरी से निकाल बाहर किया। अतः सरकार को ऐसी अनुचित बातों का खण्डन करना चाहिए।

तत्पश्चात राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का प्रयोग सामान्य परम्परा निभाने मात्र के लिये ही किया जा रहा है। राष्ट्रीय एकता की धारणा इतनी संकीर्ण है कि उससे राष्ट्रीय स्थिति पर विशेष बल नहीं दिया जा सकता और स्वाभाविक रूप से उसके कार्य भी बहुत ही सीमित है। साम्प्रदायिक सौहार्द के संदर्भ में भी हमारा रिकार्ड बहुत उत्कृष्ट नहीं है।

एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या जिसकी चिन्ता सरकार को शीघ्रता से करनी चाहिए यह है कि अल्पसंख्यकों को रोज़गार दिया जाए। यदि अल्पसंख्यकों के युवकों को निराशावादी वातावरण में डाल दिया जाए तो यह अनिवार्य हो जाता है कि यह समस्या बहुत ही गंभीर रूप धारण कर ले। केन्द्र में एक सतर्कता आयोग के रूप में अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक अल्पसंख्यक बोर्ड की स्थापना की जाए।

अन्त में मैं क्षेत्रीय परिषद के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। क्षेत्रीय परिषद के बारे में यह महसूस किया गया है कि इस महत्वपूर्ण संस्थान के प्रभाव को प्रायः नष्ट किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि पूर्वी क्षेत्र अब संकटपूर्ण और तनावपूर्ण स्थिति में है जिसका किसी समय भी विस्फोट हो सकता है। इस क्षेत्र में राज्यों को समन्वित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है लेकिन क्षेत्रीय परिषद की बैठक बुलाना उचित नहीं समझा गया है।

मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री को, जोकि गृह मंत्री भी है, उन्हें देश की इन उभरती हुई समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

श्री पी० आर० दास० मुन्शी (कलकत्ता दक्षिण) : मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के

समर्थन में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। गृह मंत्रालय भारतीय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, पुलिस, मैजिस्ट्रेट तथा बड़े नगरों के कमिश्नरों, के कार्य की देख रेखा करता है। आज देश का सामान्य प्रशासन भली भांति काम नहीं कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों तथा राज्यों से अव्यवस्था के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध तो बड़ी बड़ी शिकायतें आ रही है। कभी कभी तो सामान्य प्रशासन और मैजिस्ट्रेटों के विरुद्ध भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। प्रजातंत्र में प्रशासन को लोगों की इच्छा और मांग के अनुसार कार्य करना चाहिए। सामान्य प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता है। प्रशासन की कमियों ने आज के कुछ युवकों को हिंसात्मक कार्यवाहियों पर उतारू कर दिया है और राजनीतिज्ञ ऐसी कार्यवाहियों के पीछे कुछ सामाजिक आर्थिक कारण बताते हैं। वस्तुतः प्रशासनिक अधिकारियों का व्यवहार ही इसके लिए उत्तरदायी है। नेता लोग चुनाव से पहले जनता को तरह तरह के आश्वासन देते हैं किन्तु बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। हमारी न्यायप्राणाली ऐसी है कि उससे केवल अमीरों को ही न्याय मिलता है। लोग अभी भी यही सोचते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी उनके हितैषी नहीं है बल्कि उसको स्वतंत्रता का दमन करने वाला तंत्र है। गृह मंत्रालय को पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए विचार गोष्ठियों का परिशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए या उनको इस आशय के कुछ अनुदेश जारी किए जाने चाहिए कि उन्हें लोगों से ठीक तरह व्यवहार करना चाहिए अन्यथा कानून और व्यवस्था की स्थिति हल नहीं हो पाएगी।

केन्द्रीय आरक्षित पुलिस द्वारा पश्चिम बंगाल में किए गए कार्यों की कटु आलोचना की गई है। जहां तक मैं जानता हूं जब कभी भी केन्द्रीय आरक्षित पुलिस ने लोगों के सहयोग से नियोजित ढंग से काम करने का प्रयत्न किया है तो कुछ राजनीतिक नेताओं के वर्गों ने लोगों को इस ढंग से गुमराह किया जैसे कि मानों केन्द्रीय आरक्षित पुलिस यहां काम करने के लिए बाहर से आई हो तथा ये उनके शत्रु हो और केवल स्थानीय पुलिस ही उनकी मित्र हो। अतः मेरा सुझाव है कि जब कभी किसी राज्य से वहां पुलिस भेजी जाए तो उस पुलिस को कुछ अनुदेश दिए जाए कि वहां की सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखकर ही वे वहां की जनता के साथ व्यवहार करें।

केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरों के सम्बन्ध में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। किन्तु जो लोग इस ब्यूरों में काम कर रहे है उनकी अपनी भी कई कठिनाइयां है। इस ब्यूरों के कांसटेबल या सूचना देने वालों को जांच कार्य करते समय एक रिवाल्वर दिया जाता है और जांच करने के बाद उन्हें रिवाल्वर थाने में जमा कराना पड़ता है। घर जाते वक्त वह निहत्थे होते हैं। इसलिए कई बार घर जाते हुए, अथवा जब वह शाखा के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। अथवा उनके निकट सम्बन्धियों को मार दिया जाता है। उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। इसका एकमात्र हल यह है कि इन अधिकारियों के रहने के लिए बैरकें बनाई जाए। उनके बच्चों की शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। चूंकि वे समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको कम से कम इतनी सुविधाएं अवश्य प्रदान की जाए।

अन्त में मैं राष्ट्रीय एकता के महत्वपूर्ण विषय को लेता हूं। जहां तक राष्ट्रीय एकता का सम्बन्ध है इस विषय पर अनेक विचार गोष्ठियां आयोजित की जा चुकी हैं परन्तु जब तक केन्द्रीय

जांच ब्यूरों द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे साम्प्रादायिक संगठनों तथा अन्य उग्रवादी दलों के धन के नियम के बारे में जांच नहीं की जाती तब तक यह समस्या हल नहींहोगी और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो केवल विचार गोष्ठी आयोजित करने तथा भाषण देने से वास्तविक राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं की जा सकती ।

अतः गृह मंत्रालय को सामान्य पहला, प्रशासन के तथा पुलिस के अधिकारियों के व्यवहारमें सुधार करने के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए दूसरे केन्द्रीय आरक्षित पुलिस जिस किसी भी राज्य में भेजी जाए उसे कुछ अनुदेश दिए जाएं कि वह वहां की सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखकर ही उन लोगों के साथ व्यवहार करे तीसरे केन्द्रीय जाच ब्यूरों द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी को मिलने वाले धन के सम्बन्ध में जांच कराई जानी चाहिए।

Shri S. P. Verma (Nawada): At the outset I would touch the law and order situation in the country. In Bihar, during the mid-term election, people belonging to backward classes Muslims and Harijans were forcily prevented from casting their votes. Still worse things happened during recent Panchayat elections. People were murdered in broad day light. In the circumstances, I would request that some arrangements should be made whereby backward people, Muslims, Harijans and Adivasis could cast their vote peacefully and without any fear. Democracy has to be kept alive in the country and we have to crush reactionary elements for that purpose. These elements want to maintain status quo and if we want to fulfill our promises of removal of poverty and unemployment, we shall have to crush these elements. Inquiries should also be conducted about intimidations of voters, murders and other social injustices in Bihar upto the time of recent Panchayat elections.

Bihar is also facling the problem of smuggling from Nepal side. Various goods of Chinese origin are being sold in different parts of Bihar openly. This large scale smuggling poses a danger to the security of our country.

Bihar abounds in natural resources, such as coal, iron and copper. Its soil is very fertile. But inspite of all this, it continues to be backward. Government shou'd make special efforts to remove this backwardness.

As per constitutional provisions, reservations are made in service for Harijans and Adivasis. However, in actual practice, this quota is not filled up. The Ministry of Home Affairs should ensure that this Constitutional obligation is discharged by all States.

Mr. Speaker: Members should confine themselves to specific demands before the House and should not treat the opportunity as a general debates.

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur): Sir, it is but natural that while demands pertaining to Ministry of Home Affairs are discussed, internal situation would be touched. Actually the situation is deteriorating everyday. Anti social elements are gaining ground day by day. Though police expenditure is increasing, incidence of crimes is also increasing. Culprits get political patronage. Corruption is rampant in Administration. Political immorality is preponderant everywhere. By sending 70 lakhs of refugees into our country

Pakistan has threatened not only our economy but our whole social set-up and peace. The country is sitting on the vertex of a volcano.

By and large, the Home Ministry has failed in discharging its duties properly. Instead of paying any attention towards the problems facing the country, the Government has been trying to bring about the Governments of its own party in various States by misusing its powers.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
The Deputy Speaker in the Chair]

The office of Governor has been consistently misused. Governors in different States acted in different ways in similar circumstances. Central Government should formulate some guidelines for Governors so that this high office is not lowered in the eyes of public. Moreover this is a Constitutional obligation of the Centre and it should not shut its eyes to this aspect. Some standard should be laid down for making selections for this high office. Defections should be checked by law otherwise it would not be possible for the Government to check the atmosphere of instability prevailing in the country.

I must stress again, what I stated some time earlier, when situation in Bengal was being discussed, that activities of Naxalites were extending to Bihar and Andhra. This is not good for the country. Government should understand that the atmosphere of violence, daily murders of ordinary as well as highly placed persons, dis-figuring of statues of national leaders like Vivekananda, Ashutosh Mukherjee and Mahatma Gandhi etc. are not socio-economic problems. If the Government does not go into the real causes it will be disastrous for the country. Our independence would be in peril.

It has become the order of the day to talk about national integration, communalism and blame R. S. S. and Jan Sangh. All this is done with political motives. Those who talk of national integration perhaps do not know themselves the meaning of 'Nation' and 'Integration'. We do not increase the pension of Postman but increase by Rs. 100 the allowance of Sheikh Abdullah, a person who does not call himself an Indian. Internal Security Act has not been extended up to Kashmir and this is an example of 'Integration. It would be appropriate if a Commission is constituted to define, Communalism, and which parties were 'Communal'. Political consideration should not be the main criterion in such matters. Recent case of fraud on the State Bank of India wherein an amount of Rs. 60 lakhs was wiihdrawn should be enquired into thoroughly. The whole episode is unbelieveable and surpasses even Bond Story. An open judicial enquiry should be held to find out the truth.

Many regions are demanding status of full Statehood. Then there are inter-State disputes. There should be some befinite principles and criteria to solve these matters. On the other hand if these are settled on the basis of political considerations alone there would be more bitterness amongst the states.

***श्री दन्डपाणि** (धारापुरम्) : देश के प्रशासन तंत्र में गृह मंत्रालय का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। परन्तु वस्तुत: प्रशासन अकुशलता के निम्नतम स्तर तक पहुंच चुका है और प्रशासन तंत्र को

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

सुधारने के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है । समाज के गरीब तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के प्रति प्रशासन अपने उत्तरदायित्व निभाने में हिचकिचा रहा है । प्रशासन में सुधार लाने की आवश्यकता को गृह मंत्री को समझना चाहिए और प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा इस विषय में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहिए ।

कर्मचारियों की भावनाओं का आदर करके उनकी उचित मांगें स्वीकार की जानी चाहिएं । तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के शीघ्रतापूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं । कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे दायर हैं । कई बार मांग की गई है कि इन मुकदमों को वापस लिया जाएं। सरकार द्वारा इस कार्यवाही के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों द्वारा कर्त्तव्य पालन में दक्षता आएगी अतः गृह मंत्री इस ओर ध्यान दे ।

कानून तथा व्यवस्था की दृष्टि से देश में इस समय जो परिस्थितियां बन चुकी हैं उनमें राज्य सरकार अपने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अकेले समर्थ नहीं । केन्द्रीय सरकार के उद्देश्यों और नीतियों में पथान्तरण तथा दोषपूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रियाओं के कारण कानून तथा व्यवस्था की स्थिति राज्य सरकार की शक्तियों के बाहर जा रही है । राज्य सरकारों पर इसके कारण अत्यधिक वित्तीय भार पड़ रहा है । अतः क्योंकि इसके लिए मुख्यतः केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है इसलिए इस पर किए जाने वाले व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार को वहन करना चाहिए । पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए भी राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ।

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने अनुसूचित जातियों और जन जातियों के कल्याण के लिए बहुत कम कार्य किया है । चौथी योजना में 28,883 करोड़ रुपयों के कुल परिव्यय में से इन लोगों के कल्याण के लिए 44 करोड़ रुपये की राशि नियत है । यह राशि नितान्त अपर्याप्त है और इससे कुछ भी नहीं होने वाला है ।

देश में हाल ही की जनगणना में जहां देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई वहां इन जातियों की जनसंख्या में कमी आई है । समूचे देश में इन जातियों की पुनः जनगणना के लिए गृहमंत्री को आदेश जारी करने चाहिएं । सेवाओं में इन जातियों को प्रतिनिधित्व और पदोन्नति के अधिक अवसर देने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में मानव शक्ति तथा बेरोजगारी की समस्या का उल्लेख है परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस ओर अधिक उत्सुक नहीं क्योंकि यदि ऐसा होता तो स्थिति इस प्रकार गंभीर न होती ।

सरकार को स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए भरसक प्रयास करने चाहिएं । अन्दमान जेल जाने वाले सभी लोगों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए न कि केवल कुछ को ही । इसके साथ ही अन्दमान द्वीप का नाम भी बदल दिया जाना चाहिए । नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ सम्बद्ध हो ।

बहुत से सदस्यों ने राष्ट्रीय एकता की बात की है। भारत एक उप-महाद्वीप है और यहां पर भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले और भिन्न-भिन्न संस्कृति वाले लोग रहते हैं। देश की आज की परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकीकरण संभव नहीं प्रतीत होता। जब तक हम एकदूसरे का आदर करना नहीं सीखते तब तक यह कोरी कल्पना मात्र ही रहेगा। इसका एकमात्र हल आपसी सद्भावना है।

केन्द्र तथा राज्यों के बीच सौहार्दय तथा मधुर सम्बन्ध बनाने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद् का गठन किया जाना चाहिए। निःसन्देह क्षेत्रीय परिषदें पहिले से विद्यमान हैं परंतु अभी तक उनका अंशदान नगण्य रहा है।

संविधान में से समवर्ती सूची को हटा लेना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव नहीं तो समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने से पहिले केन्द्रीय सरकार को राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श करना चाहिए और उनकी मंजूरी प्राप्त कर लेनी चाहिए। राज्यों की स्वायत्तता का महत्त्व स्वीकार किया जाना चाहिए। इस संबंध में द्रमुक की मांग के पीछे कोई दुर्भावना नहीं है।

श्री के० टी० शाह : श्री नेहरू और राजा जी जैसे जन-नेताओं ने भी अपने-अपने ढंग से राज्यों की स्वायत्तता पर बल दिया। देश के नेताओं को यह महसूस करना चाहिए कि देश की सुरक्षा के लिए राज्यों की स्वायत्तता अनिवार्य है और इसके लिए केन्द्र और राज्यों में बराबरी का सम्बन्ध होना चाहिए। साथ ही राज्यों के अधिकारों को संविधान में सुरक्षित कर दिया जाना चाहिए, ताकि केन्द्र जब चाहे उन्हे छीन न ले।

राजभाषा के प्रश्न पर मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हम हिन्दी से घृणा नहीं करते और हम नहीं चाहते कि हिन्दी बिल्कुल समाप्त हो जाये। हम केवल यह चाहते हैं कि हिन्दी को हम पर थोपा न जाए। संविधान सभा के कई सदस्यों के भाषणों के उद्धरण इस बात के समर्थन में दिए जा सकते हैं। राजभाषा अधिनियम को पेश करते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि केन्द्रीय सरकार के कार्य के लिए हिन्दी का ज्ञान आवश्यक नहीं होगा किन्तु संशोधन में यह स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए हिन्दी और अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक होगा। इसके अनुसार तमिलनाडु से इन सेवाओं में आने वालों के लिए अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही विदेशी भाषा के समान होंगी जबकि उत्तरी भारत के परीक्षार्थी के लिए एक भाषा विदेशी होगी। इस दृष्टि से तमिलनाडु के परीक्षार्थीको कठिनाई होगी। इसप्रकार सरकार की सेवा में उत्तरी भारत के अधिक व्यक्ति आएंगे। हिन्दी के विरोध का यही आधार है। हिन्दी के प्रचार का अब सरकार ने एक नया तरीका निकाला है। वह अब मंत्रालयों के नाम अंग्रेजी के साथ हिन्दी में छपवाने लगी है। मेरी यह अपील है कि सरकार इस प्रकार से हिन्दी थोपने की कोशिश न करे।

हाल ही में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने काश्मीर में एक सार्वजनिक सभा में बंगला देश के आन्दोलन का उदाहरण दिया था। किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि बंगला देश के पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होने का बीज 1947 में उस समय हीबोया जा चुका था जबकि लियाकत अली खां नेयह निर्णय किया था कि पाकिस्तान की राज भाषा उर्दू होगी। उसी समय शेख मुजिबुर्रहमान ने इसका

विरोध किया था। बाद में पाकिस्तान ने बंगला देश को एक उप निवेश के रूप में समझा। वहां औद्योगिक विकास नहीं किया गया। वहां के लोगों को रोजगार के कम अवसर दिये गये। इन्हीं कारणों से बंगला देश में मुक्ति आन्दोलन शुरू हो गया। अन्त में मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे लोगों की उचित भावनाओं का आदर करें, और तदनुसार कार्यवाही करें।

Shri H. K. L. Bhagat (East Delhi): Mr. Deputy Speaker, Sir, I heard the speeches of Shri Shyamnandan Mishra and Shri Jagnnath Rao Joshi. They have repeated all those arguments, which they have already advanced in this House as well as before the people in general election. About this I can say that this is old wine in old bottles by old and rejected people.

It is said that the Government is misusing the institution of Governors. But the action taken by the Governor of Punjab has proved that it is not so.

As regards the question of law and order, I would like to know that who are the persons responsible for the deterioration of the law and order situation in the country. Are they not the people of the R. S. S. or the Jansangh ? Who are responsible for spreading communal feelings in the country ? Who revised the slogan of Indianisation ? The people of the R. S. S. or the Jan Sangh are responsible for communal riots in the country. The law and order situation in the country today is much better than what it was two years ago. It is also not proper to criticise the police always, as they will be demoralised and will not be able to maintain law and order situation in the country.

They often say that India will be disintegrated, the country will go to dogs. But India has been boldly facing the problem for all these years. Our democratic structure has proved a success. The Ministry of Home Affairs has done very creditable job and they have won the confidence of the people.

It is said that the Comimissioner of Delhi Municipal Corporation was transferred because he did not suit the Government for the elections. But we never asked for his transfer even though we were aware of the gross misuse of official machinery during the elections. As regards the administrative set up of Delhi, there is great need to change it. There is now the multiplicity of authorities which had made a mess of the whole administration. The Government should implement the recommendations of the Administrative Reforms Commisssion in regard to the administrative set up of Delhi. The workload on police in Delhi is more than that in other states. But the salary of a policeman particularly constable is less than a policeman of Punjab, Haryana or Himachal Predesh in Delhi. The salaries of policemen of Delhi should be brought at par with those in other states.

In the end, I would like to stress upon that the public has given us clear verdict. So we should take bold steps to eliminate the undemocratic forces and ban the communal and successionist parties and work for the progress of the people,

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Mr. Deputy Speaker, first of all I would like to draw the attention of the Government and this House to the circumstances in which the Fourth Lok Sabha was dissolved and the elections for the Fifth Lok Sabha were held. In a broadcast on 27th December our Prime Minister announced the decision about the dissolution of the Fourth Lok sabha and made an appeal to the people to strengthen her hands. by giving their verdict

in her favour sothat she can pave the way for socialism by amending the provisions of the Constitution. Pertaining to theprivileges and privypursesof theformer rulers. Theivoters have done thier duty. They have strengthened the hands of thePrime Minister. The statuling Congress have won the elections with absolute majority. In this context I am sorry to say that the budget presented this time is not proportionate to the power now in the hands of Shrimati Indira Gandhi. It appears that the budget has been presented on behalf of Syndicate. I think the members who have won the elections on the election symbol of 'a Cow with a calf' have forgotten all the words, they gave to the people before elections about bringing socialism. Nothing concrete has been done so far to abolish the privy purses of the former rulers. Now Government should make a clear cut announcement about the date in this session when they are going to bring the proposed amendment to the Constitution, whereby the privileges and the privy purses of the rulers can be abolished. Unless this is done the wishes and the aspirations of the people would not be fulfilled. I would like to warn my partymen that now people began to think that they have committed mistake by strengthening the hands of Indira Gandhi because all powerful hands are bad.

Now I come to the law and order situation in the country. It is said that the naxalite movement is gathering storm. Theythrow the bombs etc. Nodoubt they are misguided youths and they aretreading on the wrong path. Perhaps theydonot know that they are helping their enemies i. e. capitalists or multi millionaires. But I would like to khow whether anybody has tried to know the reason why some youths in this country have turned into naxalites. In my opinion, they are the product of economic ills. This naxalite tendency should be curbed because it is a threat to the stability and peace of our country. Even after 24 years of our freedom the exploitation of the poorer sections is going on unchecked. The farmers in the villages have to pay exorbitant rates of interest. Some money lenders charge 35% 75% and 100% interest on the amount they give to the poor farmers. This is illegal. But no action is being taken against these moneylenders. Moreover, a poor can not get the justice in the courts of law, because corruption and bribery is rampant in our courts and among subordinate offices. The justice is so expensive that a poor man can not even dare to go to the courts for getting justice. The decision of the court will go in favour of one who is rich. So Government should look into it and streamline the administration and the procedure of law so that justice can be made cheap and available to the poor. In our country the poor, the worker, are the losers and the rich, the factory owner or the men in high position are the gainer. It appears as if the very structure of our society is based on exploitation of poors. I request that our Government should consider it seriously and should take effective steps to remove the economic disparity and to do away with the black-marketing, the exploitation of poors and the tendency of charging exorbitant rates of interest. As regards social justice Harijans are still being harassed by non-Harijan rich people. Government should pay attention to this problem. According to the Press report a number of big offlcers are joining, particularly in Northern India, the 'Anand Marg' organisation, which is creating an atmosphere of violence. They have a large number of pistols and rivolvers. Government should take stringent action against the followers of 'Anand Marg'

As regards the Bangla Desh Movement, I want to say that the personnel of Border Security Force had been depriving the members of Bangla Desh Students Union, National Awami Party and Bangla Desh Communist Party of their vehicles and arms while they enter into Indian territory. They should not be allowed to do so, as it would amount to crush the Bangla Desh Movement itself.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों पर विचार करते समय मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि देश में विकासोन्मुख प्रगति उस समय तक नहीं हो सकती जब तक कि देश में शान्ति और व्यवस्था स्थायी रूप से बनी नहीं रहेगी। देश में जिस सीमा तक विधि और व्यवस्था बनी रहेगी, प्रगति भी उसी अनुपात में होगी। किन्तु साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश में विधि और व्यवस्था को ऊपर से थोपा नहीं जा सकता। देश में स्थिरता और विधि एवं व्यवस्था उसी समय बनी रह सकती है जबकि देश के लोगों में संतोष की भावना होगी। यदि देश में लोग संतुष्ट और प्रसन्न है तो वहां विधि व्यवस्था के भंग होने की सम्भावना कम होगी। अतः गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते हुए हमें केवल पुलिस और सेना की ही चर्चा नहीं करनी चाहिए बल्कि सम्पूर्ण सामाजिक ढांचे पर विचार किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय को जन शक्ति न्यायालयों और न्याय की उपलब्धता आदि पर भी ध्यान देना चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि क्या हम उन वायदों को पूरा करने जा रहे हैं जो हमने निर्वाचन से पूर्व जनता को दिये थे और जिनसे उनमें आशा की एक किरण प्रज्वलित हुई थी। भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियां तथा विशेषाधिकार समाप्त करने का वायदा किया गया था, किन्तु कई मास बीत गये हैं और वह समस्या अभी भी वैसी ही बनी हुई है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संसद को मूलभूत अधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं है। इस दृष्टि से हमें उच्चतम न्यायालय के अधिकारों की सीमा पर भी विचार करना चाहिए। संविधान में आवश्यक संशोधन करने में देरी नहीं की जानी चाहिए।

हमारे देश के दो राज्यों की स्थिति बड़ी ही विस्फोटक है। उनमें से एक है पश्चिमी बंगाल और दूसरा है केरल। केरल की स्थिति अब सामान्य हो गई है और वहां स्थिर सरकार कार्य कर रही है। केरल राज्य के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है।

केरल में हमने आपके आदेशानुसार वित्तीय अनुशासन लागू कर रखा है, राज्य में पूरी कृषि योग्य भूमि में खेती की जा रही है, वहां कच्चामाल भी काफी है, श्रमिक भी परिश्रमी हैं, परन्तु पढ़े-लिखे बेकार सड़कों पर मार्च करते फिरते हैं। हमारे पास दो वस्तुओं की कमी है—राजनीतिक स्तर पर सिफारिश और आवश्यक पूंजी—इन्हीं से केरल की समस्या हल हो सकती है। मैं प्रधान मंत्री और भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केरल में बेकारी की समस्या हल करें।

केरल में शहद के छत्ते की तरह के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। भारत सरकार वहां एक अध्ययन दल भेजे। ऐसे उद्योग वहां सफल हो सकते हैं।

हमारे यहां एक तेल शोधक कारखाना है परन्तु नेपथा, जिससे कई सहायक उद्योग स्थापित किये जा सकते थे, तमिलनाडु के स्थापित होने वाले पेट्रोरासायनिक उद्योगसमूह में भेजा जा रहा है। ऐसे उद्योग केरल में ही बनाए जाने चाहिए। ऐसी कार्यवाहियों से केरल वाले यही समझते हैं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। यदि यह उपेक्षा जारी रही, तो हमें नई चुनौतियों से जूझना होगा।

हमारे सामने कई समस्याएं हैं जैसे, बेकारी, बढ़ते मूल्य, बन्द होते कारखाने और अब बंगला

देश के शरणार्थी और फिर हमें उन फासिस्टों, एकाधिकारियों और तोड़फोड़ करने वालों और उनके साथी नक्सलवादियों का मुकाबला करना है ।

इसके साथ ही मैं इस मांग का समर्थन करता हूं ।

Sri N. N. Pandey (Gorakhpur): Sir, after thanking you for giving me an opportunity to speak on the Demand for Grant of the Ministry of Home Affairs, I would like to warn the country of the danger posed by the parties which stand for regionalism, Communalism Casteism etc. The last general elections have shown that people have voted for those of us who stand for upholding the aspirations of the people and adopt peaceful means for the furtherance of the same. We must crush such forces as weaken our country and our nation, be they Hindus or Muslims. Internal Security is very essential for this. When our friend Rao Birendra Singh talked of Vishal Haryana, he went to the length of suggesting that a portion of it should be carved out of U. P. others have talked of Telangana. I may warn him that U. P. cannot be dismembered at any cost. Let it remain backward *but the* residents of U. P. would not tolerate it

Recently, I visited U.S.S.R. There are 16 Republics there. Nobody talks of his own Republic at the cost of the other. All the Republics are free and functionin full harmony and unison. Today the statues of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru who gifted us freedom are being demolished. I would appeal to all those misguided people to come forward and join hands with us in ushering in Socialism and Combating reactionary and Capitalist Forces.

श्री चपल भट्टाचार्य (गिरिडीह) : श्रीमन् मैं बिना झिझक गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

'गरीबी हटाओ' एक नारा मात्र ही नहीं है, यह तो एक उद्देश्य है, एक चुनौती है जो दूसरे पक्ष के भाइयों को भी स्वीकार करना चाहिये और हत्या और नफरत की राजनीति छोड़कर दुर्गापुर में निर्धारित क्षमता तक उत्पादन होने देना चाहिए।

भारत के पूर्वी भाग में क्रान्ति-दर-क्रान्ति चल रही है जिसे 'नक्सलिज़्म' कहा जाता है । यह आंदोलन अब न केवल देशव्यापी है अपितु विश्वव्यापी बन चुका है ।

मैं जानना चाहूंगा कि भविष्य के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं और 1990 तक क्या स्थिति होगी ?

'आम्बुड्समैन' का क्या हुआ जब तक यह प्रणाली अपनाई नहीं जाती तब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी ।

मेरे विचार में एक आंकड़ा बैंक की स्थापना आवश्यक है और हुमायूं कबीर समिति की सिफारिश के अनुसार भारतीय सांख्यिकी संस्था को भारत सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेना चाहिए ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा इस चर्चा में भाग लेने का विचार तो न था परन्तु मुझे कुछ

चिन्ताजनक समाचार मिले हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि मेघालय में दंगे हुए हैं और इसमें हमारे उपाध्यक्ष का नाम भी घसीटा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अभी वहां का दौरा किया था, इसलिए वह बताए कि वस्तुस्थिति क्या है? सरकार को वहां खासी जाति के लोगों को स्पष्टतया बता देना चाहिए कि बंगलादेश के लोग वहां अस्थायी रूप से ठहराये गए हैं। यह दंगे पाकिस्तान की चाल है और उसके भेजे गए पिट्ठुओं द्वारा कराए गए हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्हें वहां बन्दियों की भांति रखा जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : ऐसा केन्द्रीय सरकार के आदेश पर किया जा रहा है।

श्री समर गुह : यह स्थिति केवल मेघालय में ही है।

मैं एक बात स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के बारे में भी कहना चाहूंगा। खेद है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। पश्चिमी बंगाल में सरकारी सेवा के लिए इन सेनानियों की आयु-सीमा 60 वर्ष तक कर दी गई है। केन्द्रीय सरकार की सेवा के लिए भी यही रियायत दी जानी चाहिए।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री गृह मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि गृह मन्त्रालय का सम्बन्ध राष्ट्रीय जीवन के अनेक पहलुओं से हैं अतः इस पर हुए विवाद में विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा स्वाभाविक ही है।

विकास से जहां कुछ समस्याएं हल होती है वहां कुछ उत्पन्न भी हो जाती हैं। समृद्ध देशों में भी गड़बड़, अशान्ति और हिंसा की समस्यायें हैं, इसलिए ये समस्यायें हमारे देश में ही विशेष नहीं हैं, नगर में अधिक लोगों के चले आने से अपराध और हिंसा बढ़ी है, यह हम जानते हैं। इससे माननीय सदस्य यह न समझें कि मैं इन बातों का महत्व कम समझती हूं। मैं तो यह बताना चाहती हूं कि हमें इस संदर्भ में इन पर विचार करना चाहिए।

हम उस कार्यक्रम को अपने हाथ में लेना ही चाहते थे जिसका हमने वचन दिया है, कि हमारी पूर्वी सीमाओं पर ऐसी उथल-पुथल हुई कि पूरे प्रशासन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा।

आशा और निराशा तो साथ-साथ चलती हैं, परन्तु जब निराशा का प्रचार हिंसा फैलाने के लिए किया जाए तब चिन्ता होना आवश्यक है। हिंसा के भी कई रूप और स्रोत होते हैं। परन्तु न तो पुलिस और न ही प्रतिहिंसा इसका इलाज है। इसके विपरीत जो हिंसा सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से है उसे हटाने के लिए हम भरसक प्रयत्न कर ही रहे हैं परन्तु जानबूझ कर कराई गई हिंसा को हम पूरी शक्ति से समाप्त करके रहेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : और जब सरकार ही गुप्त हत्यायें करें तब ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं। हम किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं हैं। मैं समझती हूं कि लोकतंत्र और हिंसा में कोई बीच का मार्ग नहीं हैं। हमें विचार करना

होगा कि संसद के सभी दल मिल कर हिंसा समाप्त करें ।

कुछ सदस्यों ने 1950 से पुलिस पर खर्च में वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की है । पुलिस शान्ति और व्यस्था बनाए रखने के कार्य के अलावा अब सेना के साथ हमारी सीमाओं की भी रक्षा करती है । आधी से अधिक वृद्धि ऐसी पुलिस के कारण है । केन्द्रीय रक्षित पुलिस के कारण भी इसमें वृद्धि हुई है । इस समय भी राज्यों के अनुरोध पर अधिकांश यह पुलिस उन्हें दी गई है ।

पुलिस के विरुद्ध शिकायतों पर मुझे भी चिन्ता है और हम उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देने पर विचार कर रहे हैं । पुलिस को भी अपने कार्य में मित्रता और सहानुभूति की आवश्यकता होती है । ऐसी चर्चा में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की बात कहना भी आवश्यक है । मतभेद और समस्याएं हो सकती है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों में परस्पर विश्वास उठ गया है । मुझे राज्यों से चाहे वहां किसी दल की भी सरकार थी—पूर्ण सहयोग मिलता रहा है ।

दोनों में विवाद धन के नियतन पर है । एक और साधन सीमित हैं तो दूसरी और राज्यों की मांगों में उत्तरोत्तर वृद्धि हई है । इन सम्बन्धों को विहित नहीं किया जा सकता । इन सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिए गए हैं जिन पर संसद् और मुख्य मंत्रियों को विचार करना होगा । वास्तविक शिकायतें दूर की जानी चाहियें । परन्तु राजनीतिक रंग देकर कोई समस्या हल नहीं की जा सकती । तेलगांना का भी उल्लेख किया गया है और हम वहां की दशा सुधारने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

समय समय पर उत्पन्न होने वाले साम्प्रदायिक तनाव के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने प्रशंसनीय ढंग से कहा है और हमें इस बारे में बड़ी चिन्ता है । राष्ट्रीय एकता परिषद को अल्पसंख्यक जातियों तथा हरिजनों की समस्याओं को हल करने तथा हमारे सामाजिक तथा राजनैतिक ढांचे में समानता लाने के लिए ही बनाया गया हैं । कुछ वर्ष पूर्व श्रीनगर में परिषद की बैठक हुई थी और उसमें साम्प्रदायिक दंगों पर ही चर्चा होती रही क्योंकि दंगे बैठक की तिथि से कुछ दिन पूर्व ही हुए थे । हमारा प्रयास साम्प्रदायिक हिंसा को दबाने तक ही सीमित रहे हैं यद्यपि हमने परिषद् के कार्यों के अनेक पहलुओं का उल्लेख किया है । तनाव को हिंसा का रूप धारण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । अल्पसंख्यकों की भलाई तथा संतोष के बारे में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए । हमने इसका उल्लेख अपने चुनाव घोषणा पत्र तथा अन्य अवसरों पर किया है । इस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए हम सरकारी स्तर पर व्यवस्था करने पर भी विचार कर रहे हैं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

यह कहना ठीक नहीं है कि इस ओर कोई प्रगति नहीं की गई है परन्तु यह सच है कि हम इससे अधिक प्रगति इस ओर कर सकते थे । मुझे आशा है कि अब इन प्रयासों को तेज किया जाएगा । गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व के बारे में ध्यान दिया जा रहा है ।

जहां तक उर्दू भाषा का सम्बन्ध है इस बारे में हमने अनेक राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की है । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस बारे में कुछ निर्णय किए हैं और वह उनको क्रियान्वित

करने जा रहे हैं। हम इस मामले को सभी सम्बन्धित राज्यों के साथ उठा रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस बारे में पहले ही कुछ कार्यवाही की है।

एक अन्य गम्भीर समस्या कुछ संगठनों तथा व्यक्तियों द्वारा विदेशों से धन प्राप्त किया जाना है। इससे हमारी राजनैतिक संस्थाओं के कृत्यों पर प्रभाव पड़ता है। सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि हमारे राजनैतिक संगठन, शैक्षिक तथा सामाजिक निकाय हमारे प्रभुसत्ता प्राप्त लोकतंत्र गण-राज्य के मूल्यों के संगत हमारे राष्ट्रीय जीवन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करें। यही कारण है कि सरकार इस मामले की पूर्ण जांच कराने के लिए सभा में सहमत हुई थी। जांच के मुख्य निष्कर्षों से पता लगता है कि विदेशी संगठनों, अभिकरणों आदि से धन की प्राप्ति पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है। हमने ऐसे कानून के सिद्धान्तों पर विरोधी दलों के नेताओं से विचार विमर्श करने का वचन दिया है। संसद कार्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक टिप्पण विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं को भेजा है। ऐसे उपाय करना आवश्यक है और ये उपाय किए भी जायेंगे परन्तु भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमें आवश्यक वातावरण उत्पन्न करना है।

एक अन्य चिन्ता का विषय दलबदली का है। हम इस बुराई की रोकथाम करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। इस प्रश्न पर मैंने चुनाव से पूर्व विभिन्न दलों के नेताओं में बातचीत की थी परन्तु यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वह हम से क्या चाहते हैं। अतः मैंने कुछ दिन पश्चात ही उनको एक पत्र लिखा और उनसे अनुरोध किया कि वे इस बारे में स्पष्टरूप से अपनी प्रतिक्रिया के बारे में लिखें।

सरकार ने इस पर सावधानी से विचार करने के पश्चात दलबदलुओं सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय किया है। इस मामले पर हम मुख्य मंत्रियों से भी विचार विमर्श कर रहे हैं। इस बारे में मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि किसी राज्य की सरकार को गिराने में हमारा कोई हाथ नहीं है।

एक अन्य महत्वपूर्ण विषय लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक के बारे में है। इस विधेयक को मई 1968 में प्रस्तुत किया गया था। परन्तु माननीय सदस्यों के निवेदन पर तथा इसके महत्व को देखते हुए इसे दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंप दिया गया था। इस विधेयक को संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में अगस्त 1969 में पास कर दिया गया था। अब यह विधेयक राज्य सभा के समक्ष है।

सरकार भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। यह सच है कि इसमें विलम्ब होने पर माननीय सदस्य अप्रसन्न है परन्तु मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से अनेक संवैधानिक तथा कानूनी पहलू उत्पन्न हो गए हैं परन्तु हम शीघ्र ही इस मामले को सभा के समक्ष लाने वाले हैं।

श्री मिश्र ने कहा है कि राष्ट्रपति ने राज्यपालों की एक समिति बनाई हैं और उनकी बैठक

भी हुई। जब तक राष्ट्रपति हमें इस बारे में सूचना नहीं देते तब तक उसमें हस्तक्षेप करना हमारे लिए उचित नहीं है।

ज्योतिर्मयबसु यह सदा सोचते रहते हैं कि हम सेवाओं में हस्तक्षेप करते हैं और आदेश जारी करते हैं।

ज्योतिर्मय बसुः दिल्ली के मजिस्ट्रेट को निदेश दिया गया था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: मैं इसका विरोध करती हूं। यह आरोप निराधार है।

'बचन बद्धता' शब्द के ऐसे अनेक अर्थ निकाले जा रहे हैं जिनके बारे में न तो हमारा कभी अभिप्राय रहा है और न ही जिनके बारे में हमने कभी संकेत दिया है। मैंने गत वर्ष इन्सटीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करके कह दिया था। सिविल अधिकारियों सम्बन्धी मेरी टिप्पणी को जानबूझकर तोड़मोड़कर पेश किया गया है, मेरा तात्पर्य यह है कि वह निर्भय होकर अपना परामर्श दें और संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्र के उद्देश्यों के प्रति वे बचनबद्ध रहें।

श्री समरगुह ने मेघालय के बारे में एक प्रश्न किया था। मेरे पास इस समय पूरी जानकारी नहीं है। परन्तु मुझे अभी अभी बताया गया है कि वहां पर जनजाति के कुछ व्यक्तियों तथा पुलिस में झड़प हुई है जिसका शरणार्थियों के शिविरों से कोई सम्बन्ध नहीं है। जनजातियों के दो लड़कों को, जो सामान्य स्थिति में नहीं थे पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था जबकि लोगों की भीड़ ने उनको घेर लिया और लड़कों को छुड़ा लिया। 23 तारीख सायंकाल को लगभग सौ व्यक्ति नवाली पुलिस बाह्य चौकी के पास एकत्र हो गए और उन्होंने पुलिस पर पत्थर तथा तीर फेंकना आरम्भ कर दिया जिससे डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट को सिर में गम्भीर चोट आई तथा पुलिस के आठ और केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के अन्य व्यक्तियों को भी चोटें आई। स्थानीय पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने पर भीड़ तितर बितर हो गई। आज प्रातः चार बजे घटनास्थल पर एक शव मिला है। ब्यौरा अभी प्राप्त हो रहा है।

जहां तक क्रांतिकारियों का सम्बन्ध है मैं यह महसूस करती हूं कि उनके बारे में जो करना था वह नहीं किया गया है। कुछ मात्र व्यक्तियों को सहायता नहीं मिली है। हम इनके बारे में कुछ कार्य अवश्य करेंगे।

मैं श्री मिश्रा तथा अन्य माननीय सदस्यों से अपील करूंगी कि वह लोगों को समृद्ध बनाने में हमारी सहायता करें। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि पुलिस को अधिक मानवीय तथा आधुनिक ढंग अपनाना चाहिए। उनका उद्देश्य लोगों को ठीक मार्ग पर चलाना होना चाहिए। मैं सभा से मांगों को पास करने का अनुरोध करती हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1, 2, 5, **से** 12 **और** 18 **तथा** 19 **मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।**

The Cut motion No. 1, 2, 5 to 12 and 18 and 19 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1971/72 के लिए गृह मंत्रालय की निम्नलिखित माँगें मतदान के लिए रखी गई तथा पूरी पूरी स्वीकृति हुई।

The following demands for grant in respect of the Minitry of Home Affairs for the year 1971-72 were put and adopted.

(रुपये)

मांग सख्या	मांग का नाम	राशि
38.	गृह मंत्रालय .	1,46,31,000
39.	मंत्रि-मंडल . . .	56,44,000
40.	कार्मिक विभाग . .	2,68,50,000
41.	पुलिस . . .	52,18,85,000
42.	जन गणना . . .	7,28,14,000
43.	सांख्यकी . . .	3,28,87,000
44.	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते . . .	87,000
45.	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें .	18,87,000
46.	दिल्ली . . .	39,75,01,000
47.	चंडीगढ़ . . .	5,39,18,000
48.	अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	7,39,10,000
49.	आदिम जाति क्षेत्र . .	18,76,35,000
50.	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र .	58,58,000
51.	लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह . .	1,21,71,000
52.	गृह मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	8,65,12,000
126.	संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय	17,19,52,000
127.	गृह मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	1,36,67,000

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

अध्यक्ष महोदय : अब सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा होगी। इसके लिए चार घन्टे का समय रखा गया है।

जो माननीय सदस्य सभा में उपस्थित हैं और कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं वे अपनी अपनी पर्चियां 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर भेज दें जिसमें कटौती प्रस्तावों की संख्या दी गई हो।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1971-72 के लिए सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं।

(रुपये)

मांग संख्या	मांग का नाम	राशि
1	2	4
60	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	30,76,000
61	बहु-प्रयोजनी नदी योजनाएं .	2,24,81,000
62	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	7,61,78,000
130	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . . .	6,85,76,000
131	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	13,83,79,000

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र बेचने पर संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा गत मार्च में लगाए गए प्रतिबन्ध के उल्लंघन में सुन्दरबंसा और पद्मा नामक दो पाकिस्तानी समुद्री जहाजों द्वारा जो क्रमशः 28 मई और 21 जून, 1971 को अमरीका से चले थे, पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्र ले जाए जाने के समाचार

Sori R. V. Bade (Khargone) : I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make statement thereof.

"Reported carrying of American arms to Pakistani by two Pakistani ships, Sunderbans and Padma which sailed from U. S. A. on the 8th May and 21st. June, 1971 repectively in violation of the ban on the sale of arms to Pakistan imposed by U. S. A. in March last"

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): हाल ही में पाकिस्तान को अमरीका से कुछ तरह के जो सैनिक उपस्कर जहाज द्वारा भेजे गये हैं उनके विषय में इस सदन के सभी वर्गों की चिन्ता को सरकार समझती है और उन्ही की तरह वह भी चिन्तित है। 22 जून को 'न्यूयार्क टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार 'सुन्दरवन' और 'पद्मा' नाम के दो जहाज, जिन पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, क्रमश: 8 मई और 21 जून को न्यूयार्क से रवाना हुए हैं, जिन पर संयुक्त राज्य का सैनिक सामान लदा हुआ है, काफी ठीक जान पड़ता है। वाशिंगटन-स्थित हमारे राजदूत ने इस समाचार के मिलते ही 22 जून की शाम को इस प्रश्न को अमरीका के विदेश विभाग के अंडर सेक्रेटरी के साथ उठाया। इस मामले को 23 जून को नई दिल्ली में अमरीकी राजदूतावास के साथ भी उठाया गया। अमरीकी सरकार के अनुसार 25 मार्च के बाद पाकिस्तान को कोई विदेशी सैनिक विक्रय का प्राधिकार अथवा अनुमति नहीं दी गई है और 25 मार्च के बाद से ही अमरीका में ही कोई वाणिज्यिक क्रय का निर्यात लाइसेन्स जारी किया गया है और न ही उस तारीख के बाद से निर्यात लाइसेन्सों का नवीकरण किया गया है। अमरीकी सरकार ने यह भी कहा है कि 'न्यूयार्क टाइम्स' में प्रकाशित लेख की यह बात गलत है कि इन जहाजों पर लदे सामान में आठ विमान भी शामिल हैं। उनका कहना है कि इन जहाजों पर कोई विमान नहीं है लेकिन अमरीकी सरकार ने यह स्वीकार किया है कि यह संभव है कि मार्च 25 से पहले प्राधिकृत अथवा अनुमोदित विदेशी सैनिक विक्रय की वस्तुएं उक्त तारीख के बाद गोदी पर पहुंचाइ गई हों और शायद वही 'न्यूयार्क टाइम्स' में उल्लिखित दो जहाजों पर लदी हों। उन्होंने यह भी कहा है कि यह भी संभव है कि इन जहाजों में वाणिज्यिक रूप से खरीदा गया सामान हो जिसके लिए निर्यात लाइसेन्स की जरूरत होती है, जो मार्च 25 से पूर्व जारी किया गया हो। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनके लिए निर्यात लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यह भी संभव है कि इन जहाजों में कुछ ऐसी चीजें हो। उन्होंने कहा है कि इस तरह यह यह संभव है कि इन जहाजों पर सैनिक उपस्कर की वस्तुएं हों जो 25 मार्च से पूर्व की गई किसी कार्रवाई का परिणाम हों।

अमरीका के विदेश विभाग के अंडर सेक्रेटरी ने हमारी चिन्ता को समझा है और इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि विगत में दिए गए प्राधिकार से सम्बद्ध यह लूपहोल हमारे ध्यान में नहीं लाई गई। उन्होंने यह भी बताया है कि पहले जो निर्यात लाइसेन्स जारी किए जा चुके हैं उनमें क्या-क्या सामान शामिल है और जो अभी भेजा नहीं गया है, इस विषय में भी अभी पूरे तथ्य मालूम नहीं हैं और इसलिए वे यह नहीं कह सकते कि अब और सामान नहीं भेजा जाना है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अभी तक वे इस बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुचे हैं और वे इस मामले की जांच कर रहे हैं।

हमने अमरीकी सरकार को यह बता दिया है कि पाकिस्तान की सैनिक शक्ति में कुछ भी वृद्धि होने से, विशेषकर वर्तमान परिस्थितियों में जबकि बंगला देश के निहत्थे और असहाय लोगों पर वहां की सेना अत्याचार और जुल्म कर रही है, न सिर्फ उस उप-महाद्वीप की शान्ति और सुरक्षा के लिए ही खतरा पैदा होगा बल्कि इस समूचे क्षेत्र के लिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि इससे न सिर्फ यह समझा जाएगा कि इन अत्याचारों को माफ़ कर दिया गया है बल्कि इन्हें उनके जारी रखने के लिए एक प्रोत्साहन भी समझा जा सकता है। हमने इस बात पर ज़ोर दिया है कि यह

सिर्फ एक तकनीकी मामला ही नहीं है बल्कि एक गम्भीर चिन्ता का विषय जिसका संबंध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं से है। इसलिए हमने अमरीकी सरकार से यह कहा है कि उन्हें उन दो जहाजों को इस बात से रोकने की कोशिश करनी चाहिए जो कि पहले ही रवाना हो चुके हैं कि वे उन सैनिक वस्तुओं को पाकिस्तान को न सौंपे और जिस तरह भी हो इस बात का आश्वासन दिया जाए कि चाहे "पहले की इजाजत" के अधीन ही क्यों न हों, भविष्य में कोई और सैनिक समान भेजने की इजाजत नहीं दी जाएगी। संयुक्त राज्य सरकार ने इस मामले पर तत्काल ध्यान देने का वादा किया है कि वे इस मामले पर तत्काल विचार करेंगी और हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

हमें उम्मीद है कि अमरीकी सरकार, जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास रखती है, किसी तरह के सैनिक हथियार या पुर्जे आदि देकर इन सिद्धांतों के मनमाने उल्लंघन को प्रोत्साहन नहीं देगी जोकि आजकल बंगला देश में हो रहा है जब तक कि पाकिस्तान के सैनिक प्राधिकारी अपने अत्याचारों को बंद नहीं करते और बंगला देश के यथोचित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ कोई शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान नहीं निकाल लेते और ऐसा करके और शरणार्थियों के हमारे यहां आने को नहीं रोकते तथा विश्वसनीय गारण्टी देकर भारत में आए हुए लाखों शरणार्थियों को सुरक्षित और शीघ्र वापस नहीं बुला लेता।

Shri R. V. Bade : I want to know why the word 'genocide' is not used in the statement ?

I want to know whether you have taken up the matter with the U. S. Government of stopping the Pakistani ships on the way which are carrying armaments ? The details of the armaments which the pakistani ships are carrying has also not been disclosed in the statement.

I also want to know whether you have impressed upon the Government of America that economic aid should also not be given to Pakistan.

I also want to know as to what was the intention when you said at Palam Airport on return from America that you can not accept the correctness of the report. In this connection I would like to say that our Ambassador is not getting correct information I may also say that Government of America is indulging in secret dealing with Pakistan as has been revealed by Senator Frankchurch. I want to know whether the hon. Minister got this information when he was in America ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम शब्द 'जिनोसाइड' का प्रयोग करने को तैयार हैं। हमने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय फार्मों में इस का प्रयोग किया है। हम अमरीका सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि इन जहाजों को रोका जाये और पाकिस्तान को सामान सप्लाई न किया जाये। उन जहाजों में क्या सामान है इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : During 1965 Indo-Pak Conflict America stopped the movement of ships when they were only 15 miles away from Indian border. So if American Government so desires it can stop the arms carrying Pakistani ships in the way.

श्री स्वर्ण सिंह: मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि अमरीका चाहता है और वह इस बात का निर्णय करता है तो वह उन्हें रोक सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या वह पाकिस्तानी जहाजों को रोक सकता है। मेरी यह समझ में नहीं आता कि वह इस बात के लिये कैसे सहमत हो गये।

श्री स्वर्ण सिंह: मेरी यह समझ में नहीं आता कि वह कैसे निराश हो गये। पाकिस्तानी जहाजों पर पाकिस्तान को भेजे जाने वाले शस्त्रास्त्रों की सूची हमारे पास नहीं है। सरकार ने उन विभिन्न सरकारों से, जो पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दे रहीं हैं, पाकिस्तान को तब तक सहायता न देने को अपील की है जब तक वह बंगला देश में नरसंहार बन्द नहीं कर देता और बंगला देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों से समझौता नहीं कर लेता।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सहायता देने के बारे में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि मैं नहीं जानता कि उक्त समाचार सच है अथवा नहीं और इस बारे में मुझे जांच करनी होगी लेकिन यदि यह समाचार सच है तो यह दिये गये सब आश्वासनों के विरुद्ध है और हम इसका पूर्णतया विरोध करते हैं।

हमें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि पाकिस्तान में नरसंहार आरम्भ किये जाने और वहां सैनिक प्रशासन द्वारा कार्यवाही किये जाने के बाद अमरीका ने पाकिस्तान को सब उपकरणों की सप्लाई करना बन्द कर दिया है और इसी कारण से हमने इसका तीव्र विरोध किया था और कहा था कि यह दिये गये सब आश्वासनों के विरुद्ध है।

श्री आर० वी बड़े : क्या सरकार को इस बारे में कोई सूचना है कि अमरीका सरकार पाकिस्तान से गुप्त व्यापार कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह: हमें भी ऐसी सूचना मिली है। हम इसके लिए अमरीकी सीनेटर और समाचार-पत्रों के आभारी हैं जिन्होंने इसकी सूचना दी है।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The statement of the hon. Minister does not indicate the factual position of the arms supply by American Government. It appears as if either you can not read the feelings of the American leaders or you dare not to disclose in clear words. You have neither censured them nor used strong words against them **(Interruptions)** It is very strange that our embassy in America did not give any information in this regard. You have not stated clearly the steps you are intending to take to stop the supply of American arms to Pakistan.

On the one hand arms are being supplied to Pakistan and on the other hand assurances are being given economic assistance to India. It is two sided policy. You should have stated that you are not going to accept such type of assistance.

I want to know the reaction of the American Government on portest notes sent by India In a statement in 1965, the American Government assured that the arms supplied to Pakistan

would not be used against India. But they were used against India . If the American Government want any political solution of Bangla Desh, this action of their will not create an appropriate atmosphere for it.

Government is not clear in its policy regarding Bangla Desh. On the one hand it assures that it will give assistance to Bangla Desh, on the other hand its situation has created a problem for our country. It is better if Government gives recognition to Bangla Desh and then gives assistance to her independently.

श्री स्वर्ण सिंह : हम किसी भी देश से नहीं डरते, चाहे वह अमरीका हो अथवा अन्य देश। हमारी अपनी नीति है। किसी भी देश के रवैये के बारे में हम अपनी भावना स्पष्ट व्यक्त करते हैं।

अमरीका स्थित भारतीय दूतावास के लिये यह कठिन है कि वह इस बात की जानकारी रखे कि अमरीका द्वारा किन-किन देशों को जहाज भेजे जा रहे हैं। इस बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमने अमरीका सरकार से जहाजों को रोकने का अनुरोध किया है। अमरीका सरकार से की गई मांगों के बारे में हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

बंगला देश के बारे में हमारी नीति को प्रधान मंत्री स्पष्ट शब्दों में बता चुकी हैं। हमारी उनसे पूर्ण सहानुभूति है और हम बंगला देश वासियों का पूर्ण समर्थन करते हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी (जालौर): एस. एस. पद्मा और एस. एस.सुन्दरबन नामक जहाजों द्वारा हथियार और गोलाबारूद भेजकर करोड़ों भारतीयों के जख्मों पर नमक छिड़का गया है। यह दुःख की बात है कि उनके भारत लौटने के 18 घंटे के बीच ही 'न्यूयार्क टाइम्स' में उक्त समाचार प्रकाशित हुआ। यह दुःख की बात है कि अमरीका स्थित हमारे राजनयिक मुख्यालय ने इस बारे में अभी तक कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं भेजी हैं। भारत के प्रति अमरीकी नीति का यह एक मात्र उदाहरण नहीं है। बंगला देश में संकट आरम्भ होने के बाद अमरीकी सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान को हथियार और गोला बारूद की सहायता नही दी जायेगी। हमें यहां तक आश्वासन दिया गया था कि हथियार या गोला बारूद गोदी में भी पड़े हुए हों तब भी उनको पाकिस्तान को सप्लाई नहीं किया जायेगा। लेकिन 25 मार्च के बाद अमरीका द्वारा हथियारों और गोला-बारूद से लदे अनेक जहाज भेजे गये हैं। पाकिस्तान को चीन, अमरीका और अन्य देशों से हथियार प्राप्त हो रहे हैं। अन्य देशों में पाकिस्तान 'लॉबी' हमारे राजनयिक दूतावासों की तुलना में अधिक प्रभावशाली हैं। अमरीका सरकार द्वारा दिये गये वचन और आश्वासनों का नियमित तौर पर उल्लघंन किये जाने को ध्यान में रखते हुए हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिये ? अमरीका सरकार ने स्पष्टतया यह आश्वासन देने के बावजूद भी कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई नहीं किए जाऐंगे पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये हैं। हम उन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ को इस बात की चेतावनी देगी कि यदि उक्त संघ ने एक निर्धारित अवधि में कार्यवाही नहीं की तो भारत को देशहित में यथा योग्य कार्यवाही करने की स्वतन्त्रता होगी। दूसरे, क्या वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से सहायता और राहत लेने से इंकार करेगी क्योंकि ऐसा करना देश के लिये अपमान जनक और तिरस्कारपूर्ण होगा ?

श्री स्वर्ण सिंह: माननीय सदस्य द्वारा किये गये विश्लेषण और मूल्यांकन से मैं सहमत हूं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ को चेतावनी देना अथवा आर्थिक सहायता लेने से इंकार करना बुद्धिमानी नहीं होगी।

Shri Narendra Singh (S atna) **: It** appears that those two ships loaded with arms and ammunition had left America for Pakistan after 25th March. America is indirectly supporting Pakistan's action in Bangla Desh. If it had not been so the arms and ammunition would have not been supplied to Pakistan in the present circumstances. These arms and ammunition may not only be used to suppress the independence agitation in Bangla Desh, but may also be used against India.

During 1965 conflict between India and Pakistan, America's six cargo ship loaded with arms and ammunition were sailed for India but they were ordered to return back. But it has not been done this time. I want to know the details of the arms and ammunitions sent to Pakistan by the U. S.

Pakistan thinks that India is its enemy number one. Taking it into consideration. I want to know whether adequate preparations have been made on all fronts so that we may be able to face Pakistan's attack successfully ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह विचार ठीक है कि पाकिस्तान को प्राप्त होने वाली सैनिक सहायता का उपयौग न केवल बंगला देश के विरुद्ध किया जाएगा बल्कि भारत के विरुद्ध भी किया जाएगा। अतः हमने इस बारे में पूर्णतया विरोध किया है और इस सम्बन्ध में हमने अमरीका को शंका में नही रखा है।

1965 में भारत को भेजे जाने वाले जहाजों को अमरीका ने रोक लिया था। पाकिस्तान को भेजे जाने वाले हथियार और गोला बारूद के जहाजों को रास्ते में न रोके जाने की माननीय सदस्य की बात ठीक हैं। हम अमरीका सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इस मामले में ऐसा ही किया जाना चाहिए।

पाकिस्तान को भेजे जाने वाले हथियारों की सूची उपलब्ध नहीं है।

हम किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं।

सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें जारी

GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS-Contd.

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय —(जारी)

अध्यक्ष महोदय : सभा अब सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों पर आगे चर्चा करेगी।

श्री बो० के० मोदक (हुगली) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं क्योंकि मंत्रालय का कार्य निराशाजनक रहा है। यह केन्द्रीय सरकार का महत्त्वपूर्ण मंत्रालय है और

देश के आर्थिक विकास के बारे में कार्यवाही करता रहा है। लेकिन सत्तारूढ़ दल उक्त मंत्रालय को कोई महत्त्व नहीं दे सका।

चौथी योजना में सिंचाई पर 820 करोड़ रुपये व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। यह धन-राशि अपर्याप्त है।

[डा० सरदीश राय पीठासीन हुए
Dr. Saradish Roy in the Chair]

देश में जन संख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति और राष्ट्रीय आपात् की ओर लगी है और अत्यावश्यक बातों की ओर ध्यान नहीं दे रही है।

मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया था कि प्रतिवर्ष 30 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने की क्षमता पैदा की जाएगी। लेकिन गत वर्ष सिंचाई की क्षमता में केवल 16 लाख एकड़ की वृद्धि की गई है। यह गरीबी हटाओ का मजाक है। अतः इस सम्बन्ध में सुधार की आवश्यकता है।

विभिन्न राज्यों को, विशेषकर पश्चिम बंगाल को, जो आवंटन किये गए हैं। वे पक्षपात-पूर्ण ढंग से किए गए हैं। इस पक्षपात पूर्ण रवैये से किसी भी प्रकार की संयुक्त राष्ट्रीयता का विकास नहीं हो सकता।

उत्तर बंगाल में जलढाका विद्युत परियोजना पूर्णतया असफल रही है जिससे कई करोड़ रुपये की सार्वजनिक निधि व्यर्थ गई है। पश्चिम बंगाल द्वारा स्थापित जांच आयोग ने केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग तथा उसके प्रभारी सदस्य (डिजाइन) पर सारा दोष लगाया है। आशा है मंत्री महोदय दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। खजुरिया इस परियोजना के लिए उपयुक्त स्थान है।

कांसाबाती परियोजना 10 वर्षों के भीतर पूरी होनी थी और इससे 10 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई शक्ति पैदा होनी थी लेकिन 15 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी केवल 4 लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई शक्ति उत्पन्न की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त परियोजना कब तक पूरी होगी।

पश्चिम बंगाल में लोअर दामोदर क्षेत्र में, दामोदर घाटी निगम के जलाशय से अधिक जल छोड़ने के कारण जो बाढ़ आती है उससे हुगली और हावड़ा जिले नियमित रूप से पीड़ित होते हैं। वर्ष 1956 की भारी बाढ़ के बाद इस बारे में प्रतिनिधि मंडल बनते रहे है और अनेक भाषण दिये गये हैं आयोग के बाद आयोग अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते रहे हैं लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई। मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि इस क्षेत्र के बारे में संख्या की क्या नीति है।

सरकार सिंचाई शक्ति पैदा करने के साथ साथ बिजली की शक्ति पैदा करने में भी बुरी तरह असफल रही है।

समाजवाद का अभिप्राय जनता को सब अधिकार सौंपना है। विकास का वास्तविक अभिप्राय यह ही है। विकासशील देशों में बिजली की खपत प्रतिव्यक्ति 175 किलोवॉट घण्टे प्रति वर्ष है।

जबकि भारत में यह खपत 90 किलोवॉट घण्टे प्रति वर्ष है।

बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत को आर्थिक विकास का मापदन्ड समझा जाता है। अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बहुत कम है।

हाल ही में विद्युत शक्ति के उपार्जन के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं जिनमे उन क्षेत्रों के विकास की परवाह न किये बिना जिन पर कि इन योजनाओं की सफलता निर्भर हैं, बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

बिजली सप्लाई सुविधाओं की तुलना में बिजली के उपयोग के लिए विनियोजन की राशि 5 गुना अधिक होनी आवश्यक है। मुद्रास्फीति के कारण विनियोजन में वृद्धि हो रही है। और इसके परिणामस्वरूप लक्ष्य में कमी की जाती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन, इस्पात की उपलब्धता, सक्षम बिजली बोर्डों, समय पर डिलीवरी और मजदूरों से अच्छे सम्बन्ध की आवश्यकता है।

इन काल्पनिक उड़ानों के कारण चौथी योजना में बिजली का जो 23 लाख किलोवाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह 2 लाख किलोवाट कम हो जाएगा। इससे आर्थिक विकास की गति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और 1973-74 में अर्थव्यवस्था की अनेक समस्याएं उठ खड़ी होंगी।

गांवों में विद्युतीकरण पर करोणों रुपए खर्च किए गए हैं। इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि इससे कितना लाभ हुआ। विद्युतीकरण के नाम पर बड़ी धनराशि फिजूल खर्च की जा रही है। इसे रोका जाना चाहिए। विद्युतीकरण की योजनाओं की सफलतापूर्वक क्रियान्विति से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

जहां तक गाँवों में विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल राज्य इस दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। इस राज्य में केवल 7.4 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ है अतः ग्राम विद्युतीकरण निगम से काफी मात्रा में ऋण लेकर राज्य विद्युत बोर्ड ने गांवों के विद्युतीकरण के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है। लेकिन बोर्ड की यह आशा मिथ्या सिद्ध हुई है और इसके परिणामस्वरूप प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

गांवों में विद्युतीकरण की योजनाओं को सफल बनाने के लिए एक पृथक विद्युत मंत्रालय की स्थापना की जानी चाहिए। अमरीका द्वारा गांवों के विद्युतीकरण के काम को अपने हाथ में लेने के कारण वहां इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है।

लेनिन ने कहा था कि रूस और विद्युतीकरण को मिलाकर समाजवाद बनता है। लेकिन

भारत में जो श्रमिक परिश्रम करता है वह गरीबी में गुजर करता है। दूसरी ओर सिंचाई और बिजली जैसी बातों को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन लड़खड़ा रहा है।

***श्री के सूर्यनारायण** (एलूरू) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। जहां तक सिंचाई और विद्युत का प्रश्न है देश में अनेक पिछड़े क्षेत्र है। जब तक इन पिछड़े क्षेत्रों का उस सीमा तक विकास नहीं किया जाता जिस सीमा तक देश के अन्य क्षेत्रों का किया गया है। तब तक उन पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई और विद्युत की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त धनराशि का नियतन किया जाना चाहिए।

हमारे देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित हैं। इन परिस्थितियों में सरकार को सिंचाई और बिजली के विकास के लिए पर्याप्त कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार इस विषय को अधिक महत्व नहीं दे रही है। इसी कारण हम इस मामले में उतनी प्राप्ति नहीं कर पाए हैं जितनी हमें करनी चाहिए थी।

हमारे देश में सिंचाई और विद्युत की बहुत अधिक क्षमता विद्यमान हैं। लेकिन त्रुटिपूर्ण योजना के कारण हम इन क्षेत्रों में अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं।

इसका एक कारण यह भी है कि इस मंत्रालय के लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। इससे अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति रुक गई है। सिंचाई और विद्युत योजनाओं पर अधिक ध्यान देने की बजाय औद्योगिक विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

देश को अपने योग्य मंत्री की सेवाओं का उपभोग करना चाहिए।

बजट में नई योजनाओं को शामिल नहीं किया गया है। नियत की गई राशि भी अपर्याप्त है।

देश में बिजली की स्थिति बहुत निराशाजनक है। उन देशों में जिनके संसाधन हमसे कहीं कम है हमारे देश की अपेक्षा कहीं अधिक बिजली पैदा की जा रही है तथा उनकी बिजली की खपत भी प्रति व्यक्ति हमसे कहीं अधिक है।

देश के अनेक राज्य जैसे आसाम, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और केरल में बिजली की बहुत आवश्यकता है, इन पिछड़े राज्यों में बिजली का विकास करने की बजाय, जिसमें वे पहले ही अग्रसर हैं, हम अन्य विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

तमिलनाडु राज्य में नेवेली में एक बहुत बड़ी विद्युत परियोजना स्थापित की गई है।

इस परियोजना को केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। केन्द्रीय सरकार का विचार

*तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद से अनुदित
Translated from English Translation of the speech delivered in Telugu.

तमिलनाडु को सस्ती दरों पर और उससे लगे हुए केरल तथा आन्ध्र प्रदेश को मंहगी दरों पर बिजली सप्लाई करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय सरकार को राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए।

भारत ने कृषि क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त नहीं की है। संयुक्त अरब गणराज्य जैसे छोटे देश ने, जिसने भारत के बाद योजना बद्ध प्रणाली का पालन किया बहुत कम समय में प्रशंसनीय प्रगति की है। इसका एक कारण यह है कि वह न केवल विदेशों से सहायता लेता है बल्कि प्राथमिकता का भी उचित निर्धारण करता है। इसी कारण से उसकी इतनी तेजी से प्रगति हो रही है। तभी हम कुछ प्रगति कर सकते हैं।

हमें बिजली का उपयोग मुख्यत: कृषि प्रयोजनों के लिए करना चाहिए। यदि कुछ फालतू बिजली हो तभी उसका उपयोग अन्य सजावटों आदि के लिए किया जाना चाहिए। सरकार को कृषि प्रयोजनों के लिए रियायती दर पर बिजली सप्लाई करनी चाहिए सभी राज्यों में बिजली बोर्ड हैं परन्तु सम्बन्धित राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे कोई लाभ अर्जित नहीं कर रहे है। इसका परिणाम यह है कि किसान लोग इन बोर्डों के कार्यकरण से संतुष्ट नहीं हैं। राज्यों में लाई जा रही सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं पर केन्द्रीय सरकारको निगरानी रखनी चाहिए। राजनीतिक दबावों के कारण राज्य सरकारें इन योजनाओं में परिवर्तित कर देती हैं। जिन परियोजनाओं में केन्द्रीय सरकार ने धन लगाया है उन परियोजनाओं की क्रियान्विति पर केन्द्रीय सरकार को अवश्य निगरानी रखनी चाहिए। नागार्जुन सागर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धन जुटाने में राज्य सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। केन्द्रीय सरकार को इस परियोजना का निर्माण कार्य अपने हाथ में ले लेना चाहिए जिससे वह शीघ्र पूरा हो सके। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद इस का लाभ अन्य राज्यों को भी मिलेगा। साथ ही चावल का उत्पादन इतना बढ़ जाएगा कि सरकार को चावल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बिल्कुल खर्च नहीं करनी पडेगी।

आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में एक इस्पात कारखाना लगाया जा रहा है। परन्तु वहां पर पानी नहीं है। पोलावरम पर गोदावरी नदी पर एक परियोजना बना कर पानी लेने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में 20 वर्ष पूर्व इसी स्थल पर रामपद सागर नाम की एक परियोजना चालू करने का विचार था। पश्चिम गोदावरी और पूर्व गोदावरी जिलों के ऊपरी क्षेत्रों से पानी के प्रस्तावित चेनल को ले जाया जाना चाहिए। इससे उन क्षेत्रों का विकास भी हो सकेगा, विशाखापत्तनम की जनता को पीने का पानी भी मिलेगा और इस्पात कारखाने की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकेगा।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की माँगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित .कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
60	5	श्री पी० के० देव :	राज्यों द्वारा प्रस्तुत सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देने में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में गतिरोध ।	100 रुपये
60	6	"	राजस्थान नहर के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की वांछनीयता।	"
60	7		उड़ीसा राज्य में इन्द्रावती परियोजना को तुरन्त स्वीकृति देने की आवश्यकता ।	"
60	8	"	उड़ीसा राज्य में वैतरणी नदी पर आनन्दपुर बांध के लिए शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता ।	"
60	9	"	पूर्वी राज्यों, विशेष कर उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में शीघ्रता से और उसकी विस्तार करने की आवश्यकता ।	"
60	10	"	उड़ीसा राज्य को ग्रामीण विद्युतीकरण तथा जल उषक सिंचाई कार्यक्रमों के लिए अपनी पारेषण व्यवस्था के लिए का विस्तार करने हेतु और अधिक केन्द्रीय सहायता देने की वांछनीयता ।	"
60	11	"	सुबर्ण रेखा नदी के दोनों ओर बाढ़ सुरक्षा तटबंध शीघ्र बनाने की आवश्यकता।	"
60	12	"	देश में भू-बिजली के शीघ्र विकास करने की आवश्यकता ।	"
60	13	"	उड़ीसा राज्य में समुद्री तरंगों से विद्युत के उत्पादन की आवश्यकता।	"
60	14	"	कृष्णा-गोदावरी आयोग के शीघ्र निर्णय की वांछनीयता ।	"
60	15	"	एक अखिल भारतीय ग्रिड बनाने की वांछनीयता ।	"

1	2	3	4	5
60	37	श्री वाई० ईश्वर-रेड्डी	नागार्जुनसागर परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार को दी गई ऋण सहायता पर ब्याज की वसूली को रोकने की वांछनीयता।	100 रुपये
60	38	"	आन्ध्र प्रदेश में पोचमपद परियोजना के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता।	"
60	39	"	जल साधनों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव।	"
60	40	"	पिछड़े तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने की ओर पूर्ण ध्यान देने और इस सम्बन्ध में सहानुभूति-पूर्वक विचार करने का अभाव।	"
60	41	"	मैसूर, तमिलनाडु और केरल राज्यों के बीच कावेरी जल-विवाद को हल करने में असफलता।	"
60	42	"	राजस्थान नहर, गंडक, नागार्जुनसागर आदि जैसी बड़ी परियोजनाओं के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तरदायित्व सम्भालने से इन्कार।	"
60	43	"	पुलीवेंडला नहर योजना के लिए शीघ्र ही अन्तिम रूप से स्वीकृति देने की आवश्यकता।	"
60	44	"	आन्ध्र प्रदेश के कुड़ापा जिले में चेय्येरू में जलाशय के निर्माण के लिए अन्तिम रूप से शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता।	"
60	45	"	आन्ध्र प्रदेश में उच्च स्तरीय नहरयोजना-प्रक्रम दो के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति।	"
60	46	"	श्री सेलोमपन-बिजली-परियोजना के निर्माण में शीघ्रता की आवश्यकता।	"
60	47	"	1974—75 में आंध्र प्रदेश में 400 मैगावाट बिजली की कमी।	"
60	48	"	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृति पुलीवेंडला विद्युतीकरण योजना (आन्ध्र) में शीघ्रता लाने की आवश्यकता।	"

1	2	3	4	5
60	49	श्री वाई० ईश्वर-रेड्डी	रायलसीमा क्षेत्र में व्याप्त अकाल को स्थायी रूप से समाप्त करने के प्रयोजन से वहां सिंचाई करने के लिए कृष्णा नदी के जल को मोड़ने की आवश्यकता ।	100 रुपये
60	50	,,	गंगा नदी को कावेरी नदी से मिलाने की विशाल योजना के लिए आवश्यक तैयारी करने की वांछनीयता ।	,,
60	51	,,	क्षेत्रीय असंतुलन कम करने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता ।	,,
60	52	,,	बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड के समान अकाल उन्मूलन बोर्ड स्थापित करने की वांछनीयता ।	,,
60	59	श्री टी० किरुतिनन	तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में शीघ्र स्वीकृति देने में असफलता ।	,,
60	60	,,	कावेरी जल विवाद के सम्बन्ध में तामिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा कही गई बातों को स्वीकार करने में असफलता ।	,,
60	61	,,	तामिलनाडु में रामनाथपुरम जिले में भूमिगत जल संस्थानों का सर्वेक्षण करने में असफलता ।	,,
61	64	,,	तमिलनाडु में सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्र रामनाथपुरम जिले की सिंचाई के प्रयोजनार्थ अपर पेरियार योजना में धन लगाने में असफलता ।	,,
61	65	,,	गंगा नदी को कावेरी तक दक्षिण की अन्य नदियों के साथ मिलाने की योजना में धन लगाने में असफलता ।	,,
62	66	,,	कावेरी जल विवाद को न्यायाधिकरण को सौपने में असफलता ।	,,
62	67	,,	केन्द्र की अनुमती लिए बिना मैसूर सरकार द्वारा आरम्भ की गई हेमाबाकरी परियोजना का निर्माण कार्य रोकने में असफलता ।	,,
61	62	श्री नरेन्द्र सिंह	मध्यप्रदेश में केन नहर परियोजना का कार्य पुनः आरम्भ कराने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
61	63	श्री नरेन्द्र सिंह	महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गुजरात के नदी जल विवाद को निपटाने में असफलता।	100 रुपये
60	77	श्री रामावतार-शास्त्री	पिछड़े हुए राज्यों को सिंचाई और विद्युत संबन्धी विकास कार्यों के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने में असफलता।	,,
60	78	,,	बिहार तथा अन्य पिछड़े हुए राज्यों के ग्रामों के विद्युतीकरण में असफलता।	,,
60	79	,,	पाकिस्तान के साथ जल विवाद को हल करने में असफलता।	,,
60	87	,,	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के वेतनमानों को घटाने में असफलता।	,,
60	88	,,	मंत्रालय में निरर्थक खर्च को रोकने में असफलता।	,,
60	89	,,	राज्य बिजली बोर्डों में अध्यक्ष के पदों पर तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता।	,,
60	90	,,	ग्रामों में सस्ती दरों पर बिजली देने की आवश्यकता।	,,
60	91	,,	सभी राज्यों में एक समान बिजली दर निश्चित करने की आवश्यकता।	,,
60	92	,,	सिंचाई शुल्क की दर को कम करने की आवश्यकता।	,,
60	93	,,	सिंचाई कार्यों के लिए जल वितरण की विषमतापूर्ण नीति।	,,
61	94	,,	पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार के सिंचाई मंत्री द्वारा वर्ष 1967 में प्रस्तुत बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी वृहद् योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता।	67
61	95	,,	बाढ़ नियन्त्रण के लिए हिमालय से निकलने वाली नदियों को बांधने की आवश्यकता।	,,
61	96	,,	बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त सहायता पहुंचाने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
61	97	श्री रामावतार-शास्त्री	कावेरी तथा नर्मदा नदियों सम्बन्धी जल-विवाद को हल करने में असफलता।	100 रुपये
61	98	,,	बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ बिहार सरकार को अधिक धन राशि देने की आवश्यकता।	,,
61	99	,,	गंडक, कोसी, अधवारा, सोन, कोइल, पुनपुन, फतुहा तथा मोकम ताल परियोजनाओं की क्रियान्विति हेतु विशेष अनुदान देने की आवश्यकता।	,,
61	100	,,	गंगा नदी के जल का सिंचाई कार्यों के लिए उपयोग करने में असफलता।	,,
61	101	,,	राजस्थान नहर के निर्माण कार्य को पूरा करने में असफलता।	,,
61	102	,,	गंगा नदी से होने वाले भूमि कटाव को रोकने में असफलता।	,,
61	103	,,	बिहार के पटना जिले में मनेर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत दिग्रारा क्षेत्र के उन ग्रामों को पुनः बसाने में ढिलाई, जो गंगा नदी से होने वाले भूमि कटाव से प्रभावित हुए थे।	,,
61	104	,,	बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
60	109	,,	सिंचाई के बारे में एक समान नीति बनाने की आवश्यकता।	,,
60	110	,,	राज्यों द्वारा प्रस्तुत सिंचाई और विद्युत योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब।	,,
60	111	,,	बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण योजना को विस्तारित करने की आवश्यकता।	,,
60	112	,,	बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए उत्तर बिहार में एक बिजलीघर स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
60	113	,,	बिजली की चोरी को रोकने की आवश्यकता।	,,
60	114	,,	राज्य बिजली बोर्डों को सहायता देने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
60	80	श्री बी० के० मोदक	हुगली नदी के निचले दामोदर क्षेत्र तथा हावड़ा जिले में बाढ़ नियन्त्रण संबंधी मान सिंह आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें क्रियान्वित करने में असफलता।	100 रुपये
60	81	,,	दामोदर घाटी निगम के जल के असामायिक निकास के कारण हुगली जिले में पोलबा के घीया कुण्टी तथा सिगुर के कनानाडी क्षेत्रों में पानी के जमाव को रोकने में असफलता।	,,
60	82	,,	उत्तरी बंगाल में जलधारा पन बिजली परियोजना के कार्यान्वयन में असफलता जिसके कारण सार्वजनिक धन नष्ट हुआ।	,,
60	83	,,	कांसबती परियोजना को निश्चित समय में पूरा करने में असफलता।	,,
60	84		फरक्का बांध परियोजना को निश्चित समय में पूरा करने में असफलता।	,,
60	85		पश्चिम बंगाल में हुगली तथा रूपनारायण नदियों से गाद हटाने के कार्यक्रम को प्रारम्भ करने में असफलता।	,,
60	86	,,	हुगली के आराम बाग उपमंडल में बाढ़ नियंत्रण हेतु प्रस्तावित बचाव तटबंध को बनाने में असफलता।	,,
131	106	श्री नाथूराम मिर्धा	ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम में, राजस्थान विशेषकर मरुस्थल क्षेत्रों का पिछड़ापन।	,,
131	107		राजस्थान नहर परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता।	,,
131	108	,,	नलकूपों के निर्माण तथा विद्युतीकरण की आवश्यकता।	,,

Shri. D. D. Bhatia (Amritsar) : The problem of power shortage has taken such a serious turn in Punjab that about 40 percent industries are facing closure and irrigation of fields has aeso been affected very badly. I feel that in case Irrigation and Power Ministry dose not pay immediate attention to this problem, many industrialists will be forced to shift from Punjab. It wili also stand in the way of green revolution and progress of Small Scale Industries. Sanction for their Dam is being delayed. It has been mentioned in the report that it will cost Rs. 91 crores and it will produce 190 MW of electricity. This project should be sanc-

ctioned immediately. Punjab should also be supplied with 100 MW electricity from Rana Pratap Sagar otherwise industries of Punjab will be jeopardised. The big industrialists have installed their own generating sets but small scale industries have been affected very badly. In view of this request the hon. Minister should pay immediate attention to the problem of power shortage in Punjab.

श्री पी० के० देव (कालीहांडी) : संविधान के अनुच्छेद 262 के अधीन नियुक्त कृष्णा-गोदावरी न्यायाधिकरण ने 19 अप्रैल, 1971 को आदेश जारी किया था कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि प्रत्येक सम्बन्धित राज्य गोदावरी न्यायाधिकरण द्वारा नियत किए गये गोदावरी के पानी का प्रवाह गोदावरी बेसिन से किसी भी अन्य बेसिन की ओर बदल सकते हैं। इस से केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और आन्ध्र प्रदेश द्वारा उठाई गई आपत्तियां समाप्त हो जाती है। कालाहांडी ज़िले में वर्ष 1965 में भीषण अकाल पड़ा था। अपर इन्द्रवती बहुप्रयोजनीय परियोजना से रबी और खरीफ फसलों वाली 5 लाख एकड़ भूमि की केवल सिंचाई ही नहीं होगी बल्कि 2.27 पैसे प्रति यूनिट की सस्ते दर पर 600 मेगावाट बिजली भी पैदा हो सकेगी। इससे बिजली की कमी भी दूर हो जाएगी। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और योजना आयोग को इन्द्रावती परियोजना का कार्य आरम्भ करने की मंजूरी तुरन्त दे दी जानी चाहिए। यदि धन का अभाव है तो वह 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा विश्व बैंक से प्राप्त किया जा सकता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को पूर्वी राज्यों को अधिक धन उपलब्ध कराना चाहिए। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद ये राज्य उठाऊ सिंचाई और ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में पिछड़े हुए हैं। अनन्तपुर बांध के बिना सालन्दी परियोजना का कोई लाभ नहीं होगा। जब तक वैतरणी के पानी का प्रवाह सालन्दी की ओर नहीं बदला जाता तब तक उस परियोजना का दुहरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। अतः इस कार्य को शीघ्र किया जाना चाहिए। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने इस परियोजना की मंजूरी दे दी है और अब योजना आयोग के विचाराधीन है। उन्हें इसकी मंजूरी शीघ्र देनी चाहिए। भूतापीय शक्ति परियोजनाओं के सम्बन्ध में और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। समुद्र के ज्वार भाटों में विद्युत जनन की प्रबल शक्ति है सरकार को इस सम्बन्ध में भी अवश्य विचार करना चाहिए।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : I support the demands for Grants of the Ministry of Irrigation and Power. These are very important demands as to the lot of about 80 percent people hinges on them. The solution of the economic problems of our country lies in it. I am happy that an expert engineer of our country is supervising all this work.

There is a shortage of funds in the country and we can not start all the work at one time. Even then it is my plea to the Government that Irrigation and Power projects should be given priority for they will help developing the agriculture and industries of the country and creating employment.

Sir, I belong to Rajsthan where the nature has not been as kind as in other States. There is only one perennial river namely the Chambal. We are happy that about 95 percent work on the project has been completed. Rajsthan Canal Project has its pride of place in the State.

It has the potentiality of irrigating 32 lakh acres of land and it will run through the desert where the people have no source of drinking water. It is being constructed in twostages. The first stage will be completed in 1973. But Bikaner and its neighbouring places like Churu, Sikar and Nagaur should also be provided water from the Rajasthan Canal by lift system. After completing the first stage, the need for taking up work in the second stage in Jaisalmer area will arise for raising production of foodgrains, cotton and oilseeds. Besides this people can be rehabilitated there by providing agricultural facilities. This is a big national scheme and it should be completed without further delay. Lift System should be developed in Rajasthan Canal as far as it can be because only then water can be provided in the desert. Where milch livestock is in a large number. The land of Rajasthan can grow everything. So this National Scheme should be completed immediately.

The 'Kisan project' which is under consideration, can provide water to Rajasthan and about seven to eight lakh acres of land can be irrigated.

The controversy over Narmada river is there for many years and three or four states are involved in it. This project is to be finalized without further delay so that water from Kadara Dam may be provided to the districts of Sanchar, Barmer and Jallore. This will irrigate three or four lakh acres of land. Drinking water is to be provided there. These projects should be competed so that the condition of Rajasthan improves.

Rajasthan was already backward State. At the time of formation of princely states into one state, Rajasthan had 13 thousand kilowatt power and now after the completion of Three Plans, this has increased to 200 Megawatt. Atomic Station is also being estabilshed there. Rajasthan will get electricity from Satpura Thermal Power Station and after the completion of work of Chambal, Sutlej and Vyas link, electricity will also be provided from there. Today Rajasthan is so backward that out of 33,000 villages only 3000 villages have been electrified. I will urge the hon. Minister to pay his attention to this aspect. If the Government fails in ending the regional imbalances then many areas will remain backward forever and our socio-economic problems will multiply. So the Government should make provision of fund for the electrification of villages. It is good that the Government has started this work by setting up the Electricity Corporation. The Government should arrange finance through Life Insurance Corporation and other Financial Corporations. The work of Rural electfication should be geared up. The management of the Electricity Corporation should bear in mind that it is their responsibility to provide electricity to those places which are without it by laying long lines and such other methods.

Half of Rajasthan is in desert. People have to fetch drinking water from a distance of seven to ten miles. Those persons having no means to fetch water suffer a lot. Members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes do not get drinking water. They have to face great hardships. There are certain regions in Rajasthan where water potential is available and a large number of tubewells can be installed. Diesel pumps have not proved successful there because the water is available at a depth of 300-400 ft. and these pumps do not work well. There are thousand square miles in Rajasthan where famine takes place. If the tubewells are linked with power and oasis is created there then it can benfeit the people a lot. Our Rajasthan Government has no means. You may help us through Electricity Corporation. If you want to help us then some special Thermal Plants will have to be estabilished because only then the Chambal Project will be successful. I want to stress for making provision of electricity and water in those regions. Rajasthan is a backward state and geographically it has a distinct position. Economically and politically it is very backward. Much work is left to be done,

Rajasthan is poor in economic. resourcesIt is facing the burden of loans. Moreover it has no capacity to pay the interest on loans. So the Government should help us by taking into consideration these facts.

Rajasthan has vast underground water resources. Survey of underground water of many areas has been conducted. By installing and electrifying tubewells in large numbers, the whole map of Rajasthan can be radically changed. Fortunately our population is not so vast and we can absorb other people also provided these facilities are made available there.

I hope my suggestions will be sympathetically considered. With these words I support the demands.

Shri B. R. Shukla (Bahraich) : Irrigation and Power are the main points of our Five Year Planning. Our whole economic progress depends on it.

The cause of our backwardness is that we have not generated power to the extent of making it available for irrigational purposes.

Whatever the green revolution has taken place, it is the results of other methods th t we have adopted.

When we compare the past and the pre-Indepence periods it seem that radical change has taken place. Big dams are coming up and irrigational facilities have been provided. But looking at the backward regions one feels greatly disappointed. We have raised slogan of socialism and the same is the goal of Government also. There are some regions where all means have been centralised where as in other regions there is none. In the Eastern Uttar Pradesh there are no provision of canals and electricity and it is the most backward part. There is a big Sharda Canal Project going on. But it will not benefit us as the whloe water of our region will go to other districts. I have no jealousy on this. Rather we will feel happy if our Services are utilized for the development of other regions. But what we want is that our region should not be neglected in the race of progress and development. There are Kandiyal and Ghagra rivers which have perennial water. This water can be utilized for generating power which will in turn solve the problems of the regions. Our district should also be provided water through Lift System from Sharda Project.

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 25 जून, 1971/4 आषाढ़, 1893 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Friday, the 25th June, 1971/Asadha 4, 1893 (Saka)

Printed by Bharat Mudranalaya, Delhi-32. 12-11-71—340